क.

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) v.

ए. पी. स्टेट वक्फ बोर्ड एंड ओ. आर. एस. (2016 की सिविल अपील संख्या 10770) फरवरी 07,2022

[हेमंत गुप्ता और वी**.** रामसुब्रमण्यन**,** जे**.** जे**.]**

वक्फ-राज्य सरकार के राजपत्र में वक्फ बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना का प्रकाशन-इसका प्रभाव-क्या राज्य को ऐसी अधिसूचना को चुनौती देने के लिए चुना गया है-आयोजितःवक्फ बोर्ड 1954 के अधिनियम के साथ-साथ 1995 के अधिनियम के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है-आधिकारिक राजपत्र में वक्फ बोर्ड के कहने पर कोई भी अधिसूचना होनी चाहिए-राज्य सरकार वक्फ बोर्ड के कहने पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के लिए केवल इसलिए बाध्य नहीं है क्योंकि यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुई है-आधिकारिक राजपत्र में सूचना के प्रकाशन में आम जनता के लिए एक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के रूप में जानकारी का अनुमान है-केवल यह कारण कि अधिसूचना राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, राज्य सरकार-वक्फ अधिनियम, 1995-वक्फ अधिनियम, 1954 पर बाध्यकारी नहीं है।

ग

डी.

ई.

वक्फ-वक्फ अधिनियम, 1995।40 और 32 (2) (एन)-वक्फ संपत्ति-क्या संपत्ति की प्रकृति की जांच और निर्धारण करने की शक्ति एक प्रशासनिक कार्य है या जांच के रूप में एक अर्ध-न्यायिक कार्य है, किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले संचालित करने की आवश्यकता है-वक्फ बोर्ड की वक्फ की प्रकृति और विस्तार की जांच और निर्धारण करने की शक्ति-आयोजितःविशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक कार्य नहीं है-एस के तहत निर्धारित करने की शक्ति।32(2)(एन) शक्ति का स्रोत है लेकिन उस शक्ति का प्रयोग करने का तरीका यू/एस माना जाता है।40 – यदि एक बोर्ड को एकत्र की गई जानकारी के आधार पर पता चलता है कि विचाराधीन संपत्ति एक वक्फ संपत्ति है तो एक जांच की आवश्यकता होती है-उस पर पारित एक आदेश वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष अपील के अधीन है, जिसके बाद धाराओं की उप-धारा (1) के संदर्भ में आवश्यक जांच की जाती है।40 – इसलिए, किसी भी कारण को दर्ज किए बिना कोई एकतरफा निर्णय नहीं हो सकता है कि संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में कैसे और क्यों शामिल किया गया है-द ए

च

जी.

एच.

वक्फ बोर्ड का निष्कर्ष अंतिम है, जो उप-धारा (2) के तहत अपील के अधिकार के अधीन है-इस प्रकार, बोर्ड का कोई भी निर्णय एक तर्कपूर्ण आदेश के रूप में होना आवश्यक है जिसका वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष अपील में परीक्षण किया जा सकता है-वक्फ बोर्ड को धाराओं के तहत वक्फ के रूप में संपत्ति की प्रकृति निर्धारित करने की शक्ति है।32(2)(एन) लेकिन एस में निहित निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद।40 – ऐसी प्रक्रिया स्पष्ट रूप से आयोजित की जाने वाली जांच को निर्धारित करती है-जांच का संचालन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन को पूर्व-निर्धारित करता है ताकि प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जा सके-तथ्यों पर, वक्फ बोर्ड द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही में कोई जांच नहीं की गई या प्रभावित पक्षों में से किसी को भी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया-मुख्य रूप से, दो कारकों ने वक्फ बोर्ड को विवादित त्रुटि अधिसूचना जारी करने के लिए प्रेरित किया था, यानी, नज़ीम अतियत का आदेश और दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट-दोनों को वक्फ बोर्ड के पास उपलब्ध सामग्री के रूप में माना जा सकता है, लेकिन जांच के अभाव में, इसे यू/एस द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं कहा जा सकता है।40 – चूंकि इस तथ्य का कोई निर्धारण नहीं है कि क्या विचाराधीन संपत्ति एस के संदर्भ में जांच करने के बाद वक्फ संपत्ति है।40(1), त्रुटि अधिसूचना को एस के संदर्भ में जारी नहीं माना जा सकता है।32 आर/डब्ल्यू एस।40.

ग

डी.

वक्फ-वक्फ अधिनियम, 1995 -धारा 40 (3), परंतुक-धारा 40 के परंतुक पर निर्भरता।40(3) 1995 अधिनियम, पंजीकृत न्यास या सोसायटी को नोटिस देने पर विचार करते हुए यदि वक्फ बोर्ड के पास यह मानने का कोई कारण है कि कोई संपत्ति वक्फ है और किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत है-आयोजितःयह पूरी तरह से गलत धारणा है-ये प्रावधान पूरी तरह से अलग स्थिति से निपटते हैं-यदि कोई ट्रस्ट या सोसायटी पहले से ही पंजीकृत है, लेकिन वक्फ बोर्ड इसे वक्फ पाता है, तो क़ानून प्राधिकरण को नोटिस देने पर विचार करता है-इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे ट्रस्ट या सोसाइटी की सुनवाई की आवश्यकता नहीं है-ट्रस्ट या सोसाइटी को सुनवाई भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार होगी।वक्फ-संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत लिखित न्यायालय के समक्ष वक्फ बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना की वैधता पर विवाद करने का सरकार का अधिकार-आयोजितःएक न्यायिक इकाई के रूप में राज्य सरकार को रिट अदालत के माध्यम से अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान कर सकता था-तथ्यों पर, राज्य सरकार वक्फ बोर्ड की कार्रवाई के खिलाफ रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने में सक्षम थी ताकि विचाराधीन भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सके-भारत का संविधान-अनुच्छेद 226।

ई.

च

जी.

एच.

वक्फ-वक्फ अधिनियम, 1995 -एस. 5 और एस.32(2)(एन) आर/डब्ल्यू एस।40 – वक्फ बोर्ड द्वारा वर्ष 2006 में प्रकाशित त्रुटि अधिसूचना, 1989 में पहली अधिसूचना के 17 साल बाद-आयोजित करने के लिए चुनौतीःवर्तमान मामले के तथ्यों में, एर्राटा अधिसूचना और कुछ नहीं बल्कि पूरी तरह से एक नई अधिसूचना थी-एर्राटा एक गलती का सुधार है-इसलिए, केवल अंकगणितीय और लिपिकीय गलतियों को ठीक किया जा सकता है और अधिसूचना का दायरा 5506 वर्ग किलोमीटर की तुलना में एक एर्राटा अधिसूचना के आधार पर बढ़ाया नहीं जा सकता है।वर्ष 1989 में वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित भूमि के गज, 1654 एकड़ के बड़े क्षेत्र और 32 गुंटा भूमि को त्रुटि अधिसूचना की आड़ में शामिल नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह लिपिक या अंकगणितीय गलती का मामला नहीं है, बल्कि बड़े क्षेत्र को शामिल करना है, जिसे धारा 1989 के तहत उचित जांच किए बिना नहीं किया जा सकता था।32(2)(एन) आर/डब्ल्यू एस।40 या सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर जिसे राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त करके बुलाया गया था।

ग

वक्फ-चाहे तथ्यों के आधार पर, उच्च न्यायालय ने वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षकारों को वैधानिक उपचार के लिए खारिज करने में न्यायसंगत ठहराया-अभिनिर्धारित कियाःउच्च न्यायालय ने राज्य की दलीलों को स्वीकार न करने के लिए दायर किए गए दस्तावेजों सहित उठाए गए विवाद के गुण-दोष की जांच की-हालांकि उच्च न्यायालय ने इसे प्रथम दृष्टया विचार के रूप में व्यक्त किया, लेकिन वास्तव में, यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था कि यह अंतिम आदेश नहीं था जहां तक राज्य की अपनी रिट याचिका को खारिज करने के आदेश का संबंध है-अन्यथा भी, उठाए गए प्रश्न कानूनों की व्याख्या, संप्रभु द्वारा समय-समय पर जारी किए गए फरमान और वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए दस्तावेज़ की व्याख्या थे-यह ऐसा मामला नहीं है जहां कोई मौखिक साक्ष्य आवश्यक होगा या अब उपलब्ध है-चूंकि प्रश्न कानूनों और मुख्य रूप से संप्रभु द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों की व्याख्या के संबंध में था, इसलिए मामले को अंतिम रूप देने की आवश्यकता है।

डी.

ई.

च

वक्फ अधिनियम, 1995-एस.5 और 105-त्रुटि अधिसूचना यू/एस का प्रकाशन।5 – वक्फ बोर्ड को प्रदत्त शक्तियाँ-राज्य सरकार को दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत न करना-प्रभाव-याचिका कि एक बार वक्फ बोर्ड के पास विभिन्न दस्तावेजों को देखने के बाद अधिसूचना प्रकाशित करने की शक्ति थी, उसे केवल इस कारण से अवैध नहीं कहा जा सकता था कि रिपोर्ट ए को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

जी.

एच.

1229

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड ए

एस की उप-धारा (1) द्वारा यथा अनुध्यात राज्य सरकार।5 – धारण करने की योग्यताःयाचिका है कि अधिसूचना एस के संदर्भ में है।5 1995 का अधिनियम मान्य नहीं है-यह स्वीकार किया गया है कि दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई थी और ऐसी रिपोर्ट सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को भी नहीं भेजी गई है-वक्फ बोर्ड को किसी भी दस्तावेज की मांग करने का अधिकार हो सकता है।105, लेकिन यदि कोई अधिसूचना जारी करने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है, तो इसे केवल निर्धारित तरीके से जारी किया जा सकता है और किसी अन्य तरीके से नहीं-जब कोई क़ानून किसी विशेष तरीके से प्रयोग करने के लिए किसी प्राधिकरण को कुछ शक्ति प्रदान करता है, तो उक्त प्राधिकरण को केवल क़ानून द्वारा निर्धारित तरीके से ही इसका प्रयोग करना पड़ता है-इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि चूंकि राज्य सरकार को दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना केवल एक मंत्रिस्तरीय कार्रवाई थी, इसलिए, बोर्ड के पास अधिसूचना प्रकाशित करने का अधिकार क्षेत्र था।5.

ग

संपत्ति अर्जित करने का राज्य का अधिकार-पवित्र और धार्मिक उद्देश्य के लिए समर्पित भूमि राज्य के पास निहित होने से मुक्त नहीं है।

डी.

आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) अतियत पूछताछ अधिनियम, 1952-अतियत न्यायालय का अधिकार क्षेत्र-आयोजितःपूछताछ अधिनियम में परिभाषित अतियत अनुदान से संबंधित विवादों तक सीमित है।

ई.

शब्द और वाक्यांश-शब्द "इर्राटा"-का दायरा और अर्थ-आयोजितः“इर्राटा "फ्रांसीसी मूल का एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी चीज जिसे ठीक किया जाना चाहिए-इसका अर्थ है मुद्रण या लेखन में गलती।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने दायर किए गए दस्तावेजों सहित उठाए गए विवाद के गुण-दोष की जांच की है ताकि राज्य की दलीलों को स्वीकार न किया जा सके।यद्यपि उच्च न्यायालय ने इसे प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण के रूप में व्यक्त किया है, लेकिन वास्तव में, यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था कि यह अंतिम आदेश नहीं था जहां तक राज्य अपनी रिट याचिका को खारिज करने के आदेश से संबंधित है।अन्यथा भी, इस न्यायालय के समक्ष उठाए गए प्रश्न मूर्तियों की व्याख्या, समय-समय पर संप्रभु द्वारा जारी फरमान और वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए दस्तावेज़ की व्याख्या हैं।यह ऐसा मामला नहीं है जहां कोई मौखिक साक्ष्य आवश्यक होगा या अब उपलब्ध है।वास्तव में, इस न्यायालय के समक्ष यह सुझाव भी नहीं था।तब से

च

जी.

एच.

1230 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 19 एस. सी. आर.

मुख्य रूप से संप्रभु द्वारा जारी कानूनों और दस्तावेजों की व्याख्या के संबंध में प्रश्न था, मामले की योग्यता के आधार पर जांच की जानी चाहिए क्योंकि पक्षकारों के वकील द्वारा विस्तृत तर्कों को संबोधित किया गया है।इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने कानूनी रूप से, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पक्षकारों को वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष वैधानिक उपचार के लिए खारिज करने की गलती की।**[**पैरा **119] [1316-**ए-डी**]**

2. एक न्यायिक इकाई के रूप में राज्य सरकार को रिट अदालत के माध्यम से अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार है, जैसा कि कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू कर सकता था।इसलिए, राज्य सरकार **1654** एकड़ और **32** गुंटा की भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए वक्फ बोर्ड की कार्रवाई के खिलाफ रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने में सक्षम है।**[**पैरा **125] [1318-**एफ-जी**]**

ग

3. नज़ीम अतियत के समक्ष सरकारी प्लीडर की उपस्थिति एक सीमित उद्देश्य के लिए थी क्योंकि अनुदान का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना था।राज्य न तो नज़ीम अतियत या उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार था।राज्य आदेशों के लिए बाध्य होगा, यदि उसे पक्षकार के रूप में शामिल किया जाता है क्योंकि पारित आदेशों के कारण इसके प्रभावित होने की संभावना है। अनुदान के भुगतान के लिए राज्य की देनदारी विवाद में नहीं थी, लेकिन सवाल यह था कि अनुदान किसे देय होगा।इस प्रकार, सरकारी प्लीडर की उपस्थिति पारित आदेशों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के सीमित उद्देश्य के लिए थी। वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि इर्राटा अधिसूचना तब प्रकाशित की गई थी जब वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इसे सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के आयुक्त को **13.03.2006** पर भेजा था।अधिसूचना का यह प्रकाशन वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधिकार के तहत **1995** के अधिनियम की धारा **5 (2)** के तहत किया गया था।इसलिए, यह अधिसूचना राज्य सरकार के कहने पर नहीं थी, बल्कि केवल वक्फ बोर्ड का एक अधिनियम था।तर्क में कहा गया कि चूंकि राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित एर्राटा अधिसूचना, इसलिए, राज्य यह कहने के लिए नहीं घूम सकता है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी या वे इस तरह से प्रकाशित अधिसूचना से बाध्य नहीं हैं।आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशनों का उद्देश्य, उद्देश्य और दायरा वह नहीं है जिसके बारे में तर्क दिया जाना चाहिए।न्यायालय को किसी भी ए की वास्तविकता का अनुमान लगाना है।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

1231

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड ए

साक्ष्य अधिनियम, **1872** की धारा **81** और धारा **114 (**ई**)** द्वारा अनुध्यात किसी भी आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित दस्तावेज।राजपत्र में प्रकाशन न केवल राज्य के मामलों के लिए है, बल्कि इसके कई उपयोग हैं।**[**पैरा **129,130,131] [1320-**बी**-**एफ**]4.** वक्फ बोर्ड **1954** के अधिनियम के साथ**-**साथ **1995** के अधिनियम के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है। इस प्रकार, वक्फ बोर्ड के कहने पर आधिकारिक राजपत्र में कोई भी अधिसूचना लानी पड़ती थी।इसलिए, राज्य सरकार वक्फ बोर्ड के कहने पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के लिए केवल इसलिए बाध्य नहीं है क्योंकि इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।आधिकारिक राजपत्र में एक सूचना के प्रकाशन में आम जनता के लिए ज्ञान का अनुमान एक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के रूप में होता है।इसलिए, केवल यह कारण कि अधिसूचना राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।**[**पैरा **132] [1321-**जी**-**एच**]5.** वक्फ बोर्ड के पास धारा **32 (2) (**एन**)** के तहत वक्फ के रूप में संपत्ति की प्रकृति निर्धारित करने की शक्ति है, लेकिन धारा **40** में निहित प्रक्रिया का पालन करने के बाद।इस तरह की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से आयोजित की जाने वाली जांच को निर्धारित करती है।जाँच के संचालन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्व अनुपालन माना जाता है ताकि प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जा सके।वक्फ बोर्ड द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही में प्रभावित पक्षों में से किसी को भी की गई कोई जांच या कोई नोटिस नहीं दिखाया गया है।मुख्य रूप से, दो कारकों ने वक्फ बोर्ड को एर्राटा अधिसूचना जारी करने के लिए प्रेरित किया था, यानी, नज़ीम अतियत का आदेश और दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट।दोनों को वक्फ बोर्ड के पास उपलब्ध सामग्री के रूप में माना जा सकता है लेकिन की गई जांच के अभाव में, इसे **1995** के अधिनियम की धारा **40** के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं कहा जा सकता है। **[**पैरा **146] [1329-**एफ**-**एच**]**

ग

डी.

ई.

च

6. चूंकि **1995** के अधिनियम की धारा **40 (1)** के संदर्भ में जांच करने के बाद इस तथ्य का कोई निर्धारण नहीं किया गया है कि क्या विचाराधीन संपत्ति एक वक्फ संपत्ति है, इसलिए त्रुटि अधिसूचना को **1995** के अधिनियम की धारा **40** के साथ पठित धारा **32** के संदर्भ में जारी किया गया नहीं माना जा सकता है। इस तरह का दृढ़ संकल्प ही हो सकता था

जी.

एच.

1232 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 19 एस. सी. आर.

प्रभावित पक्षों को **1995** के अधिनियम की धारा **40** के तहत अपील के उपचार का लाभ उठाने का अधिकार प्रदान किया गया। **[**पैरा **147] [1330-**ए**-**बी**]7. 1995** के अधिनियम की धारा **40 (3)** के प्रावधान पर निर्भरता, बोर्ड के पास यह मानने का कोई कारण होने की स्थिति में कि कोई भी संपत्ति वक्फ है और किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत है, पंजीकृत ट्रस्ट या सोसायटी को नोटिस देने पर विचार करना पूरी तरह से गलत धारणा है।ये प्रावधान पूरी तरह से अलग स्थिति से

निपटते हैं।एक न्यास या सोसायटी पहले से ही पंजीकृत है लेकिन यदि बोर्ड इसे वक्फ पाता है, तो क़ानून प्राधिकरण को नोटिस देने पर विचार करता है।इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह के विश्वास या समाज को सुनने की आवश्यकता नहीं है।ट्रस्ट या सोसायटी को सुनवाई भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार होगी।**[**पैरा **148] [1330-**सी**-**डी**]**

ग

8.1.जांच किए जाने वाला सवाल यह था कि क्या बोर्ड पहली अधिसूचना की तारीख से **17** साल के अंतराल के बाद**,** यानी **9.2.1989,** त्रुटि अधिसूचना जारी कर सकता है।अधिसूचना की ओर ले जाने वाली कवायद **30.1.2005** पर मुतवल्ली सैयद सफीउल्ला हुसैनी के एक पत्र के साथ शुरू हुई।वह मुतवल्ली हैं जिनका उल्लेख वर्ष **1989** में प्रकाशित पहली अधिसूचना में किया गया है।चूंकि उनके साथ मुतवल्ली के रूप में अधिसूचना जारी की गई थी**,** इसलिए **17** वर्षों तक उनकी निष्क्रियता भूमि के बड़े क्षेत्र को वक्फ के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करने में उनकी ईमानदारी को दर्शाती है।**[**पैरा **152] [1332-**सी**-**डी**]**

डी.

ई.

8.2.वर्तमान मामले के तथ्यों में**,** एर्राटा अधिसूचना और कुछ नहीं बल्कि पूरी तरह से एक नई अधिसूचना है।त्रुटि एक गलती का सुधार है।इसलिए**,** केवल अंकगणितीय और लिपिकीय गलतियों को ठीक किया जा सकता है और एक त्रुटि अधिसूचना के आधार पर अधिसूचना का दायरा नहीं बढ़ाया जा सकता है।इसके विपरीत **5506** वर्ग कि**.** मी**.**।वर्ष **1989** में वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित भूमि के गज**, 1654** एकड़ के बड़े क्षेत्र और **32** गुंटा भूमि को त्रुटि अधिसूचना की आड़ में शामिल नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह लिपिक या अंकगणितीय गलती का मामला नहीं है**,** बल्कि बड़े क्षेत्र को शामिल करना है जो धारा **40** के साथ पठित धारा **32 (2) (**एन**)** के तहत या सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर उचित जांच किए बिना नहीं किया जा सकता था**,** जिसे राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त करके बुलाया गया था।**[**पैरा **154] [1333-**जी**-**एच**; 1334-**ए**]** ए

च

जी.

एच.

1233

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड ए

9. पूछताछ अधिनियम केवल अतियत अनुदान के संबंध में लागू होता है।जागीर उन्मूलन विनियमन के प्रारंभ के बाद अतियत अनुदान का अर्थ केवल कम्यूटेशन विनियमन या इनाम उन्मूलन अधिनियम या नकद अनुदान आदि के तहत देय मुआवजे के तहत देय कम्यूटेशन राशि है। अतियत न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अतियत अनुदान से संबंधित विवादों तक सीमित होगा जैसा कि पूछताछ अधिनियम में परिभाषित किया गया है। **[**अनुच्छेद **162** और **165] [1336-D-E; 1338-B]**

सी**.** आई**.** टी**.** बनाम अंजुम एम**.** एच**.** घसवाला **(2002) 1** एस**.** सी**.** सी**. 633**

:[2001] 4 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 303-**अनुसरण किया गया।

बस्तियों के निदेशक, ए. पी. और अन्य बनामएम. आर. अप्पाराव और

ग

एन. आर. (2002) 4 एससीसी 638:[2002] 2 एस. सी. आर. 661 और डी. बी

बाबू वर्गीज बनाम केरल बार काउंसिल **(1999) 3** एस**.** सी**.** सी**.**

422 :[1999] 1 एस**.** सी**.** आर**. 1121-**पर निर्भर था।

राशिद वली बेग बनाम फरीद पिंडारी और अन्य। **(2021)** एससीसी ऑनलाइन एससी **1003;** वक्फ बोर्ड**,** पश्चिम बंगाल और अन्र बनामअनीस फातमा बेगम और अन्र। **(2010) 14** एससीसी **588;** भारत संघ बनाम टी**.** आर**.** वर्मा**,** ए**.** आई**.** आर **1957** एस**.** सी**. 882;** भारत संघ और अन्य बनामगौस मोहम्मद एयर **1961** एससी **744:[1962]** एस**.** सी**.** आर**. 744** और बालकृष्ण राम बनाम भारत संघ

डी.

(2020) 2 एससीसी **442:[2020] 2** एससीआर **581-**प्रतिष्ठित।

ई.

सिकंदर जहाँ बेगम बनाम ए**.** पी**.** राज्य सरकार। आकाशवाणी **1962**

एससी 996:[1962] पूरक।एस. सी. आर. 226; राजा रामचंद्र

रेड्डी और एन**.** आर**.** वी**.**रानी शंकरम्मा और अन्य। ए**.** आई**.** आर **1956** एस**.** सी**. 319;** एम**.** पी**.** वक्फ बोर्ड बनाम सुभान शाह **(**मृत**)**

एलआरएस. और अन्य (2006) 10 एससीसी 696:[2006] 8 पूरक।

एस. सी. आर. 85; मो.हब्बीबुद्दीन खान बनाम जागीर प्रशासक, आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य (1974) 1 एस. सी. सी. 82; के. एस. बी. अली बनाम एपी राज्य और

च

अन्य (2018) 11 एससीसी 277:[2017] 12 एससीआर 698;

प्रबंधन समिति और एक अन्य बनाम उपाध्यक्ष

कुलाधिपति (2009) 2 एससीसी 630:[2008] 17 एससीआर 774;

जी.

एडल्ट।सिकरी।भारत सरकार बनाम अलका सुभाष गाडिया

(श्रीमती) 1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 496:[1990] 3 पूरक।

एससीआर **583;** के**.** के**.** कोचुन्नी बनाम मद्रास राज्य ए**.** आई**.** आर**. 1959**

एससी 725:1959 पूरक।एस. सी. आर. 316; व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन

ट्रेडमार्क पंजीयक **(1998) 8** एस**.** सी**.** सी**. 1:[1998] 2** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 359;** क्रांति एसोसिएट्स **(**पी**)** लिमिटेड बनाम**.**मसूद

एच.

अहमद खान (2010) 9 एससीसी 496:[2010] 10 एससीआर 1070;

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1) बनाम सामाजिक संस्थान

कल्याण (2002) 5 एस. सी. सी. 685:[2002] 3 एससीआर 1040;

हरबंस लाल साहनिया बनाम इंडियन ऑयल कार्पोरेशन**(2003) 2** एससीसी **107;** राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य **(2021) 6** स्केल **78;** राजस्थान वक्फ बोर्ड बनाम देवकी नंदन पाठक और अन्य। **(2017) 14** एससीसी **561:[2017]** एससीआर **878;** हरियाणा वक्फ बोर्ड बनाम महेश

कुमार (2014) 16 एससीसी 45:[2013] 12 एससीआर 596; पंजाब

वक्फ बोर्ड बनाम शाम सिंह हरिके (2019) 4 एससीसी 698; तेलंगाना राज्य वक्फ बोर्ड और अन्र बनाममोहम्मद मुजफ्फर (2021) 9 एस. सी. सी. 17; नवाब ज़ैन यार जंग (मृतक होने के बाद से) और अन्य बनामबंदोबस्ती निदेशक और

ग

एन. आर. ए. आई. आर 1963 एस. सी 985:[1963] एससीआर 469; सैयद अली

& ओआरएस**.** वी**.**ए**.** पी**.** वक्फ बोर्ड**,** हैदराबाद और अन्य। **(1998) 2**

एससीसी 642:[1998] 1 एससीआर 398; टी. एन. वक्फ बोर्ड बनाम

हाथीजा अम्मल **(**मृत**)** एल**.** आर**.** और ओ**.** आर**.** द्वारा **(2001) 8** एससीसी

डी.

528 :[2001] 2 पूरक।एस. सी. आर. 428; मदनूरी श्री राम

चंद्र मूर्ति बनाम सैयद जलाल **(2017) 13** एससीसी **174:[2017] 5** एस**.** सी**.** आर**. 294;** मुख्य वन संरक्षक**, #36 #**

ए. पी. वी.कलेक्टर और ओआरएस। (2003) 3 एससीसी 472:[2003]

2 एससीआर **180;** कानूनी प्रतिनिधियों बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य द्वारा के**.** बी**.** रामचंद्र राजे उर्स **(**मृत**)**।

ई.

(2016) 3 एससीसी 422:[2015] 11 एससीआर 974; व्हर्लपूल

निगम बनाम व्यापार चिह्न पंजीयक, मुंबई और

ओआरएस। (1998) 8 एस. सी. सी 1:[1998] 2 पूरक।एससीआर 359;

आय कर आयुक्त और अन्य बनामछबील दास अग्रवाल (2014) 1 एस. सी. सी. 603; बाबूभाई मुलजिभाई पटेल बनाम नंदलाल खोडीदास बारोट और अन्य (1974) 2 एस. सी. सी. 706:[1975] 2 एस. सी. आर. 71; राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज बनाम

च

एच. पी. राज्य (2021) 6 एस. सी. सी. 771; राजस्थान राज्य

विद्युत बोर्ड**,** जयपुर बनाम मोहन लाल और अन्य ए**.** आई**.** आर **1967**

एससी 1857:[1967] एससीआर 377; यू. पी. राज्य बनामनीरज अवस्थी और अन्य। (2006) 1 एससीसी 667: [2005] 5 पूरक।

जी.

एस**.** सी**.** आर**. 906;** द्वारकादास मरफतिया एंड संस बनाम बॉम्बे बंदरगाह के न्यासी मंडल **(1989) 3** एस**.** सी**.** सी**. 293:[1989] 2** एस**.** सी**.** आर**. 751;** श्रीलेखा विद्यार्थी **(**कुमारी**)** बनाम**.**

उत्तर प्रदेश राज्य (1991) 1 एस. सी. सी. 212:[1990] 1 पूरक।एससीआर

625; एम**.** जे**.** सिवानी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य **(1995)**

एच.

1235

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड ए

6 एससीसी 289:[1995] 3 एस. सी. आर. 329; तेल और प्राकृतिक गैस

क.

आयोग बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर **(1995)** सप्लीमेंट **(4)** एस**.** सी**.** सी**. 541;** इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

बनाम भारत संघ (2011) 3 एस. सी. सी. 404:[2011] 2 एससीआर

971; बॉम्बे प्रांत बनाम खुशालदास एस**.** आडवाणी और

ओआरएस। ए. आई. आर 1950 एस. सी. 222:[1950] एस. सी. आर. 621; राज्य

हिमाचल प्रदेश बनाम राजा महेंद्र पाल और अन्य। **(1999)**

4 एससीसी 43:[1999] 2 एस. सी. आर. 323; नवाब ज़ैन यार जंग

(मृतक होने के बाद से) और ओआरएस. वी.बंदोबस्ती निदेशक और

एन. आर. ए. आई. आर 1963 एस. सी 985:[1963] एससीआर 469; राजा

रामेश्वर राव और एक अन्य बनाम राजा गोविंद राव आकाशवाणी

1961 एससी 1442:[1962] एससीआर 618; सरवनलाल और अन्न बनाम

ग

हैदराबाद राज्य **(**अब आंध्र प्रदेश**)** और अन्य। एयर

1960 एससी 862:[1960] एस. सी. आर. 311 और खजमियन वक्फ एस्टेट बनाम मद्रास राज्य (1970) 3 एस. सी. सी. 894:[1971] 2 एस. सी. आर. 790-संदर्भित।

राज किशन पर्सद और ओआरएस. वी.संयुक्त कलेक्टर-I और अन्य। (2018) 6 ए. एल. टी. 79 (डी. बी.); अहमद-उन-निसा बेगम और एक अन्य बनाम मुख्यमंत्री के माध्यम से राज्य और अन्य ए. आई. आर. 1952 हाईड 163; के. एस. बी. अली बनाम राज्य

डी.

एपी और अन्य (2007) एससीसी ऑनलाइन एपी 765; आर.

दोरास्वामी रेड्डी बनाम वक्फ ए. पी. हैदराबाद का बोर्ड

ई.

द्वारा इसके सचिव 1978 एस. सी. सी. ऑनलाइन ए. पी. 117; ए. पी. ए.

रशीद बनाम एन. एन. खालिद हाजी और अन्र। **2011** एस. सी. सी. ऑनलाइन केर **4185;** पार्वती देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(2007) 6** ऑल एलजे **50;** विद्या वरुथी तीर्थ बनाम बालुसामी अय्यर और अन्य। ए. आई. आर. **1922** पी. सी. **123;** सरवरलाल और अन्य बनाम राज्य

हैदराबाद एयर 1954 हाईड 227; मेसर्स ट्रिनिटी

च

इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड बनाम तेलंगाना राज्य, जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्रधान सचिव **2018** एस. सी. सी. ऑनलाइन हाईड **360;** यूनिवर्सल कैन्स एंड कंटेनर्स लिमिटेड बनाम.संघ

भारत का 1991 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 784; एज़ोम सुन्नी

वालिया जुमा मस्जिद बनाम केरल राज्य वक्फ बोर्ड **2019 (3)** के. एल. टी. **1064** और अमजद अली मिर्जा और अन्य बनाम।बोर्ड ऑफ

जी.

वक्फ और ओआरएस। [2018 के सी. ओ. संख्या 749 में कलकत्ता उच्च न्यायालय का दिनांकित <आई. डी. 1]-संदर्भित।

महान्यायवादी बनाम ह्यूजेस **(1899) 48** साप्ताहिक

रिपोर्टर **150-**संदर्भित।

एच.

निर्णीत विधि संदर्भ

[1960] एससीआर **311**

संदर्भित किया गया है

पैरा **9**

[1962] पूरक।एससीआर **226**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

आकाशवाणी **1956** एस. सी. **319**

संदर्भित किया गया है

पैरा **22**

[2006] 8 पूरक।एस. सी. आर. **85** पैरा **64** को संदर्भित पैरा **68** को संदर्भित करता है।

(1974) 1 एससीसी **82**

[2017] 12 एससीआर **698**

संदर्भित किया गया है

पैरा **68**

[2008] 17 एससीआर **774**

संदर्भित किया गया है

पैरा **68**

ग

[1990] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 583** पैरा **71 [1959]** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 316** पैरा **71 [1998] 2** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 359** पैरा **71 [2020] 2** एस**.** सी**.** आर**. 581** विशिष्ट पैरा **71 [2010] 10** एस**.** सी**.** आर**. 1070** पैरा **73 [2002] 3** एस**.** सी**.** आर**. 1040** पैरा **74** को संदर्भित पैरा **79**

डी.

(2003) 2 एस**.** सी**.** सी**. 107**

(2021) 6 स्केल **78**

संदर्भित किया गया है

पैरा **79**

ई.

[2017] एससीआर **878**

संदर्भित किया गया है

पैरा **82**

[2013] 12 एससीआर **596**

संदर्भित किया गया है

पैरा **82**

(2010) 14 एस**.** सी**.** सी**. 588**

प्रतिष्ठित

पैरा **82**

(2019) 4 एस**.** सी**.** सी**. 698**

संदर्भित किया गया है

पैरा **82**

च

संदर्भित किया गया है

पैरा **82**

(2021) 9 एस**.** सी**.** सी**. 17**

ए. आई. आर **1957** एस. सी. **882**

प्रतिष्ठित

पैरा **83**

[1962] एससीआर **744**

प्रतिष्ठित

पैरा **83**

[1963] एससीआर **469**

संदर्भित किया गया है

पैरा **85**

जी.

[1998] 1 एससीआर **398**

संदर्भित किया गया है

पैरा **86**

[2001] 2 पूरक।एस. सी. आर. **428** पैरा **92 [2017] 5** एस. सी. आर. **295** पैरा **92 [2003] 2** एस. सी. आर. **180** पैरा **94** ए.

एच.

1237

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड ए

[2015] 11 एससीआर **974**

संदर्भित किया गया है

पैरा **96**

[1998] 2 पूरक।पैरा **103 (2014) 1** एस. सी. सी. **603** में निर्दिष्ट एस. सी. आर. **359**

संदर्भित किया गया है

पैरा **103**

[2002] 2 एससीआर **661**

पर भरोसा किया

पैरा **108** पैरा **115** को संदर्भित करता है

[1975] 2 एससीआर **71**

(2021) 6 एस. सी. सी. **771**

संदर्भित किया गया है

पैरा **116**

[1967]एससीआर **377**

संदर्भित किया गया है

पैरा **120**

[2005] 5 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 906** पैरा **121** को संदर्भित पैरा **122**

ग

[1989] 2 एससीआर **751**

[1990] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 625** पैरा **123** को संदर्भित पैरा **124** को संदर्भित करता है।

[1995] 3 एससीआर **329**

(1995) मान लीजिए **(4)** पैरा **126 [2011] 2** एस**.** सी**.** आर**. 971** को संदर्भित एस**.** सी**.** सी**. 541**

डी.

संदर्भित किया गया है

पैरा **127**

[1950] एससीआर **621**

संदर्भित किया गया है

पैरा **141**

[1999] 2 एससीआर **323**

संदर्भित किया गया है

पैरा **142**

पैरा **149**

[1999] 1 एससीआर **1121**

पर भरोसा किया

ई.

[2001] 4 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 303** का अनुसरण किया गया।

पैरा **150**

[1963] एससीआर **469**

संदर्भित किया गया है

पैरा **168**

[1962] एससीआर **618**

संदर्भित किया गया है

पैरा **170**

संदर्भित किया गया है

पैरा **171**

[1960] एससीआर **311**

च

[1971] 2 एससीआर **790**

संदर्भित किया गया है

पैरा **196**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:2016 की सिविल अपील No.10770।

2007 के डब्ल्यू. पी. No.23578 में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से।

जी.

सह

2016 की सिविल अपील Nos.10738,10768,10769,10773,10775,10776-10777,10771,10772 और 10774।

एच.

1238

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 19 एस सी आर।

वी. गिरि, हुज़ेफा ए. अहमदी, नकुल दीवान, सी. एस. वैद्यनाथन, सलमान खुर्शीद, एस. वसीम ए. कादरी, रणदीप राय, बसवप्रभु एस. पाटिल, रंजीत कुमार, अनूप चौधरी, आशीष ढोलकिया, के. राममूर्ति, वरिष्ठ अधिवक्ता।, पी. वेंकट रेड्डी, प्रशांत कुमार त्यागी, पी. श्रीनिवास रेड्डी, सुश्री अंकिता गुप्ता, मेसर्स वेंकट पलवाई लॉ एसोसिएट्स, एजाज मकबूल, सुश्री आकृति चौबे, सैफ जिया, सुश्री शाहरुख आलम, रोहन शर्मा, रोहन एंड्रयू नाइक, सुश्री स्मृति कालरा, अबू अकरम, सुश्री तान्या श्री, सुश्री बीना माधवन, स्वीना नायर, पी. मोहित राव, एस. उदय कुमार सागर, लक्ष्मी रमन सिंह, तमीम ए. कादरी, सईद कादरी, सुश्री लुबना नाज, अमन खुल्लर, सुश्री शमा उस्मानी, अभिनव अग्निहोत्री, दीपन सेठी, सुश्री रुबीना विरमानी, सुनील फर्नांडीस। लक्ष्मी अरविंद, अरविंद कुमार, प्रदीप कुमार माथुर, खुशांत वाधवा, एम. के. तिवारी, चिरंजीव जौहरी, रामबाबू, एन. ईश्वर राव, सुश्री प्रीति कुमारी, मेसर्स एम. रामबाबू एंड कंपनी, महफूज ए. नाजकी, डॉ. ललित भसीन, सुश्री नीना गुप्ता, सुश्री अनन्या मारवाह, सुश्री रुचिका जोशी, मुदित शर्मा, एम. ए. चिन्नासामी, सी. रुबावती, एम. वीरारागवन, पी. राजाराम, कुलवंत सिंह नरवाल, वी. सेंथिल कुमार, सी. एच. लीला सर्वेश्वर, वेंकटसामी, धीरज नायर, सुश्री अवनि शर्मा, मनोज सी. मिश्रा, एम. शोएब आलम, गुंटूर प्रभाकर, कुणाल वर्मा, सुश्री युगांधरा पवार झा, अश्विन कुमार नायर, सत्य मित्रा, जी. एन. रेड्डी, टी. वी. रत्नम, पी. विनय कुमार, सुमंत नूकला, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

डी.

ई.

च

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता**,** जे।

नागरिक आवेदन संख्या। **2016** का **10770,2016** का **10738,2016** का **10768,2016** का **10769,2016** का **10773,2016** का **10775** और **2016** का **10776-10777**

जी.

1. वर्तमान अपीलें आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय द्वारा 3.4.2012 1 पर पारित एक आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती हैं जहां

एच.

1 2012 एससीसी ऑनलाइन एपी 704 ए

1239

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड 2 की ओर से आंध्र प्रदेश राज्य के आधिकारिक राजपत्र में 6.4.2006 पर प्रकाशित त्रुटि अधिसूचना दिनांक 13.3.2006 को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।उक्त अधिसूचना इस प्रकार हैः

“प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित आंध्र प्रदेश राजपत्र

हैदराबाद, गुरुवार, 6 अप्रैल, 2006

सरकारी विभागों के प्रमुखों और अन्य अधिकारियों द्वारा भाग-I अधिसूचनाएँ

ग

सामग्री

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

दरगाह एन. जेड. टी. हुसैन शाह वाली, मणिकोंडा (वी), राजेंद्रनगर (एम), आर. आर. जिले की विमान दुर्घटना की अधिसूचना

डी.

एफ. नहीं। एम 1/69 पी. आर. ओ. टी./आर. आर./04-ए. पी. राजपत्र संख्या 6-ए में प्रकाशित अधिसूचना में, क्र. सं. के तहत पृष्ठ संख्या 262 पर दिनांक 9-2-1989। विषय संस्थान से जुड़ी सेवा इनाम भूमि संख्या 3057,3058 और 3059 को अधिसूचित नहीं किया गया था।अतः निम्नलिखित परिशिष्ट अधिसूचित किया जाता है।

ई.

जोड़

कॉलम नं.

कॉलम नं. पढ़ें।

10, 11 और 12

10, 11 और 12

च

(10) स्याह। नं.-(10) स्य। सं. 59,65,71,102,185,186,

187, 188

(11) सूखी सीमा-- -

189, 190, 191, 192, 193, 194,

195

जी.

(12) काफी हद तक गीला -

196, 197, 198, 199, 200, 201,

202, 203, 204, 205, 206, 207,

208, 209, 210, 211, 212, 213,

2 संक्षिप्त "वक्फ बोर्ड" के लिए

एच.

1240

214, 215, 216, 217, 218, 219,

220, 221, 222, 223, 224, 225,

226, 227, 228, 229, 231, 232,

233, 234, 235, 236, 237, 240,

241, 242, 244, 246, 247, 249,

250, 251, 252, 254, 256, 256,

257, 248, 258, 259, 260, 263, 264, 265 और डी. हजरत हुसैन शाह वली (11) से संबद्ध मणिकोंडा (वी) राज एंडरानगर (एम) आर. आर. जिले का 266 कुल विस्तार क्षेत्रः- 1654.32 जीटीएस

ग

हैदराबाद

(एसडी/-)

डी.

13-3-2006

मुख्य कार्यकारी अधिकारी "

2. उपरोक्त त्रुटि अधिसूचना को तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य, अब तेलंगाना राज्य 3 और आंध्र प्रदेश (अब तेलंगाना) अवसंरचना विकास निगम 4 द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष 2007 की रिट याचिका संख्या 23578 दायर करके चुनौती दी गई थी।2016 की सिविल अपील सं. 10770 को राज्य द्वारा उक्त रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ पेश किया गया है, जबकि निगम ने 1995 में आंध्र प्रदेश राज्य से हस्तांतरणकर्ता के रूप में 2016 की सिविल अपील सं. 10769 दायर की है।

ई.

3. 2016 की सिविल अपील संख्या 10776-10777 को एक विश्वविद्यालय द्वारा प्राथमिकता दी गई है, जिसे राज्य ने विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से 18.3.1998 पर गाँव मणिकोंडा में स्थित 200 एकड़ भूमि हस्तांतरित की थी।2016 की सिविल अपील संख्या 10773 अंतरिती मेसर्स एम्मार हिल्स टाउनशिप पी. लिमिटेड की ओर से इस आधार पर दायर की गई है कि 6.11.2002 पर, अपीलार्थी और निगम ने मणिकोंडा गांव में स्थित एकीकृत परियोजना के विकास के लिए प्रमुख शर्तों और संरचना को निर्धारित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।535 एकड़ भूमि का कब्जा ऐसे अपीलार्थी को 29.11.2005 पर सौंप दिया गया था, जिस पर अपीलार्थी ने एक बस्ती विकसित की है।2008 की रिट याचिका संख्या 4515 लैंको द्वारा दायर की गई थी।

च

जी.

एच.

3 संक्षेप में, "राज्य"

1241

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

क.

हिल्स टेक्नोलॉजी पार्क प्राइवेट लिमिटेड और 2016 की सिविल अपील संख्या 10768 उक्त रिट याचिका से उत्पन्न होती है। निगम के हस्तांतरणकर्ताओं की ओर से 2016 की सिविल अपील संख्या 10768 और 2016 की सिविल अपील संख्या 10775 दायर की गई हैं।2016 की सिविल अपील संख्या 10738 और 2016 की सिविल अपील संख्या 10776-10777 को आंध्र प्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल 5 द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश के खिलाफ अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ निर्देशित किया गया है।

4. उच्च न्यायालय ने चुनौती के तहत आदेश के माध्यम से राज्य या निगम द्वारा किए गए अलगाव को चुनौती देते हुए जनहित में दायर 2007 की रिट याचिका संख्या 17192,20372 और 20614 का भी फैसला किया।उच्च न्यायालय ने इन रिट याचिकाकर्ताओं को वक्फ न्यायाधिकरण से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी, जिसमें दरगाह हजरत हुसैन शाह 6 द्वारा दायर मुकदमा विचाराधीन है।दरगाह ने वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष निगम द्वारा किए गए अलगाव को चुनौती दी थी।इस प्रकार वर्तमान अपील राज्य, निगम और राज्य और/या निगम के समनुदेशकों द्वारा दायर की जाती हैं।

ग

डी.

A. विलय से ठीक पहले और उसके तुरंत बाद हैदराबाद राज्य और उसके प्रशासन की पृष्ठभूमि।

5. स्वतंत्रता के समय, अंग्रेजों ने रियासतों के शासकों को दोनों देशों, भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया था।महामहिम "हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान" 7 ने 11.6.1947 पर दोनों देशों की संविधान सभा में भाग लेने के लिए अपनी अनिच्छा की घोषणा की।इसके बाद, भारतीय सेना द्वारा "ऑपरेशन पोलो" शुरू किया गया जो 13.9.1948 पर शुरू हुआ।संप्रभु ने अंततः 17.9.1948 पर आत्मसमर्पण कर दिया।इसके बाद हैदराबाद राज्य भारत संघ का हिस्सा बन गया।मेजर जनरल जे. एन. चौधरी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सदर्न आर्मी को हैदराबाद राज्य का सैन्य गवर्नर नियुक्त किया गया था।संप्रभु ने 19.9.1948 पर एक फरमान 8 जारी किया जिसमें सैन्य गवर्नर को राज्य का प्रशासन करने का अधिकार दिया गया था जो अबान 20,1357 फसली, यानी 20.9.1948 पर अतिरिक्त-सामान्य राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।7.8.1949 पर, एक अन्य फरमान द्वारा, संप्रभु ने स्पष्ट किया कि राज्य के प्रशासन के लिए सभी प्राधिकरण अब

ई.

च

जी.

4 संक्षेप में, "निगम" 5 लघु के लिए, "वक्फ न्यायाधिकरण" 6 लघु के लिए, "दरगाह"

7 संक्षेप में, 'संप्रभु'

एच.

8 फ़र्मन भी-"शाही आदेश"

सैन्य गवर्नर के साथ निहित और उक्त अधिकार में विनियम बनाने का अधिकार भी शामिल था।ऐसा फरमान इस प्रकार पढ़ता हैः“19.9.1948

जबकि दक्षिणी सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ने मेजर जनरल जे. एन. चौधरी, ओ. बी. ई. को हैदराबाद राज्य का सैन्य राज्यपाल नियुक्त किया है और जबकि राज्य के प्रशासन के लिए सभी अधिकार अब उनके पास निहित हैं, मैं एतद्द्वारा राज्य के सभी विषयों को ऐसे आदेशों का पालन करने का आदेश देता हूं जो वे समय-समय पर जारी करने के लिए उचित समझते हैं।मैं राज्य प्रशासन के सभी अधिकारियों और राज्य की प्रजा से अपील करता हूं कि वे सैन्य राज्यपाल के प्रति वफादार और अडिग आज्ञाकारिता बरतें और राज्य में कानून और व्यवस्था की शीघ्र बहाली के लिए अपना आचरण करें।"

ग

“7.8.1949

आई. डी. 1 दिनांकित अपने फरमान के संदर्भ में, जिसमें मैंने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि राज्य के प्रशासन के लिए सभी अधिकार अब सैन्य राज्यपाल में निहित हैं, मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उक्त प्राधिकरण में विनियम बनाने का अधिकार शामिल है और इसमें हमेशा शामिल रहा है।"

डी.

6. इसके बाद, आई. डी. 1 पर, संप्रभु द्वारा श्री एम. के. वेल्लोदी, आई. सी. एस. को अपना मुख्यमंत्री नियुक्त करते हुए एक और फरमान जारी किया गया और प्रशासन की सभी शक्तियां जो उक्त तिथि से पहले सैन्य राज्यपाल में निहित थीं, मुख्यमंत्री द्वारा प्रयोग की जा सकती थीं।उक्त फरमान नीचे पढ़ा गया हैः

ई.

"1.12.1949

च

जबकि दक्षिणी सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ने 1 दिसंबर, 1949 से मेजर जनरल चौधरी, ओ. बी. ई. की हैदराबाद राज्य के सैन्य गवर्नर के रूप में नियुक्ति को समाप्त कर दिया है।

और जबकि उक्त तिथि से राज्य के प्रशासन के लिए अन्य व्यवस्था करना आवश्यक है;

जी.

इसलिए अब, मैं एतद्द्वारा उक्त तिथि से श्री एम. के. वेल्लोदी, सी. आई. ई., आई. सी. एस. को अपना मुख्यमंत्री नियुक्त करता हूं और आगे निर्देश देता हूं कि उक्त तिथि से पहले सैन्य राज्यपाल में निहित प्रशासन की सभी शक्तियों का उपयोग मुख्यमंत्री द्वारा किया जाए।"

एच.

1243

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

क.

7. सेना के राज्यपाल ने संप्रभु द्वारा उन्हें दिए गए अधिकार का प्रयोग करते हुए जागीरों को समाप्त करने और जागीरदारों और हिस्सेदारों को आवागमन और अंतरिम भत्ते का भुगतान करने के लिए हैदराबाद (जागीरों का उन्मूलन) विनियमन, 1358 फसली 9 पेश किया।विनियम शीर्षक वाला क़ानून 15 वें मेहर 1358 फसली, यानी 15.8.1949 AD को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। बाद में, मुख्यमंत्री ने संप्रभु के रूप में आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) जागीर (कम्यूटेशन) विनियमन, 1359 फसली 10 यानी 25.1.1950 को उन्मूलन विनियमन के तहत देय अंतरिम भत्ते की समाप्ति के बाद जागीरों के कम्यूटेशन की शर्तों को निर्धारित करने के लिए पेश किया।राष्ट्रपति ने भारत संघ के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना द्वारा संविधान के अनुच्छेद 31 (6) के तहत दो विनियमों, अर्थात् उन्मूलन विनियमन और कम्यूटेशन विनियमन को प्रमाणित किया, जो उस समय मौजूद थे।18.6.1951 पर, अनुच्छेद 31-ए और 31-बी और अनुसूची IX को शामिल किया गया था और उन्मूलन विनियमन और कम्यूटेशन विनियमन को अनुसूची IX में शामिल किया गया था। इस प्रकार, उपरोक्त दो विनियमों को इस आधार पर शून्य या कभी शून्य नहीं माना जाएगा कि विनियम संविधान के भाग III के किसी भी प्रावधान द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के साथ असंगत थे या उन्हें छीन या संक्षिप्त कर रहे थे।

ग

डी.

8. हैदराबाद राज्य का अंतिम निजाम, महामहिम मीर उस्मान अली खान 26 जनवरी 1950 से 31 अक्टूबर 1956 तक राजप्रमुख के रूप में था।भारत के संविधान को 26.1.1950 पर अपनाने के बाद हैदराबाद राज्य में 27.3.1952 पर आम चुनाव हुए थे।इसके बाद एक निर्वाचित मुख्यमंत्री ने श्री एम. के. वेल्लोदी से पदभार संभाला।निर्वाचित मुख्यमंत्री ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण तक पद संभाला, जब हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र का आंध्र राज्य में विलय किया गया, हैदराबाद राज्य के मराठी भाषी क्षेत्र का बॉम्बे राज्य में और कन्नड़ भाषी क्षेत्र का मैसूर राज्य में विलय किया गया।

ई.

च

9. सरवनलाल बनाम हैदराबाद राज्य (अब आंध्र प्रदेश) और अन्य के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में उन्मूलन विनियमन और कम्यूटेशन विनियमन की वैधता भी इस न्यायालय की एक संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए सामने आई। 11, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

जी.

9 संक्षेप में, 'उन्मूलन विनियमन' 10 संक्षेप में, 'कम्यूटेशन विनियमन' 11 ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 862

एच.

"11. यद्यपि अधिकार के प्रत्यायोजन द्वारा, सैन्य राज्यपाल को राज्य के सभी विभागों में राज्य के प्रशासन के मामले में महामहिम निजाम के सभी अधिकार दिए गए थे, लेकिन प्रतिनिधि मंडल के इस कार्य से महामहिम निजाम की संप्रभुता निस्संदेह समाप्त नहीं हुई थी।प्रतिनिधिमण्डल के होते हुए भी, उनके लिए सैन्य राज्यपाल द्वारा जारी किए गए आदेशों या विनियमों के विपरीत आदेश या विनियम जारी करने और सैन्य राज्यपाल के अधिकार को वापस लेने के लिए भी खुला था।हालाँकि, अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि 1948 के बाद और उन्मूलन विनियमन के लागू होने से पहले, सैन्य राज्यपाल का अधिकार वापस ले लिया गया था या कि महामहिम निजाम ने उन्मूलन विनियमन के साथ असंगत कोई आदेश या विनियमन जारी किया था।सैन्य राज्यपाल के अधिकार को दिसंबर 1949 में वापस ले लिया गया था, और मुख्यमंत्री को प्रशासन के उसी अधिकार के साथ निवेश किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से कानून की शक्ति भी शामिल थी, और उस अधिकार का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री ने कम्यूटेशन रेगुलेशन जारी किया था।

ग

डी.

12. जागीरों को फिर से शुरू करने और जागीरदारों के हितों को समाप्त करने के लिए संप्रभु शासक के रूप में महामहिम निजाम का अधिकार सैन्य राज्यपाल में निहित प्रतिनिधिमंडल द्वारा होने के कारण, बाद वाले की कार्रवाई की वैधता को कानूनी क्षमता की किसी भी कसौटी पर चुनौती देने के लिए खुला नहीं था।यह मानते हुए कि उन्मूलन विनियमन की घोषणा से पहले जागीरों को फिर से शुरू करने या जागीरदारों के हितों के विलुप्त होने के मामले में संप्रभु अधिकार का प्रयोग करने का कोई अवसर उत्पन्न नहीं हुआ था, इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है कि महामहिम निजाम ने अपनी संप्रभुता पर अपरिवर्तनीय रूप से प्रतिबंध लगा दिया था, या यह कि संप्रभु प्राधिकरण के सैन्य राज्यपाल के लिए प्रतिनिधिमंडल एक निहित प्रतिबंध के अधीन था कि जागीरों में जागीरदारों के हितों को अधिकार का प्रयोग करते हुए समाप्त नहीं किया जा सकता था।13. सैन्य राज्यपाल के अधिकार, अप्रतिबंधित होने के कारण, जब तक यह सुनिश्चित किया गया है, उन्मूलन विनियमन जारी करने में उनकी कार्रवाई को इस दलील पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह विधायी अधिकार का एक रंगीन अभ्यास था।अधिकार के रंगीन प्रयोग में अधिनियमित विधायी प्रावधानों की अयोग्यता का सिद्धांत उन विधानसभाओं पर लागू होता है जिनकी शक्तियां संवैधानिक प्रतिबंधों के अधीन हैं।जब ऐसा कोई विधायी निकाय ए की आड़ में या ढोंग करता है

ई.

च

जी.

एच.

प्रतिबंधों का पालन करना, किसी कानून को लागू करने में, उनसे बचना या उनसे बचना, यह केवल संविधान के साथ धोखाधड़ी है, और कानून को इस आधार पर अमान्य घोषित किया जा सकता है कि अधिनियम अधिकार के रंगीन प्रयोग में है, कानून वास्तव में निकाय की क्षमता से परे है।लेकिन एक विधायी प्राधिकरण द्वारा अधिनियमित एक क़ानून जिसकी शक्तियाँ किसी भी संवैधानिक या अन्य सीमाओं से बंधी नहीं हैं, को अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है जैसा कि इसकी शक्तियों के रंगीन प्रयोग में अधिनियमित किया गया है।

14. 1 दिसंबर, 1949 के फरमान के तहत मुख्यमंत्री का अधिकार, अपने विस्तार में, महामहिम निजाम के अधिकार जितना व्यापक था और कम्युटेशन विनियमन विधायी क्षमता के अभाव या विधायी अधिकार के रंगीन प्रयोग के आधार पर चुनौती देने के लिए उत्तरदायी नहीं था, जो शक्ति उनके द्वारा संप्रभु के प्रतिनिधि के रूप में विधायी शक्ति के रूप में प्रयोग की जाती थी।"

ग

10. इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि दोनों विनियमों को इस आधार पर किसी भी चुनौती से छूट दी गई है कि वे संविधान के भाग III के साथ असंगत या उल्लंघनकारी हैं।इस प्रकार, उन्मूलन विनियमन और कम्यूटेशन विनियमन वैधानिक हैं, जो 26.1.1950 पर संविधान लागू होने से पहले संप्रभु के फरमान के तहत जारी किए गए थे।

डी.

ई.

11. इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने एक निर्णय में बताया कि

सिकंदर जहाँ बेगम बनाम ए**.** पी**.** राज्य सरकार। **12** ने माना कि सैन्य गवर्नर

राज्य के प्रशासन के लिए सभी अधिकार थे और उन्हें सौंपे गए ऐसे अधिकार में विनियम बनाने का अधिकार शामिल था और हमेशा यह माना जाएगा कि इसमें शामिल था।सैन्य राज्यपाल ने संप्रभु की ओर से हैदराबाद राज्य के प्रशासन के प्रभारी के रूप में कानून बनाने की अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग किया।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः- “6. ऐसा प्रतीत होता है कि सैन्य राज्यपाल को हैदराबाद राज्य के प्रशासन का प्रभारी बनाए जाने के बाद, निजाम ने 19-9-1948 पर एक फरमान जारी किया, जिसमें सैन्य राज्यपाल को राज्य के प्रशासन के लिए सभी अधिकार सौंपे गए।इसके बाद, एक अन्य फरमान द्वारा उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सैन्य राज्यपाल को सौंपे गए अधिकार में विनियम बनाने का अधिकार शामिल है और हमेशा माना जाएगा।यह बाद का फरमान था

च

जी.

12 आकाशवाणी 1962 एससी 996

एच.

7-8-1949 पर जारी किया गया।नियत समय में, मुख्यमंत्री ने सैन्य राज्यपाल का स्थान लिया और निजाम ने 1-12-1949 पर एक फरमान जारी किया, जिसके तहत उनके द्वारा सैन्य राज्यपाल को सौंपी गई प्रशासन की सभी शक्तियां अधिसूचना समाप्त होने की तारीख से थीं और उक्त शक्तियां मुख्यमंत्री को सौंप दी गई थीं।इस तरह मुख्यमंत्री को प्रशासन की सभी शक्तियां सौंपी गईं जो निजाम के पास थीं।7. जब सैन्य राज्यपाल हैदराबाद राज्य के प्रशासन के प्रभारी थे, तो उन्होंने कानून बनाने की अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग किया और कई विनियमों को लागू किया।इनमें से एक हैदराबाद (जागीरों का उन्मूलन) विनियमन, 1358-एफ था। यह विनियमन 15-8-1949 पर लागू हुआ।मोटे तौर पर, इस विनियमन का प्रभाव यह था कि सभी जागीर भूमि को नियत दिन से राज्य की भूमि में शामिल कर लिया गया था और उनका प्रशासन जागीर प्रशासक को हस्तांतरित कर दिया गया था जिसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना था।विनियमन ने जागीरदारों या हिस्सेदारों या रखरखाव धारकों को जागीरों की शुद्ध आय से नकद भुगतान करने के लिए आवश्यक प्रावधान किए।इस व्यवस्था का उद्देश्य जागीरों के लिए भुगतान किए जाने वाले आवागमन के बारे में प्रश्न के अंतिम निपटारे तक एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में काम करना था। इस विनियमन का कुछ महीनों बाद हैदराबाद जागीर (कम्यूटेशन) विनियमन, 1359-एफ द्वारा पालन किया गया जो 25-1-1950 पर लागू हुआ।इस विनियमन द्वारा, जागीर के परिवर्तित मूल्य के माध्यम से मुआवजे के भुगतान के लिए प्रावधान किया गया था जिसे जागीर प्रशासक द्वारा विनियमन के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना था।"

ग

डी.

ई.

च

12. इस प्रकार, हम दोहराते हैं कि सैन्य राज्यपाल और बाद में मुख्यमंत्री के पास सभी विधायी और कार्यकारी शक्तियां थीं जो संप्रभु के पास 19.9.1948 पर अपने आत्मसमर्पण से पहले थीं, जब तक कि संविधान 26.1.1950 पर लागू नहीं हुआ।

ख**.** जागीरों**,** जागीरदारों और जागीर उन्मूलन विनियम की पृष्ठभूमि।

जी.

13. 'ऑपरेशन पोलो' के संचालन से पहले ही हैदराबाद राज्य को एक ओर विद्रोहियों और दूसरी ओर संप्रभु के प्रति वफादार बलों द्वारा गर्मी का सामना करना पड़ रहा था।हैदराबाद राज्य के पूर्व में तेलंगाना क्षेत्र के रूप में जाने जाने वाले नलगोंडा और वारंगल जिलों में विद्रोह शुरू हुआ।संप्रभु ने एक शाही आयोग ए नियुक्त किया

एच.

1247

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

1945 या 1946 में सर एल्बियन राजकुमार बनर्जी की अध्यक्षता में।संदर्भ की शर्तों में से एक "जागीरदारों के अधिकार और दायित्व राज्य और उनकी जागीरों के भीतर रहने वाले शासक की प्रजा के प्रति थे।"अध्याय IV में आयोग ने जागीरों के वर्गीकरण और उनकी प्रकृति पर चर्चा की।जागीर धारकों की स्थिति और उनकी प्रशासन की शक्तियों के अनुसार चार प्रकार के थे जैसे कि पैगाह; प्रमुख रईसों के इलाखा; समस्तन; और अन्य जागीर।जागीरों की पहली तीन श्रेणियाँ वर्तमान अपीलों के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

1. संदर्भ की शर्तों को संबोधित करने के लिए, शाही आयोग ने अतियत न्यायालय नामक विशेष अदालतों द्वारा मृतक जागीरदार के मामले में उत्तराधिकार से संबंधित सभी विवादों का फैसला करने के लिए अतियत 13 कानून के संहिताकरण का सुझाव दिया।इसके बाद, संप्रभु के अधिकार के तहत क्रमशः सैन्य राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा उन्मूलन और कम्यूटेशन विनियम लागू किए गए।2. शाही आयोग में उल्लिखित अन्य जागीरें दो प्रकार की थीं जैसे कि छूट (मुस्तस्ना) और गैर-छूट वाली जागीर (गैर

मुस्तस्ना)।एक मुस्तस्ना जागीर को दीवानी अधिकार क्षेत्र से छूट दी गई थी।जागीर को छूट घोषित करने या छूट प्राप्त जागीर से विशेषाधिकार छीनने की शक्ति संप्रभु के पास थी।मशरूती (सशर्त) और घैर मशरूती (बिना शर्त) इनाम को पारंपरिक जागीर माना जाता था।सशर्त अनुदान आमतौर पर किसी सेवा "खिदमत" या अन्य द्वारा सशर्त होते थे, जबकि बिना शर्त अनुदान वे होते थे जो अनुदानकर्ता या उसके परिवार द्वारा प्रदान की गई योग्यता या पिछली सेवाओं की मान्यता में व्यक्तिगत सम्मान के रूप में प्रदान किए जाते थे।

ग

डी.

ई.

3. जागीरें अपनी प्रकृति के अनुसार आठ श्रेणियों में आती हैं।वर्तमान अपील के लिए जो प्रासंगिक है वह मदद मश (रखरखाव द्वारा सशर्त व्यक्तिगत अनुदान) है, जिसका उद्देश्य धारक और उसके परिवार के रखरखाव के लिए है।जागीरें या तो स्थायी रूप से या अनुदान प्राप्तकर्ता के जीवनकाल के लिए दी जाती थीं।प्रत्येक धारक की मृत्यु के बाद, अगला उत्तराधिकारी निर्धारित करने के लिए एक जांच की गई।मृतक जागीरदार के उत्तराधिकार से संबंधित सभी विवादों का फैसला अतियत अदालतों द्वारा किया जाता था।1332 फसली (19.3.1923) के एक गश्ती (परिपत्र) ने राजस्व विभाग के तहत अदालतों में प्रक्रिया के अनुसार विवादों की जांच और तेजी से निपटान के लिए अतियत निदेशालय (क्राउन ग्रांट) का गठन किया।लेकिन आमदनी

च

जी.

13 अनुदान, वजीफा या भत्ता।

एच.

1248

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 19 एस सी आर।

विभाग ने शेष कार्य के लिए अपने संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन करना जारी रखा।कानूनी अधिकारों से जुड़े पक्षों के बीच गंभीर मुद्दों को उठाने वाले न्यायिक मामलों को प्रशासनिक तंत्र के हाथों से निकाला जाना था और न्यायिक प्रक्रिया के तहत अतियत निदेशालय द्वारा निपटा जाना था।इसके बाद 1338 एफ (1928) का परिपत्र संख्या 10 जारी किया गया था जिसे अतियत पूछताछ अधिनियम की धारा 15 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। 14.

14. हममें से एक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम ने संबंधित प्रश्नों के इतिहास का पता लगाया

राज किशन पर्सद और अन्य बनाम एक निर्णय में भूमि विवाद।संयुक्त

कलेक्टर-I और अन्य। 15.उच्च न्यायालय ने कहा कि उन्मूलन विनियम वर्ष 1949 में अधिनियमित किए गए थे, लेकिन उन्होंने किसानों को सांत्वना नहीं दी।इसलिए, समस्या की जांच करने और समाधान सुझाने के लिए 1949 में एक कृषि सुधार समिति का गठन किया गया था।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

ग

“93. पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य (जिसका हिस्सा अब तेलंगाना बन गया है) की भूमि को मोटे तौर पर दो समूहों में विभाजित किया गया था, अर्थात् (1) सरकार के प्रत्यक्ष प्रबंधन के तहत भूमि, जिससे राजस्व सरकारी खजाने में जाता था (इन भूमि को

दीवानी या खलीसा भूमि कहा जाता था) और (2) भूमि, जिसका राजस्व पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी विशेष उद्देश्य के लिए सौंपा गया था।

डी.

ई.

94. दूसरी श्रेणी की भूमि को आगे उप-विभाजित किया गया (i) सरफ-ए-खास भूमि, जो निज़ाम की संपत्ति का हिस्सा थी और जो फरवरी, 1949 में दीवानी में विलय हो गई और (ii) ऐसी भूमि जो राज्य अनुदान का विषय थी और जिससे होने वाले राजस्व को कुछ व्यक्तियों के पक्ष में पूरी तरह या आंशिक रूप से जागीर या इनाम के रूप में सौंपा गया है।

च

101. कृषि सुधार समिति ने अपनी सिफारिशें कीं, जिन्हें श्री एम. के. वेल्लोदी की अध्यक्षता वाली सरकार ने स्वीकार कर लिया और हैदराबाद किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1950 के रूप में जाना जाने वाला एक अधिनियम पारित किया गया। कुछ अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं ने इस अधिनियम को स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों का नेतृत्व करने वाला बताया था।"

जी.

14 स्रोत-AIR 1956 SC 319 15 (2018) 6 ALT 79 (DB)

एच.

1249

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

क.

15. उन्मूलन विनियमन 15.8.1949 पर लागू हुआ जब इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।अधिनियम के प्रारंभ पर धारा 4 ने जागीरदारों को समाप्त कर दिया, जबकि अधिनियम की धारा 5 द्वारा जागीरों के प्रशासन के लिए सरकार को जागीर के हस्तांतरण पर विचार किया गया था। जागीरदार को धारा 5 की उप-धारा (2) के तहत जागीरों का प्रबंधन जागीर प्रशासक को सौंपना था।अधिनियम की धारा 6 के संदर्भ में, जागीर को नियत दिन से दीवानी में शामिल किया जाएगा और जागीर के संबंध में जागीरदार की सभी शक्तियां, अधिकार और देनदारियां जागीरदार द्वारा या उसके खिलाफ प्रयोग करने योग्य और प्रवर्तनीय नहीं होंगी और केवल जागीर प्रशासक द्वारा/उसके खिलाफ ही की जा सकती हैं।कृषि सुधारों के हिस्से के रूप में क़ानून के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:"एपी। (टीए) (जैगर्स का उन्मूलन)

ग

विनियमन, 1358 एफ।

नहीं। 1358 एफ का एलएक्सआईएक्स

भाग-I

डी.

प्रारम्भिक

XXX

XXX

XXX

(च) जागीर "में एक पैगाह, जागीर का संस्थान भाग, गाँव मुक्तम गाँव अग्रहार, उमली और मुकासा शामिल हैं, चाहे वे किसी शासक या जागीरदार द्वारा दिए गए हों, और धारा 5 के तहत जागीर के लिए निर्धारित तिथि से शुरू होने वाली अवधि के संबंध में, इसलिए जागीर का गठन करने वाली संपत्ति का अर्थ है।

ई.

(छ) "जागीर प्रशासक" से धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त जागीर प्रशासक और धारा 3 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट इस विनियमन के तहत नियमों के अधीन होना अभिप्रेत है।जागीर प्रशासक के सभी संदर्भों को सहायक जागीर प्रशासक के संदर्भ के रूप में पढ़ा जाएगा।

च

XXX

XXX

XXX

3. जागीर प्रशासक की नियुक्तिः— (1) द.

[सरकार] एक जागीर प्रशासक और उतने सहायक जागीर प्रशासकों की नियुक्ति करेगी जितने वह इस विनियमन के उचित प्रशासन के लिए आवश्यक समझते हैं।

जी.

XXX

XXX

XXX

4. जागीरदारों की नियुक्ति बंद होगीः- इस विनियमन की शुरुआत के बाद, किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाएगा, या किया जाएगा

एच.

जागीरदार के रूप में मान्यता प्राप्त, चाहे वह किसी मृत जागीरदार के उत्तराधिकार में हो या अन्यथा।

भाग-II

प्रशासन का हस्तांतरण और उनके अनुरूपताएँ

5. प्रशासन के हस्तांतरण के लिए तिथियों की नियुक्तिः- (1) इस विनियमन के शुरू होने के तुरंत बाद सरकार जागीरों के प्रशासन की सरकार को हस्तांतरण के लिए एक तारीख निर्धारित करेगी और अलग-अलग जागीरों के लिए अलग-अलग तारीखें निर्धारित कर सकती है।

(2) इस प्रकार निर्धारित तिथि पर कोई जागीर (जिसे इसके बाद नियत दिन के रूप में संदर्भित किया गया है) जागीरदार जागीर प्रशासक को जागीर का प्रबंधन सौंपेगा और उसे चालू में जागीर के कारण प्राप्त राजस्व और व्यय का लेखा, या यदि जागीर प्रशासक ऐसा चाहता है, तो खाते के तुरंत चलने वाले वर्ष में, जहां तक ऐसा राजस्व और व्यय उस वर्ष के लिए जिम्मेदार हैं, उसे प्रस्तुत करेगा।XXX

डी.

XXX

6. नियत दिन से शक्तियाँ, अधिकार और देनदारियाँः- नियत दिन से -

ई.

(1) जागीर को दीवानी में शामिल किया जाएगा और जब तक कि [आंध्र प्रदेश तेलंगाना क्षेत्र भूमि राजस्व अधिनियम, 1317 एफ] के तहत गठित जिले में शामिल नहीं किया जाता है, तब तक जागीर प्रशासक द्वारा प्रशासित किया जाएगा।

भाग-IV

च

असंसदीय

XXX

XXX

XXX

16. मंदिरों आदि को दी गई जागीरों के लिए विशेष प्रावधानः- इस विनियम के प्रावधान मंदिर या मस्जिद या धार्मिक या सार्वजनिक उद्देश्य से स्थापित किसी भी संस्था को दी गई किसी भी जागीर पर लागू होंगे।

जी.

बशर्ते कि ऐसी जागीर-(क) के मामले में सरकार को भुगतान किए जाने वाले सकल राजस्व का प्रतिशत, क में कुछ भी निहित होने के बावजूद, होगा।

एच.

1251

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

धारा 8, ऐसा प्रतिशत हो जो दस से अधिक न हो क्योंकि सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा या तो आम तौर पर या किसी विशेष जागीर या जागीर के किसी विशेष वर्ग के संबंध में निर्देश दे सकती हैः

(ख) शुद्ध आय का वितरण या उपयोग इस विनियमन के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा जो इस तरह से बनाए जाएंगे कि अनुदानकर्ता की इच्छाओं का यथासंभव सम्मान किया जाए और प्रथा और उपयोग के अनुरूप हो।"

16. कम्यूटेशन रेगुलेशन 25.1.1950 पर लागू हुआ जो उन्मूलन विनियमन की धारा 14 के संदर्भ में देय अंतरिम भत्ते की समाप्ति के बाद रखरखाव की राशि का कम्यूटेशन प्रदान करता है।उक्त कानून का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः- “एपी। (टीए) जागर्स (संचार) विनियमन, 1359 एफ।

ग

नहीं। 1359 एफ का XXV।

डी.

XXX

XXX

XXX

10. धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों की सेवा के समर्थन के लिए दी गई जागीरों के लिए विशेष प्रावधान।

(1) इस विनियम का प्रावधान जहां तक हो सके, किसी भी जागीर पर लागू होगा -

ई.

((क) किसी धार्मिक या धर्मार्थ संस्था के नाम पर या उसके समर्थन के लिए; या

(ख) किसी भी व्यक्ति को किसी भी सेवा या दान के उद्देश्यों के लिए, ऐसी सेवा या दान जो किसी धार्मिक या धर्मार्थ संस्था से जुड़ी सार्वजनिक प्रकृति का हो।

च

(2) सरकार 1 अप्रैल 1950 से शुरू होने वाले हर वर्ष संस्थान को संस्थान की सेवा के लिए भुगतान करेगी, जब तक कि यह मौजूद है -

जी.

((i) उप-धारा (1) के खंड (क) में उल्लिखित मामले में धारा 4 में निर्दिष्ट सकल मूल राशि के 90 प्रतिशत के समतुल्य राशि; और

((ii) उप-धारा (1) के खंड (ख) में उल्लिखित मामले में धारा 4 में निर्दिष्ट सकल मूल राशि के 50 प्रतिशत के समतुल्य राशि।

एच.

उप-धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति इसके बाद किसी भी सेवा या दान देने के दायित्व से मुक्त हो जाएगा, लेकिन वह इस विनियमन के तहत निर्धारित की जाने वाली परिवर्त्तन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) उप-धारा (2) के तहत किसी धार्मिक या धर्मार्थ संस्थान को भुगतान की गई राशि का आवेदन उस तरीके से किया जाएगा जो निर्धारित किया जाए।

व्याख्याः— इस खंड में -

(क) "धार्मिक संस्था" से कोई भी धार्मिक प्रतिष्ठान जैसे मंदिर, मंदिर, मस्जिद, दरगाह या ऐसा ही कोई स्थान और ज्ञात पता जो आम जनता या किसी समुदाय या उसके वर्ग को सार्वजनिक धार्मिक पूजा के स्थान के रूप में समर्पित है या अधिकार के रूप में उपयोग किया जाता है;

(ख) "धर्मार्थ संस्था" का अर्थ है धर्मार्थ प्रतिष्ठानों द्वारा, एक विशिष्ट स्थान और ज्ञात पते के साथ जो आम जनता या किसी समुदाय या उसके अनुभाग को किसी पवित्र, धर्मार्थ या परोपकारी उद्देश्य के लिए समर्पित है, या उनके लाभ के लिए है, या उनके द्वारा उपयोग किया जाता है।

डी.

17. इस प्रकार, उन्मूलन विनियम द्वारा, सभी जागीर भूमि को राज्य की भूमि में शामिल किया गया था और सभी जागीरों का प्रशासन एक जागीर प्रशासक को हस्तांतरित किया जाना था जिसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना था (धारा 5 और 6 के अनुसार)।कानून ने जागीरों के लिए आवागमन निर्धारित होने तक अंतरिम रखरखाव भत्ते का प्रावधान किया (धारा 14)।उस तारीख से, जागीरदारों या हिस्सेदारों या रखरखाव धारकों को केवल उस विनियमन (धारा 6) के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई जागीरों की शुद्ध वार्षिक आय से नकद भुगतान प्राप्त करना था।यह विशेष रूप से प्रावधान किया गया था कि यदि कोई जागीरदार या हिसार की मृत्यु हो जाती है, तो शुद्ध आय में उसका हिस्सा उसके व्यक्तिगत कानून (धारा 6 (8)) के अनुसार हस्तांतरित हो जाएगा, जिससे पिछले कानून को निरस्त कर दिया जाएगा कि जागीर का उत्तराधिकार पूरी तरह से निजाम द्वारा उसकी मान्यता या प्रतिदान पर निर्भर था।हालाँकि ऐसा हिस्सा सरकार की पूर्व मंजूरी (धारा 6 (7)) के बिना हस्तांतरणीय नहीं था।इस प्रकार, वास्तव में, मूल जागीर कार्यकाल को समाप्त कर दिया गया था और इन विनियमों के तहत, अंतरिम रखरखाव के माध्यम से इसकी शुद्ध आय का एक हिस्सा प्राप्त करने का एक वंशानुगत लेकिन अविभाज्य व्यक्तिगत अधिकार प्रतिस्थापित किया गया था।

ई.

च

जी.

एच.

1253

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

क.

ग**.** आंध्र प्रदेश **(**तेलंगाना क्षेत्र**)** अतियत पूछताछ अधिनियम**, 1952**

18. हैदराबाद अतियत पूछताछ अधिनियम, 1952 16 को 14 मार्च 1952 को राजपत्र संख्या 21 में प्रकाशित किया गया था।बाद में, हैदराबाद अतियत पूछताछ (संशोधन) अधिनियम, 1956 (अधिनियम सं. 1956 का XXVIII)।इस तरह का संशोधन अधिनियम 5 सितंबर 1956 को प्रकाशित किया गया था।इस अधिनियम का शीर्षक अब आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) अतियत पूछताछ अधिनियम, 1952 है।वर्तमान अपीलों के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

“(1) इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी अप्रिय न हो -

ग

(क) "अतियत न्यायालय" से ऐसा न्यायालय या प्राधिकरण अभिप्रेत है जो अतियत अनुदानों और उनके सहायक मामलों में उत्तराधिकार के दावों और किसी अधिकार, स्वामित्व या हित के बारे में अतियत पूछताछ और पूछताछ करने के लिए सक्षम हो;

डी.

*[(ख) "अतियत अनुदान" का अर्थ है -

(i) जागीरों के मामले में [तेलंगाना (जागीरों का उन्मूलन) विनियमन, 1358 एफ] के तहत समाप्त कर दिया गया है।

ई.

((ii) जिन इनामों पर [तेलंगाना इनाम उन्मूलन अधिनियम, 1954] लागू नहीं है;

(iii) [तेलंगाना इनाम उन्मूलन अधिनियम, 1954] के तहत समाप्त इनाम के मामले में उस अधिनियम के तहत देय मुआवजा;]

च

XXX

XXX

XXX

(ग) "मुंतखाब और वसीकास" का अर्थ है इनाम के परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए दस्तावेज या दस्तूर-उल-अमल इनाम या इस विषय पर अन्य सरकारी आदेशों के तहत की गई उत्तराधिकार पूछताछ और अतियत अनुदान की निरंतरता या पुष्टि के माध्यम से जारी किए गए दस्तावेज;

जी.

(घ) "अतियार अनुदान रखने" का अर्थ है मुंतखाब, वसीका या किसी सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश के आधार पर अतियत अनुदान का आनंद लेना;

एच.

16 संक्षेप में, "पूछताछ अधिनियम"

1254 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 19 एस. सी. आर.

अतियत अनुदान के बारे में सामान्य प्रावधान।

2. सभी अतियत अनुदान, [तेलंगाना (जागीरों का उन्मूलन) विनियमन, 1358 एफ.], हैदराबाद नकद अनुदान उन्मूलन अधिनियम, 1952 (1952 का XXXIII) और [तेलंगाना इनाम उन्मूलन अधिनियम, 1954] के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इसके धारकों के पास इस अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित मुंतखाब या वसीक में निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए बने रहेंगे।

3. *[अतियत अनुदानों की निरंतरताः- सभी अतियत अनुदान, आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) (जागीरों का उन्मूलन) विनियमन, 1358 एफ., हैदराबाद नकद अनुदान उन्मूलन अधिनियम, 1952 (1952 का XXXIII) और आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) इनाम उन्मूलन अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इसके धारकों द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित मुंतखाब या वसीका, यदि कोई हो, में निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए आयोजित किए जाते रहेंगे।

ग

डी.

3-ए. (1) धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के उपखंड (आई) में निर्दिष्ट अतियत अनुदानों के मामले में, अतियत पूछताछ और उसमें किसी भी अधिकार, स्वामित्व या हित के बारे में पूछताछ, [तेलंगाना (जागीरों का उन्मूलन) विनियमन, 1358 एफ] में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अतियत न्यायालयों में आयोजित की जाएगी, और ऐसी जांचों के दौरान, अतियत न्यायालय ऐसे अनुदानों के संबंध में उत्तराधिकार के दावों की जांच करने में भी सक्षम होंगेः

ई.

बशर्ते कि ऐसे किसी भी अनुदान की अतियत पूछताछ पूरी होने के बाद उत्पन्न होने वाले उत्तराधिकार के दावों पर किसी भी अतियत न्यायालय में विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे सभी दावे सक्षम दीवानी न्यायालय में दायर किए जाएंगे और उन पर निर्णय लिया जाएगा।

च

(2) धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) से (vi) में विनिर्दिष्ट अतियत अनुदानों के मामले में, सभी अतियत पूछताछ, उत्तराधिकार के दावों के बारे में पूछताछ, या उसमें कोई अधिकार, अधिकार या हित और उसके सहायक मामले इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अतियत न्यायालयों में आयोजित किए जाएंगे।]

जी.

XXX

XXX

XXX ए

एच.

1255

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

अतियत न्यायालयों का गठन**,** उनकी अधिकारिता और प्रक्रिया।

12. *[(1)] जहाँ तक उत्तराधिकार, वैधता, तलाक या व्यक्तिगत कानून के अन्य प्रश्नों का संबंध है, सिविल न्यायालय का अंतिम निर्णय इस अधिनियम के तहत स्थापित अतियत न्यायालय द्वारा संबंधित पक्ष द्वारा उसके संज्ञान में लाए जाने वाले निर्णय पर प्रभावी होगा या अन्यथा इस बात की परवाह किए बिना कि अतियत न्यायालय का निर्णय सिविल न्यायालय के निर्णय से पहले या बाद में दिया गया था।

[(2) यदि उत्तराधिकार के दावों के बारे में किसी भी पूछताछ के दौरान, उत्तराधिकार, वैधता, तलाक या व्यक्तिगत कानून के अन्य प्रश्नों से जुड़ा कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अतियत न्यायालय पक्षों को सक्षम दीवानी न्यायालय में विवाद का निर्णय लेने का निर्देश देगा।सिविल न्यायालय के अंतिम निर्णय को प्रस्तुत करने पर, अतियत न्यायालय ऐसे निर्णय को प्रभावी बनाएगा।]

ग

डी.

XXX

XXX

XXX

*[16.इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे-(ए) धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के उप-खंड (आई) में निर्दिष्ट अतियत अनुदान के लिए जब परिवर्त्तन राशि देय नहीं रह जाती है;

ई.

(ख) धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (iii) में विनिर्दिष्ट अतियत अनुदान के लिए, जब क्षतिपूर्ति का भुगतान करना समाप्त हो गया है;

च

(ग) धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (v) में विनिर्दिष्ट अतियत अनुदान के लिए, जब ऐसा अनुदान जारी रहना बंद हो गया हो;

((घ) धारा (2) की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (vi) में विनिर्दिष्ट अतियत अनुदान को, जब क्षतिपूर्ति देय नहीं रह गई है।

जी.

* अधिनियम संख्या द्वारा प्रतिस्थापित। 1956 का XXVIII "

22. राजा रामचंद्र रेड्डी और अन्न बनाम में यह न्यायालय।रानी

शंकरम्मा और ओआरएस। **17,** शीर्षक के सवाल पर विचार कर रहा था

17 आकाशवाणी 1956 एस. सी. 319

एच.

1256

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 19 एस सी आर।

हैदराबाद के अतियत कानून के अनुसार संप्रभु द्वारा अनुदान या मान्यता।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मूल जागीर कार्यकाल को समाप्त कर दिया गया था और उन्मूलन विनियमन के प्रारंभ के समय से, जागीरदारों या हिस्सेदारों या रखरखाव धारकों को केवल धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई जागीर की शुद्ध वार्षिक आय में से नकद भुगतान प्राप्त करना था।जागीरदार या उसकी मृत्यु के बाद हिस्सेदार का हिस्सा, उसके व्यक्तिगत कानून के अनुसार हस्तांतरित किया जाएगा, जिससे पिछले कानून को निरस्त कर दिया जाएगा कि जागीर अधिकार का उत्तराधिकार पूरी तरह से निजाम द्वारा मान्यता या प्रतिगमन पर निर्भर था।इसमें जिस प्रश्न की जांच की गई थी, वह यह था कि क्या मुख्यमंत्री के आदेश को पूछताछ अधिनियम की धारा 13 के उपखंड (2) द्वारा संरक्षित किया गया था, जिसे उनके अधिकार के तहत संप्रभु द्वारा पारित किया गया था।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

ग

"5. हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई सितंबर, 1948 में हुई थी।इसकी समाप्ति के बाद सैन्य राज्यपाल द्वारा निजाम के फरमान द्वारा उन्हें प्रदान की गई शक्ति के आधार पर विधायी उपायों की एक श्रृंखला अधिनियमित की गई थी।

डी.

इनमें से एक उपाय हैदराबाद (जागीरों का उन्मूलन) विनियमन, 1358 एफ है। (नियम सं। 1358 एफ का एलएक्सएक्सआईएक्स) जो 15-8-1949 पर लागू हुआ।इस विनियम द्वारा, मोटे तौर पर, सभी जागीर भूमि को नियत दिन से राज्य की भूमि में शामिल किया गया था और सभी जागीरों का प्रशासन सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले जागीर प्रशासक को हस्तांतरित किया जाना था (धारा 5 और 6)।

ई.

उस तारीख से जागीरदारों या हिस्सेदारों या रखरखाव धारकों को केवल उस विनियमन (धारा 6) के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई जागीरों की शुद्ध वार्षिक आय से नकद भुगतान प्राप्त करना था।यह अंतरिम रखरखाव भत्ते के रूप में होना था जब तक कि जागीरों के लिए आवागमन निर्धारित नहीं हो जाता (धारा 14)।

च

यह विशेष रूप से प्रावधान किया गया था कि यदि कोई जागीरदार या हिसार की मृत्यु हो जाती है, तो शुद्ध आय में उसका हिस्सा उसके व्यक्तिगत कानून (धारा 6 (8)) के अनुसार हस्तांतरित हो जाएगा, जिससे पिछली कानून को निरस्त कर दिया जाएगा कि जागीर अधिकार का उत्तराधिकार पूरी तरह से निजाम द्वारा उसकी मान्यता या प्रतिदान पर निर्भर करता है।हालाँकि ऐसा हिस्सा सरकार की पूर्व मंजूरी (धारा 6 (7)) के बिना हस्तांतरणीय नहीं था।

जी.

एच.

1257

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

क.

यह भी प्रावधान किया गया था कि विनियमन के प्रारंभ के बाद किसी भी व्यक्ति को जागीरदार के रूप में नियुक्त या मान्यता प्राप्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी मृत जागीरदार के उत्तराधिकार में हो या नहीं।

अन्यथा (एस. 4)।इस प्रकार प्रभावी रूप से मूल जागीर कार्यकाल को समाप्त कर दिया गया और इस विनियमन के तहत अंतरिम रखरखाव के माध्यम से इसकी शुद्ध आय का एक हिस्सा प्राप्त करने के लिए एक वंशानुगत लेकिन अविभाज्य व्यक्तिगत अधिकार को प्रतिस्थापित किया गया।....."

D. आंध्र प्रदेश **(**तेलंगाना क्षेत्र**)** इनाम उन्मूलन अधिनियम**, 1955**।

23. आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) इनाम उन्मूलन अधिनियम, 1955-18 को संप्रभु या जागीरदार आदि द्वारा उपहार में दी गई या अनुदान के रूप में दी गई इनाम भूमि को समाप्त करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इनाम उन्मूलन अधिनियम के कुछ प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

"आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) इनाम उन्मूलन अधिनियम, 1955

डी.

(अधिनियम सं। 1955 का VIII)

अध्याय **I** प्रारंभिक

ई.

XXX

XXX

XXX

(ग) "इनाम" से निजाम या किसी जागीरदार, संस्थान के धारक या अन्य सक्षम अनुदानकर्ता द्वारा दिए गए उपहार या अनुदान के तहत रखी गई भूमि अभिप्रेत है और सेवा की शर्त के साथ या उसके बिना मुंतखाब या अन्य स्वामित्व विलेख के आधार पर जारी या पुष्टि की गई है और उस पर पूरे या भूमि राजस्व के हिस्से की माफी के साथ और गाँव के अभिलेखों में दर्ज की गई है और इसमें शामिल हैं -

च

((i) अराज़ीमाख्त, अराज़ीग्रह और सेरीनाम; और

((ii) लंबे समय तक कब्जे के कारण इनाम के रूप में रखी गई भूमि और गाँव के अभिलेखों में इनाम के रूप में दर्ज की गई भूमिः

जी.

बशर्ते कि पूर्व जागीर क्षेत्रों के संबंध में, इनाम पद में ऐसी भूमि शामिल नहीं होगी जिन्हें जागीरों के उन्मूलन के बाद सरकार द्वारा इनाम के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

18 संक्षेप में "द इनामस एबोलिशन एक्ट"

एच.

(घ) "इनामदार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपने लाभ या न्यास के लिए इनाम या उसमें हिस्सेदारी रखता है और इसमें इनामदार के हित में उत्तराधिकारी भी शामिल है, और

(i) जहाँ कोई इनामदार नाबालिग या अस्वस्थ दिमाग का या मूर्ख है, उसका वैध अभिभावक;

((ख) जहां इनामदार एक संयुक्त हिंदू परिवार है, वहां ऐसा संयुक्त हिंदू परिवार;

अध्याय **II**

इनामों का उन्मूलन और निहित करना और उसके परिणाम

ग

खंड **3.**इनामों का उन्मूलन और निहित करना और

इसके परिणामः—(1) किसी भी उपयोग, निपटान, अनुबंध, अनुदान, सनद, आदेश या अन्य लिखत, अधिनियम, विनियम, नियम या आदेश में विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद, जो कानून का बल रखता है और सिविल, राजस्व या अतियत न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, और निहित होने की तारीख से प्रभावी, सभी इनाम * (जिन पर यह अधिनियम इस अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (2) के तहत लागू किया गया है) को समाप्त कर दिया गया माना जाएगा और राज्य में निहित होगा।

डी.

*[(2) इस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा या उनके तहत स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर और निहित करने की तारीख से निम्नलिखित परिणाम सामने आएंगे, अर्थात्:

ई.

(क) इनामों से संबंधित भूमि राजस्व अधिनियम, 1317 फसली के प्रावधान, और आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) अतियत जांच अधिनियम, 1952, अधिनियम 10,1952 के प्रावधान और अतियत अनुदानों के संबंध में लागू अन्य अधिनियम, नियम विनियम और परिपत्र, इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत हैं, लागू नहीं होंगे और भूमि राजस्व अधिनियम, 1317 फसली के प्रावधान, भूमि राजस्व के उद्देश्यों के लिए असंबद्ध भूमि से संबंधित, उक्त इनामों पर लागू होंगे।

च

जी.

[1961 के ए. पी. अधिनियम IX द्वारा संशोधित]

XXX

XXX

XXX ए

एच.

1259

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

(3) उप-धारा (1) और (2) में निहित कुछ भी इनामदार द्वारा किसी भी राशि की वसूली के लिए एक बाधा के रूप में काम नहीं करेगा जो इनामदार के रूप में अपने अधिकारों के आधार पर निहित होने की तारीख से पहले उसे देय हो जाती है और ऐसी कोई भी राशि उसके द्वारा किसी भी कानूनी प्रक्रिया द्वारा वसूली योग्य होगी, जो इस अधिनियम के अलावा उसके लिए उपलब्ध होगी।

अध्याय **III**

मुआवजे का निर्धारण**,** विभाजन और भुगतान

धारा **12.**देय मुआवजे का निर्धारण

ग

इनामदारः— धारा 3 के तहत समाप्त इनाम के लिए इनामदार को देय मुआवजा नीचे निर्दिष्ट राशियों का योग होगाः—

(i) धारा 4 और 5 के तहत इनामदार और कबीज़-ए-कदीम के नाम पर पंजीकृत इनाम भूमि के संबंध में, भूमि राजस्व और जूडी या किराए के बीच के अंतर के बीस गुना के बराबर राशि;

डी.

((ii) इनामदार को उसके स्थायी किरायेदार, संरक्षित किरायेदार और गैर-संरक्षित किरायेदार के नाम पर पंजीकृत भूमि से उपार्जित आय के संबंध में, धारा 6,7 और 8 के तहत प्रभारित प्रीमियम के साठ प्रतिशत के बराबर राशि, जैसा भी मामला हो।

ई.

XXX

XXX

XXX

धारा 15.मुआवजे का भुगतानः— (1) द.

क्षतिपूर्ति निहित करने की तारीख से देय होगी और निहित करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक प्रति वर्ष दो और तीन-चौथाई प्रतिशत की दर से ब्याज होगा।

च

(2) इस अधिनियम के तहत देय मुआवजे का भुगतान इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से एक या अधिक तरीकों से किया जा सकता है, अर्थात्:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

(i) पूर्ण रूप से या दस से अधिक की वार्षिक किश्तों में नकद में; (ii) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट दर पर ब्याज ले जाने वाले या तो परक्राम्य या परक्राम्य नहीं होने वाले बांडों में और दस साल से अधिक की निर्दिष्ट अवधि के भीतर परिपक्व होने वाले गारंटीकृत अंकित मूल्य में।

एच.

1260 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 19 एस. सी. आर.

ई. हैदराबाद राज्य के संदर्भ में वक्फ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि।

24. न्यायमूर्ति एस. आई. जाफरी ने 2015 में प्रकाशित अपनी पुस्तक "वक्फ लॉज इन इंडिया" में समझाया है कि वक्फ संपत्ति का बिना शर्त और स्थायी समर्पण है जिसमें भगवान के स्वामित्व में निहित हिरासत इस तरह से है कि मालिक की संपत्ति को बुझा दिया जा सकता है और इसका लाभ इस्लाम द्वारा निषिद्ध उद्देश्यों को छोड़कर मानव जाति के लाभ के लिए वापस किया जा सकता है या लागू किया जा सकता है।निम्नलिखित में से कुछ हैं

वक्फ की विशेषताएँः

“4. वक्फ की आवश्यक आवश्यकताएँ।– मुस्लिम कानून के तहत वक्फ का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी संपत्ति के मुस्लिम धर्म को मुस्लिम कानून द्वारा धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए समर्पित करना। समर्पण स्थायी होना चाहिए और संपत्ति के मालिक द्वारा जो संपत्ति के इस तरह के समर्पण के कारण खुद को ऐसी संपत्ति से अलग कर लेना चाहिए और उसका कब्जा मुतवल्ली को सौंप देना चाहिए।(दुर्र।, 333; प्रिंस ऑफ आर्कोट एंडॉवमेंट्स एस्टेट बनाम पोन्नुस्वामी नत्तर, ए. आई. आर. 1955 एन. यू. सी. 3924 पी.3925 (पागल.)।; मोफिज़ुद्दीन हौलादर बनाम अब्दुर रशीद, (1983) 34 ढाका लॉ रिपोर्ट्स 36 (एस. सी.)।

ग

डी.

वक्फों के संबंध में यह कानून की एक स्थिर स्थिति है कि वक्फों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात (1) सार्वजनिक और (2) निजी।सार्वजनिक वक्फ किसी सार्वजनिक, धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए होता है।एक निजी वक्फ बसने वाले के परिवार और उसके वंशजों के लाभ के लिए होता है और इसे वक्फ-लाल-औलाद कहा जाता है।एक समय में, यह माना जाता था कि एक वैध वक्फ का गठन करने के लिए संपत्ति का समर्पण केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा के लिए या धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए होना चाहिए।(मियां सहताज़ पीर बनाम एस. के. अहमद, 2013 (1) ओ. एल. आर. 898 पी.904 (उड़ीसा))।

ई.

च

वक्फ ने खुद को संपत्ति से अलग कर लिया, जिस क्षण वक्फनामा को निष्पादित किया गया और पंजीकृत किया गया और खुद को मुतवल्ली के रूप में नामित किया क्योंकि अपनी मृत्यु से पहले वह मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक उद्देश्यों के लिए पैसा खर्च करता था, जैसे कि हज के लिए व्यक्तियों को भेजना, गरीब मुस्लिम व्यक्तियों को दफनाने के लिए खर्च करना और धर्मांतरण के लिए भी।(असम वक्फ बोर्ड बनाम खालिकुर रहमान, 1994 (1) सिविल एल. जे. 684 पी.692 (गौ.):1994(1) जी. एल. आर. 28 पी.29.)

जी.

एच.

1261

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

क.

संपत्ति चाहे वह चल हो या अचल, वक्फ की होनी चाहिए।एक वक्फ अनिश्चितता के लिए शून्य है।वक्फ को एक विलेख या वसीयत द्वारा बनाया जा सकता है और यदि यह एक विलेख द्वारा बनाया गया है और संपत्ति अचल है, और इसकी कीमत रुपये से अधिक है। 100/-, इसे पंजीकृत करना होगा।वक्फ को केवल तभी निरस्त किया जा सकता है जब इसे वसीयत द्वारा किया जाता है और इस तरह का निरसन किसी वक्फ की मृत्यु से पहले किसी भी समय होना चाहिए।जैसे ही वक्फ बनाया जाता है, संपत्ति तुरंत भगवान के पास चली जाती है और न तो इसे वापस लिया जा सकता है और न ही भगवान को संपत्ति और वक्फ से अलग किया जा सकता है, भले ही वक्फ की शर्तों का कोई उल्लंघन हो या उनके कार्यालय के मुतवल्ली द्वारा दुरुपयोग किया जाए।यह भी मायने नहीं रखता कि वक्फ के प्रावधानों को लागू किया जाता है या नहीं, इसके लिए यह केवल विश्वासघात का मामला है।यह भी मायने नहीं रखता कि अचल संपत्ति के मामले में संपत्ति को वक्फ के नाम से बदला गया था या राजस्व रिकॉर्ड में मुतवल्ली के व्यक्तिगत नाम से।(असम वक्फ बोर्ड बनाम खालिकुर रहमान, 1994 (1) सिविल एल. जे. 684 पी.692 (गौ.):1994(1) जी. एल. आर. 28 पी.29.)"

ग

डी.

25. संप्रभु द्वारा शासित पूर्ववर्ती क्षेत्र में वक्फ अधिनियम, 1954-19 के अधिनियमन से पहले वक्फ या वक्फ संपत्ति के प्रबंधन से संबंधित कोई विशेष कानून नहीं था।हैदराबाद बंदोबस्ती विनियम 20 को संप्रभु द्वारा 16 वें शाहबन 1358 हिजरी (1349 फसली और 1940 ईस्वी) को मंजूरी दी गई थी और इन्हें सरकारी राजपत्र (खंड 71, एम 6) में भी प्रकाशित किया गया था।उक्त विनियम संपन्न संपत्ति के प्रबंधन और सुरक्षा के संबंध में थे जो सरकार के कर्तव्यों में शामिल थे।ऐसे विनियमों से प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

ई.

"जबकि संपन्न संपत्ति का प्रबंधन और सुरक्षा सरकार के कर्तव्यों में शामिल है, इसलिए यह आवश्यक महसूस किया जाता है कि कुछ सिद्धांत अपनाए जाने चाहिए ताकि इन कर्तव्यों का आसानी से और कुशलता से निर्वहन किया जा सके और संपत्ति देने वाले व्यक्ति का इरादा कि संपन्न संपत्ति के माध्यम से मानवता को लाभान्वित किया जाना चाहिए।इसलिए निम्नलिखित नियम बनाए गए हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

जी.

1. इन विनियमों को "बंदोबस्ती विनियमों" के रूप में जाना जाएगा और राजपत्र (जरीदा आलमिया) में प्रकाशन की तारीख से एच. ई. एच. के पूरे प्रभुत्व में लागू होंगे।

19 संक्षेप में "1954 अधिनियम" 20 बंदोबस्ती विनियम

एच.

1262

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 19 एस सी आर।

परिभाषाएँ।

2. जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ अप्रिय न हो।दानःसेवा की शर्त (माश मशरुथुल खिदमठ) के अधीन संपत्ति के विवरण के तहत आने वाली संपत्ति के अपवाद के साथ, संपत्ति का प्रत्येक हस्तांतरण जो किसी भी व्यक्ति ने धार्मिक उद्देश्य से या दान या सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्यों के लिए किया होगा, उसे "बंदोबस्ती" कहा जाएगा।

दान संपत्तिःइस तरह से हस्तांतरित की जाने वाली संपत्ति को "संपन्न संपत्ति" कहा जाएगा।"

समर्थकःइस तरह से संपत्ति का हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति को "एंडोवर" (वाकीफ) कहा जाएगा।

ग

किताब-उल-अवखत (दान की पुस्तक):इसका अर्थ है प्रत्येक ऐसा रजिस्टर जिसमें इस अधिनियम के तहत संपन्न सभी संपदाओं या संपत्तियों को दर्ज किया गया है।

माश मशरुथुल खिदमत (संपत्ति सेवा की शर्त के अधीन):इसका अर्थ है वह संपदा जो सत्तारूढ़ संप्रभुों या उस समय की सरकारों द्वारा धार्मिक उद्देश्यों के लिए या सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और जो सरकार द्वारा संबंधित विभाग में सेवा प्रदान करने की शर्त के अधीन रखी गई है।

डी.

ई.

किताब माशाई मशरुथुल धिम्मठ (एस. आई. सी. खिदमत) (पुस्तक)

सेवा की शर्त के अधीन संपदाओं का):इसका अर्थ है वह रजिस्टर जिसमें इस अधिनियम के तहत संपत्ति की सेवा की शर्त दर्ज की गई है।

26. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 16 के संदर्भ में सरकारी राजपत्र (खंड 77, एम 45) में घोषित और प्रकाशित बंदोबस्ती से संबंधित नियमों के नियम 445 में कहा गया हैः

च

“445. शाही अनुदान होने की सेवा की शर्त के अधीन अनुदान को संपन्न संपत्ति नहीं माना जाएगा और न ही उनके संबंध में पंजीकरण के लिए कार्यवाही की जा सकती है।

जी.

XXX

XXX

447. सशर्त अनुदान (मैश) से जुड़ी संस्था को संपन्न माना जाएगा

i. सशर्त अनुदान (मैश) से जुड़े संस्थान से संबंधित सेवा की शर्तों के अधीन, वह

एच.

1263

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

दान की पुस्तक में उक्त संपदाओं में प्रवेश करने के लिए इन नियमों के अनुसार संपन्न माना जाएगा और कार्यवाही अपनाई जाएगी।

ii.संस्था के साथ जो भी अन्य संपत्तियां जुड़ी होंगी, उन सभी को संपन्न माना जाएगा और इन नियमों के अनुसार उन्हें बंदोबस्ती की पुस्तक में दर्ज करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।"

27. 1954 के अधिनियम की धारा 69, जिसे मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, ने बंगाल धर्मार्थ बंदोबस्ती, सार्वजनिक भवन और एस्कीट विनियम, 1810 (1810 का बंगाल विनियमन XIX), धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1863 की धारा 5 (1863 का XX), धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1890 (1890 का VI), धर्मार्थ और धार्मिक न्यास अधिनियम, 1920 (1920 का XIV) और मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 (1923 का XLII) को निरस्त कर दिया।इस प्रकार, ये अधिनियम किसी भी वक्फ पर लागू नहीं होंगे, जिस पर 1954 का अधिनियम लागू किया गया था।उप-धारा (2) में विचार किया गया है कि यदि किसी राज्य में अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले, इस अधिनियम के अनुरूप कोई कानून लागू है, तो ऐसी कानून निरस्त हो जाएगी।

ग

डी.

28. 1964 के केंद्रीय अधिनियम संख्या 34 द्वारा, 1954 के अधिनियम की धारा 3 (1) में खंड (2) को संशोधित किया गया था। इस तरह के संशोधन के बाद वक्फ की परिभाषा इस प्रकार हैः

ई.

("वक्फ" का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा किसी चल या अचल संपत्ति को मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना और इसमें शामिल हैं -

((i) उपयोगकर्ता द्वारा एक वक्फ;

च

((ii) अनुदान (मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए मशरूत-उल-खिदमत सहित); और

((ग) मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए संपत्ति को जिस हद तक समर्पित किया गया है, वह वक्फ-अल-औलाद।

जी.

29. 1954 के अधिनियम को 1984 में संशोधित किया गया था (1984 का संशोधन अधिनियम संख्या 69) लेकिन उक्त अधिनियम के किसी भी प्रावधान को लागू करने के लिए अधिसूचित नहीं किया गया था।इसलिए, इस तरह के अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन 1954 के अधिनियम के हिस्से के रूप में कभी प्रभावी नहीं हुए।

एच.

30. 1954 के अधिनियम को बाद में वक्फ अधिनियम, 1995-21 द्वारा निरस्त कर दिया गया और उसके बाद वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित किया गया।चूंकि वर्तमान मामले में मुद्दे 2013 से पहले की अवधि से संबंधित हैं,

इसलिए प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान जो तब अस्तित्व में थे और जैसा कि पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा वर्तमान अपीलों में लागू होने के लिए कहा गया था, नीचे दिए गए रूप में पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

“3. परिभाषाएँ-इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो-(ग) "बोर्ड" का अर्थ है धारा 13 की उप-धारा (2) के तहत या जैसा भी मामला हो, उप-धारा (1) के तहत स्थापित वक्फ बोर्ड और इसमें धारा 106 के तहत स्थापित एक सामान्य वक्फ बोर्ड शामिल होगा।

ग

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

(छ) "वक्फों की सूची" से धारा 5 की उप-धारा (2) के तहत प्रकाशित वक्फों की सूची अभिप्रेत है;

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

डी.

(के) "वक्फ में रुचि रखने वाला व्यक्ति" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो वक्फ से कोई आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने का हकदार है और इसमें शामिल हैं -

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

ई.

(पी) "सर्वेक्षण आयुक्त" से धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त वक्फ का सर्वेक्षण आयुक्त अभिप्रेत है और इसमें धारा 4 की उप-धारा (2) के तहत वक्फ का कोई अतिरिक्त या सहायक सर्वेक्षण आयुक्त शामिल है;

(क्यू) किसी भी क्षेत्र के संबंध में "न्यायाधिकरण" का अर्थ है धारा 83 की उप-धारा (1) के तहत गठित न्यायाधिकरण, जो उस क्षेत्र के संबंध में अधिकार क्षेत्र रखता है;

च

(आर) "वक्फ" का अर्थ है किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी चल या अचल संपत्ति को मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना और इसमें शामिल है-(i) उपयोगकर्ता द्वारा एक वक्फ लेकिन ऐसा वक्फ केवल इस कारण से वक्फ नहीं रहेगा कि उपयोगकर्ता ऐसे उपकर की अवधि के बावजूद बंद हो गया है।

जी.

21 संक्षेप में "1995 अधिनियम"

एच.

क.

((ख) मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए मसरत-उल-खिदमत सहित "अनुदान"; और

((iv) एक वक्फ-अल-औलाद जिस हद तक संपत्ति मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए समर्पित है,

और "वाकीफ" का अर्थ है ऐसा समर्पण करने वाला कोई भी व्यक्ति;

4. वक्फों का प्रारंभिक सर्वेक्षण-(1) राज्य सरकार

राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य में वक्फ का सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से राज्य के लिए वक्फ के एक सर्वेक्षण आयुक्त और वक्फ के उतने अतिरिक्त या सहायक सर्वेक्षण आयुक्तों की नियुक्ति की जा सकती है जितनी राज्य में वक्फ का सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से आवश्यक हो।

ग

(2) वक्फ के सभी अतिरिक्त और सहायक सर्वेक्षण आयुक्त इस अधिनियम के तहत वक्फ के सर्वेक्षण आयुक्त के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण में अपने कार्य करेंगे।(3) सर्वेक्षण आयुक्त, ऐसी जांच करने के बाद, जो वह आवश्यक समझे, राज्य या उसके किसी भाग में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को मौजूद वक्फों के संबंध में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात्:—

डी.

ई.

XXX

((a) XXX

(4) XXX

XXX

(6) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सर्वेक्षण आयुक्त को राज्य में वक्फ संपत्तियों का दूसरा या बाद में सर्वेक्षण करने का निर्देश दे सकती है और उप-धारा (2), (3), (4) और (5) के प्रावधान ऐसे सर्वेक्षण पर लागू होंगे जैसे वे उप-धारा (1) के तहत निर्देशित सर्वेक्षण पर लागू होते हैं:बशर्ते कि ऐसा कोई दूसरा या बाद का सर्वेक्षण उस तारीख से बीस साल की अवधि की समाप्ति तक नहीं किया जाएगा जिस दिन उप-धारा (3) के तहत तुरंत पिछले सर्वेक्षण के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

च

जी.

5. वक्फ की सूची का प्रकाशन।– (1) धारा 4 की उप-धारा (3) के तहत एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राज्य सरकार बोर्ड को इसकी एक प्रति भेजेगी।

एच.

(2) बोर्ड उप-धारा (1) के तहत उसे भेजी गई रिपोर्ट की जांच करेगा और आधिकारिक राजपत्र में राज्य में सुन्नी वक्फ या शिया वक्फ की एक सूची प्रकाशित करेगा, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के समय अस्तित्व में हो या उसके बाद अस्तित्व में हो, जिससे रिपोर्ट संबंधित हो और जिसमें ऐसे अन्य विवरण हों जो निर्धारित किए जाएं।

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

32. बोर्ड की शक्तियाँ और कार्य।- (1) किसी भी विषय के अधीन

इस अधिनियम के तहत बनाए जाने वाले नियम, किसी राज्य में सभी वक्फों का सामान्य अधीक्षण स्थापित बोर्ड या राज्य में निहित होगा और यह बोर्ड का कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके अधीक्षण के तहत वक्फ का उचित रखरखाव, नियंत्रण और प्रशासन किया जाए और उसकी आय उन उद्देश्यों पर और उन उद्देश्यों के लिए विधिवत लागू की जाए जिनके लिए ऐसे वक्फ बनाए गए थे या बनाए गए थेः

ग

बशर्ते कि किसी वक्फ के संबंध में इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड वक्फ के निर्देशों, वक्फ के उद्देश्यों और मुस्लिम कानून के स्कूल द्वारा स्वीकृत वक्फ के किसी भी उपयोग या प्रथा के अनुरूप कार्य करेगा, जिससे वक्फ संबंधित है।

डी.

स्पष्टीकरण।—सन्देहों को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस उप-धारा में "वक्फ" में एक वक्फ शामिल है जिसके संबंध में किसी भी न्यायालय द्वारा कोई योजना बनाई गई है, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले हो या बाद में।

ई.

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड के कार्य होंगे -

च

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

(ज) किसी भी वक्फ की खोई हुई संपत्तियों की वसूली के लिए उपाय करना;

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

जी.

(एम) वक्फ संपत्तियों, खातों, अभिलेखों या विलेखों और उनसे संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण या निरीक्षण करना;

(एन) वक्फ और वक्फ संपत्ति की प्रकृति और विस्तार की जांच और निर्धारण करना, और जब भी आवश्यक हो, ऐसी वक्फ संपत्ति का सर्वेक्षण करना;

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स ए

एच.

1267

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

40. निर्णय लें कि क्या कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है।– (1) बोर्ड

स्वयं किसी ऐसी संपत्ति के बारे में जानकारी एकत्र कर सकता है जिसे वक्फ संपत्ति मानने का कारण है और यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई विशेष संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं या क्या कोई वक्फ सुन्नी वक्फ या शिया वक्फ है, तो वह ऐसी जांच करने के बाद प्रश्न का निर्णय ले सकता है जो वह उचित समझे।

(2) उप-धारा (1) के तहत किसी प्रश्न पर बोर्ड का निर्णय, जब तक कि न्यायाधिकरण द्वारा निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता है, अंतिम होगा।

(3) XXX

XXX

(4) XXX

XXX

ग

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

105. दस्तावेजों आदि की प्रतियों की आवश्यकता के लिए बोर्ड और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्ति प्रस्तुत की जानी चाहिए।– इसके बावजूद

बोर्ड या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह वक्फ या किसी अचल संपत्ति, जो वक्फ संपत्ति है, से संबंधित किसी रिकॉर्ड, रजिस्टर, रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज की अभिरक्षा रखने वाले किसी भी व्यक्ति से आवश्यक लागत, प्रतियों या उद्धरणों के भुगतान के अधीन प्रस्तुत करने की अपेक्षा करे और प्रत्येक व्यक्ति जिसे ऐसी मांग की जाती है, वह जल्द से जल्द बोर्ड या मुख्य कार्यपालक अधिकारी को आवश्यक रिकॉर्ड, रजिस्टर, रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज से प्रतियां या उद्धरण प्रस्तुत करेगा।

डी.

ई.

च**.** वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य।**i)** निजाम अतियत अदालत का आदेश

च

31. वर्तमान मामले में, अकबर हुसैन नामक व्यक्ति ने 12 वीं अर्दीबेहिस्त 1333 फसली (17.3.1923) पर मानिकोंडा गाँव सहित जागीर गाँवों के 22 माश से इनाम जांच की मांग की।सैयद अकबर हुसैन को 29 वें खुर्दाद 1336 एफ (4.5.1926) पर शिकायत प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने के बाद अकबर हुसैन ने 9 वें अमर्दाद 1336 फसली (15.6.1926) को फिर से शिकायत प्रस्तुत की।मणिकोंडा के जागीर गाँव को अमाश भूमि होने का दावा किया जाता था।निजाम अतियत ने फाइल संख्या 2/56 में 31.5.1957 पर इस तरह की जांच का फैसला किया।यह वह दस्तावेज है जो वक्फ बोर्ड के दावे का प्राथमिक आधार है।आदेश का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

जी.

22 मैश भी-"संपत्ति या अनुदान"

एच.

1268

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 19 एस सी आर।

“आदेश दें

पक्षकारों और सरकारी प्लीडर की दलीलें 9 अप्रैल, 1957 को सुनी गईं।

9 अमर्दाद, 1336 एफ को दायर अकबर हुसैन की शिकायत में हजरत हुसैन शाह वली की दरगाह के सर्विस माश के रूप में निम्नलिखित समूहों की पुष्टि का दावा किया गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

1. गोंटापल्ली गाँव

2. मणिकोंडा गाँव

ग

3. रायदुर्ग गाँव (आधा) जिसे माओज़ा दरगाह शरीफ के नाम से जाना जाता है

4. मखता और अराज़ी इनाम शेखपेट गाँव सर्वेक्षण संख्या 320,324 एकड़, 3 गुंटा

5. अराज़ीनाम (किला मोहम्मदनगर में खानकाश 3 एकड़ रु। 10/-

डी.

अहमदुल्ला हुसैन द्वारा 12-2-37 पर एक उज़रदारी दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि माश मशरूत नहीं था, बल्कि केवल ज़ार-ख़रीद था और इसलिए शेयरधारक माश में शरई शेयरों के हकदार थे।

ई.

मामले के तथ्यों और पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित मुद्दों पर निर्णय की आवश्यकता होती हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

1. क्या जागीरों और अन्य माश का अनुदान वैध सनदों द्वारा कवर किया जाता है और क्या इसकी पुष्टि वर्तमान दावेदार के नाम पर मशरूतुल खिदमत माश के रूप में की जा सकती है (संयोग से, यह जांच करना होगा कि माश की प्रकृति के संबंध में हज़रदारों का तर्क, ज़ार-ख़रीद होना कितनी दूर तक मान्य है)।

च

2. मस पर दावेदारों का अधिकार और आनंद।

जी.

3. वर्तमान दावेदारों और आपत्ति याचिकाकर्ताओं का मूल अनुदानकर्ता के साथ संबंध।

4. राहत जिसके लिए संबंधित पक्ष हकदार हैं।

एच.

1269

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

क.

मुद्दा संख्या 1:जागीर गाँव (ए) गोंटापल्ली गाँव।

(ख) मणिकोंडाःयाचिकाकर्ता मुख्य रूप से मामूली रूप से नोट किए गए दस्तावेजों #और इस गाँव के लिए अपने दावे के समर्थन में आदेशों पर निर्भर करता है जो दरगाह की सेवा के लिए सशर्त है।

#1. नवाब मुख्तारुल-मुल्क की 1249 की एहकाम की प्रति।

2. एच. एस. सं. 75 का पत्र दिनांक 14 वीं अज़ूर, 1308 एफ।

3. 13 वीं अज़ूर, 1320 एफ का दफ्तार-ए-मल 2 का पत्र, संख्या 1 के सत्यापन में।

ग

4. गुंतापल्ली के संबंध में नवाब मुख्तारुल-मुल्क का 16 वीं रबीउल-अवल 1275 एच. का एहकाम।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस गाँव की इनाम पूछताछ दीवानी में की गई थी और कार्यवाही पूरी होने के बाद उच्च अधिकारियों की मंजूरी के लिए 19 अमर्दाद, 1320 फसली को प्रथम तालुकदार द्वारा एक इनाम वक्तव्य तैयार किया गया था। लेकिन अधिकार क्षेत्र के सवाल पर दीवानी और एस. के. 23 के बीच विवाद के कारण इस पर कोई अंतिम निर्णय दर्ज नहीं किया गया।

डी.

कथन।दीवानी अतियत अदालतों में पूछताछ में इस गाँव मणिकोंडा को उस समय के सज्जादा, सैयद अकबर हुसैन के नाम पर दरगाह की सेवाओं के लिए मशरूतुल-खिदमत जागीर के रूप में पुष्टि करने की सिफारिश की गई थी।लेकिन चूंकि पुष्टि का प्रश्न अब इस न्यायालय के समक्ष है, इसलिए माश की प्रकृति के प्रश्न पर एक स्वतंत्र निर्णय पर पहुंचने के लिए साक्ष्य और रिकॉर्ड की जांच करना आवश्यक है, कि क्या यह एक मशृतमाश के रूप में दिया गया था या एक ज़ार-ख़रीद संपत्ति थी।

ई.

च

XXX

XXX

XXX

..... गोंटापल्ली जागीर के अनुदान के संबंध में 16 वीं बाबुल-अवाल, 1275 एच के अहकम में स्पष्ट रूप से मणिकोंडा जागीर का उल्लेख ऊद-उ-गुल 24 पर सशर्त के रूप में किया गया है।इसलिए इस तर्क में कोई ताकत नहीं है कि जागीर मणिकोंडा स्व-अर्जित संपत्ति थी।

जी.

23 "सर्फे खास-संप्रभु की निजी संपत्ति 24 धूप और फूल

एच.

1270

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 19 एस सी आर।

और अतिया शाही अनुदान नहीं।जब इसे अधिग्रहित किया गया था, तो मस की प्रकृति जो भी रही होगी, उसे इसमें परिवर्तित कर दिया गया था, और एक सशर्त अतिया शाही अनुदान के रूप में पुष्टि की गई थी और उस समय के सक्षम अतियत अधिकारियों द्वारा इस तरह का व्यवहार किया गया था।इसलिए मैं

इसमें कोई संदेह नहीं है कि जागीर मणिकोंडा की प्रकृति हुसैन शाह वली की दरगाह की सेवा के लिए एक मशरूतातिया शाही अनुदान है।कैफियत जागीरदार इस बात को स्वीकार करते हैं

सशर्त जागीर के रूप में गाँव।14 वीं अज़ूर, 1378 फसली और 1 वें रमजान, 33 एच के निज़ाम के फरमान ने भी इस जागीर को दरगाह की सेवा के लिए एक सशर्त जागीर के रूप में पुष्टि की।

यह तथ्य कि जागीरें नवाब विकरुल-उमरा अमीर-ए-कबीर 25 की मंजूरी से 1 रजब, 1296 एच को हसन बिन मोहसिन को गिरवी रखी गई थीं, भी माश की सशर्त प्रकृति की पुष्टि करता है।अन्यथा, मदरुल महाम की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी यदि संपत्ति ज़ार-ख़रीद थी जैसा कि आरोप लगाया गया था।

ग

XXX

XXX

XXX

डी.

जहां तक मुद्दे की बात है तो नं.2 गुंटापल्ली और मणिकोंडा आदि गाँवों और शैकपेट और रायड्रग आदि में भूमि पर कब्जे के संबंध में यह लंबे समय से अभिलेखों से स्थापित किया गया है।जागीर गाँव और अन्य संपत्तियाँ भी मुख्तारुलमुलक बहादुर के शासनकाल के बाद से दीवानी और अतियत अदालतों में कबीज़ और उसके सरदारों के बीच लंबे समय तक मुकदमे का विषय रही हैं।हाल के वर्षों में जागीरें सैयद अकबर हुसैन की मृत्यु पर 1343 से 1348 ई. तक एस. के. द्वारा नियुक्त एक समिति की देखरेख में थीं और उसके बाद यह सी. डब्ल्यू. 26 के तहत थी जब तक कि इसे सी. डब्ल्यू. से 1956 में पत्र संख्या 545 दिनांक 1 के माध्यम से जारी नहीं किया गया था।इसलिए माश की पुष्टि इस प्रकार की जाती हैः

ई.

च

1. मानिकोंडा और गुंतापल्ली गाँव, दरगाह की सेवा के लिए सशर्त उत्पाद शुल्क सहित राजस्व की सभी वस्तुओं के साथ।

2. XXX

XXX

XXX।

मुद्दा संख्या 3:- मामले में पक्षों द्वारा दायर और उपरोक्त मामले के सारांश में दिए गए शिजरा या पारिवारिक वृक्ष को सभी पक्षों द्वारा स्वीकार किया जाता है।बिरादरी के एक तिहाई हिस्से मशरूत-उल-खिदमतमाश में उनके संबंधित शेयर।, गुंतापल्ली का जागीर गाँव और

जी.

25 मंत्री

26 कोर्ट ऑफ वार्ड ए

एच.

1271

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

मणिकोंडा को अलग से तैयार किया जाएगा और इस मामले में जारी किए जाने वाले मुनखाब का हिस्सा बनाया जाएगा।शेष संपत्ति को मदुद मौश माना जाएगा और उसके द्वारा शासित किया जाएगा और पक्षकार सिहम-ए-के अनुसार उसमें (कानूनी) शेयरों के हकदार होंगे।

शरई।सज्जादा के रूप में दावेदार सैयद शाह सफीरुल्ला हुसैनी और दरगाह सफीफ की सेवा करने वाला व्यक्ति मशरूत-उल-खिदमत जागीरों में सुला-ओ-सुल्सन नियम के अनुसार दो तिहाई और अन्य मकताओं और इनाम भूमि में उनके शरिया हिस्से का हकदार होगा, बशर्ते जागीरों का उन्मूलन और आवागमन विनियमन 1358 एफ और इनाम अधिनियम 1954 का उन्मूलन हो।

(बल दिया गया)

ग

XXX

XXX

XXX "

32. उपरोक्त आदेश में मुख्यमंत्री द्वारा पारित एक आदेश का संदर्भ था, जिसे 29.5.1956 पर अधिसूचित किया गया था।उक्त आदेश इस प्रकार हैः- “सं. 545

डी.

तारीखः29.5.56 मुख्य मंत्री के आदेश से

स्वर्गीय सैयद अकबर हुसैन की संपत्ति को 1349 एफ में सरफ खास कोर्ट ऑफ वार्ड्स की देखरेख में लिया गया था। इस संपत्ति के स्रोत इस प्रकार थेः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

1. मानिकोंडा गाँव। हैदराबाद में स्थित है। 2.दरगाह शरीफ गाँव। पश्चिमी तालुक

3. इनाम मोहम्मद में शेखपेटंद में उतरता है।नगर किला।4. पट्टा बीदर तालुक के अवैध गाँव में उतरता है।5. पट्टा कालाबगोर तालुक के अवैध गाँव में आता है।6. मकता अवैध (रैड्रग गाँव) हाइड। पश्चिम तालुक।जागीरों के उन्मूलन के कारण गाँव संख्या 1 और 2 को सरकार को सौंप दिया गया है।उक्त जागीरों के हस्तांतरण के रूप में, जागीर प्रशासन का कार्यालय संपत्ति के आश्रितों के हिस्से की सीमा तक इस कार्यालय को और बाकी राशि मुस्लिम वक्फ बोर्ड को हुसैन शाहवाली के नाम से जाने जाने वाले दरगाह के सेवा खर्चों के लिए भेज रहा था।

च

जी.

एच.

इस एस्टेट में कई आश्रित हैं।इनाम और उत्तराधिकार की जांच अतियत अदालत में लंबित है।मृतक सज्जदा सैयद अकबर हुसैनी के उत्तराधिकारी इस प्रकार हैं:

1. सैयद सफीउल्लाह हुसैनी पुत्र।2. सैयद नदेमुल्ला हुसैनी, पुत्र।3. नं. 2 की माँ फातिमा बेगम। 4.नं. 1 की माँ फातिमा बी।

5. महूब साहेद बी नंबर 2 की बेटी

नंबर 2 और 3 पाकिस्तान चले गए हैं।उपरोक्त व्यक्तियों के अलावा, अन्य आश्रितों को संपत्ति की आय से उनके गुजर का भुगतान किया गया था।

ग

ये संपत्तियां दरगाह हुसैन शाल वली की सेवा और दिवंगत सज्जाद के परिवार और अन्य आश्रितों के रखरखाव के लिए थीं। दरगाह के मामलों का प्रबंधन मुस्लिम वक्फ बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।जब तक इनाम और उत्तराधिकार पूछताछ मामले का अंत में अतियत अदालत द्वारा फैसला नहीं किया जाता है, तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि इनाम की भूमि भी सेवा इनाम के दायरे में आती है या नहीं।

डी.

पट्टा भूमि को स्वर्गीय सज्जादा की व्यक्तिगत संपत्ति माना जा सकता है, जो उनके बेटों और विधवाओं को हस्तांतरित की जा सकती है।सैयद सफीउल्लाह हुसैनी ने बालिग होने की उम्र पार कर ली है और अब वह 23 साल के हो गए हैं।वह व्यक्तिगत संपत्तियों का प्रबंधन कर सकता है और इनाम और उत्तराधिकार के मामले का फैसला लेने के लिए अतियत अदालत से संपर्क कर सकता है।

ई.

च

उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, वार्ड संख्या 1 की संपत्ति और व्यक्ति को कोर्ट ऑफ वार्ड पर्यवेक्षण से रिहा कर दिया गया।पट्टा भूमि सैयद सफीउल्ला हुसैनी के पक्ष में जारी की जाती है और उसकी माँ, भतीजी और अन्य लोगों के रखरखाव का प्रभार उस पर होगा।

जी.

इनम और उत्तराधिकार मामले में अतियत के अंतिम निर्णय और खातों के अंतिम निपटान तक संपत्ति की नकद शेष राशि इस कार्यालय में जमा रखी जाएगी।

इस प्रकार संपत्ति को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से ऊपर उल्लिखित तर्ज पर कोर्ट ऑफ वार्ड पर्यवेक्षण से जारी किया जाता है।"

एच.

1273

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

क.

33. नज़ीम अतियत का यह आदेश तब प्रभावी हुआ जब अतियत पूछताछ अधिनियम के तहत उत्तराधिकार जांच के परिणामस्वरूप मुंतखाब 27 जारी किया गया था। मानिकोंडा और गुंतापल्ली गाँवों के संबंध में कलश को दरगाह को एक सशर्त अनुदान के रूप में वर्णित किया गया था, जबकि गाँव रायदुर्ग में स्थित मुखता भूमि और शेखपेट में स्थित इनाम भूमि को मदद माश 28 के रूप में वर्णित किया गया था।कॉलम 8 में उल्लिखित अंतिम क्रम इस प्रकार हैः

“दावेदारों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण, अनुदान के दस्तावेजों, रिपोर्टों और मौखिक साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और इस मुंतखाब के कॉलम संख्या 6 में उल्लिखित इस दावे के तहत केंद्रीय अभिलेख कार्यालय, माश (अनुदान) की प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए, जागीर मणिकोंडा और गुंतापल्ली के गांवों को शाही अनुदान के रूप में घोषित किया जाता है, जिसमें आबकारी सहित आय की सभी वस्तुओं को दरगाह हजरत हुसैन शाह वली आरएच के सशर्त सेवा अनुदान के रूप में घोषित किया जाता है, और सुल्से-ए-सुल्सन (1/3/3/3/3) के अभ्यास के साथ बहाल किया जाता है, जिसमें से सैयद सफीउल्ला हुसैनी को दरगाह के सज्जादा सेवा अनुदान के रूप में 2/3/3 प्राप्त होगा।और शेखपेट और तालुका मोहम्मद नगर और रायदुर्ग (ठीक से दरगाह शरीफ के रूप में जाना जाता है) में स्थित मकता और इनाम की भूमि स्व-अधिग्रहित साबित होती है और लंबे कब्जे और आनंद को देखते हुए इस मुंतखाब के कॉलम संख्या 4 में उल्लिखित व्यक्तियों के पक्ष में उनके शरई शेयरों के अनुसार मदद मश के रूप में पुनर्स्थापित की जाती है।

ग

डी.

ई.

सशर्त सेवा अनुदान जागीरों को शामिल करने के आदेशों के तहत प्रशासित किया जाएगा और मदद मश इनाम के उन्मूलन के आदेशों के तहत शासित किया जाएगा।इसलिए तत्काल निष्पादन के लिए कदम उठाए जाएंगे।

च

एसडी/- 25-11-1358 एफ "

34. नज़ीम अतियत को 24.09.1958 दिनांकित एक आदेश द्वारा समीक्षा से छूट दिया गया है।इसके बाद समीक्षा में उक्त आदेश के खिलाफ राजस्व बोर्ड के समक्ष एक अपील दायर की गई, जिसे 14.11.1958 पर रखरखाव योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया।समीक्षा में पारित आदेश के खिलाफ कुछ व्यथित व्यक्तियों ने हैदराबाद में उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत 1959 की रिट याचिका संख्या 666 दायर की।इसके बाद उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष वापस कियाः

जी.

27 डिक्री 28 अनुदान सहायता की प्रकृति में दस्तावेज़

एच.

"जहाँ तक भूमि के स्वरूप का संबंध है, जहाँ तक गुंतापल्ली और मणिकोंडा के जागीर गाँवों का संबंध है, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उन्हें दरगाह के पक्ष में सशर्त अनुदान के रूप में दिए गए गाँवों के रूप में उचित माना गया था और मैं उस निष्कर्ष के संबंध में कोई त्रुटि खोजने में असमर्थ हूं।रायदुर्ग, शैकपेट और कुल मोहम्मद नगर में अन्य संपत्तियों के संबंध में भी नज़ीम अतियत ने माना है कि वे जरखरीद-मक्ता भूमि हैं जो मदद माश का गठन करती हैं।"

ii) विवादित अधिसूचना की ओर ले जाने वाले तथ्य

35. वर्ष 1961 में किसी समय 1954 के अधिनियम की धारा 4 के अनुसार हैदराबाद राज्य में वक्फों के संबंध में जांच करने के लिए एक सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त किया गया था।ऐसे सर्वेक्षण आयुक्त ने 17.12.1970/28.1.1971 पर या उसके बारे में क्रम संख्या 259-263 वाली अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।क्रम संख्या 262 की रिपोर्ट में टिप्पणी के कॉलम में निम्नलिखित टिप्पणी थी, जो इस प्रकार हैः

ग

"दरगाह की देखभाल मुतवल्ली द्वारा की जाती है।अतीत में मानिकोंडा, दरगाह हुसैन शाह वली और गुंथापल्ली की जागीरें दरगाह और वार्षिक उर्स के संचालन के लिए दी जाती थीं। मुतवल्ली द्वारा उपयोग किए गए मुआवजे का विवरण ज्ञात नहीं है।एस. डी./- आर. आई. नरसिंगी।"

डी.

36. ऐसी सर्वेक्षण रिपोर्टों के आधार पर, आंध्र प्रदेश राजपत्र में 5506 वर्ग किलोमीटर की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना 9.2.1989 पर प्रकाशित की गई थी।यार्ड अर्थात 3165 वर्ग कि. मी.दरगाह हजरत हुसैन शाह वली से संबंधित यार्ड; 1222 वर्ग कि. मी.खानकाह क्षेत्र के उत्तर की ओर मस्जिद और कुएं के क्षेत्र और घर के साथ खानकाह से संबंधित यार्ड 1069 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।वक्फ भूमि के रूप में यार्ड।अधिसूचना में सैयद सफीउल्लाह हुसैन को वक्फ के मुतवल्ली के रूप में उल्लेख किया गया है।विचाराधीन संपत्ति एस. एल. में दिखाई देती है। सं. 3057,3058 और 3059।ऐसी अधिसूचना में वक्फ के रूप में अधिसूचित संपत्तियों का विवरण इस प्रकार हैः

ई.

च

जी.

एच.

37. इस अदालत के समक्ष वक्फ बोर्ड द्वारा दायर दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि यह आईडी1 पर ही था कि मुतवल्ली सैयद सफीउल्ला हुसैनी ने वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एक संचार पत्र लिखा था ताकि मानिकोंडा जागीर गांव में स्थित 1654 एकड़ तक की वक्फ संपत्ति और सेवा इनाम भूमि की रक्षा के लिए एक प्रबंध समिति का गठन किया जा सके क्योंकि इसे आंध्र प्रदेश राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया था।पत्र का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

"मैं, कृपया विचार करने और अनुकूल तत्काल कार्रवाई के लिए निम्नलिखित कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ।

मेरा कहना है कि राजेंद्रनगर मंडल के हुसैन शाह वली गाँव में 'दरगाह हजरत हुसैन-शाह वली' के नाम से जाना जाने वाला एक दरगाह है जिसमें दरगाह, खानखा, मस्जिद, ए. पी. राजपत्र संख्या 6-ए में अधिसूचित घर शामिल हैं।9 फरवरी 1989 में एस. एल. याचिकाकर्ता के तहत सं. 3055,3057,3058 और 3059।

ग

मैं जनता और भक्तों की किसी भी शिकायत के बिना वार्षिक समारोह आयोजित करके मुतवल्ली के कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं। ए. पी. की नाज़ीमे-अतियात से वर्ष 1344 फसली में फाइल संख्या 2/56 अतियत में एक मुंतखाब जारी किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि मणिकोंडा जागीर गाँव में 1654 एकड़ की सीमा तक सेवा इनाम भूमि है, लेकिन इसे ए. पी. राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया है।मुंतखाब में उल्लिखित सुल्से सुल्सन के शासन के तहत दर्गा और उसकी कुर्क की गई संपत्तियों की आय से कई शेयरधारकों को लाभ होगा।मैं आगे निवेदन करता हूं कि मैं 80 वर्ष से अधिक उम्र का वृद्ध हूं और विभिन्न कोनों से हस्तक्षेप के कारण और उक्त संपत्ति से आय का कोई स्रोत प्राप्त किए बिना इन दिनों सेवा इनम भूमि की रक्षा करना मुश्किल हो रहा है।इस प्रकार मैं केवल दर्गा के आय स्रोत पर निर्भर हूं जो स्वयं संस्था की आजीविका और रखरखाव के लिए बहुत कम पाया जाता है।"

डी.

ई.

च

38. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उपरोक्त संचार से पहले एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर द्वितीय सर्वेक्षण आयुक्त का गठन किया गया था कि पहला सर्वेक्षण लगभग 40 साल पहले किया गया था।ऐसी अधिसूचना 1995 के अधिनियम की धारा 4 (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी। हालांकि सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ था, वक्फ बोर्ड ने दूसरे सर्वेक्षण की रिपोर्ट की एक प्रति इस आधार पर मांगी कि एक क्षेत्र

जी.

एच.

1654 मणिकोंडा गाँव में एकड़ और 32 गुंटा को इनाम की भूमि माना जाता था।आईडी1 के नाजिम-अतियात के आदेश का संदर्भ दिया गया था कि ग्राम मणिकोंडा और गुंटुपल्ली, उत्पाद शुल्क सहित राजस्व की सभी वस्तुओं के साथ, दरगाह की सेवा के लिए सशर्त अनुदान थे।39. वक्फ बोर्ड द्वारा इस अदालत के समक्ष दायर किए गए ऐसे दस्तावेजों से पता चलता है कि सबसे पहले वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने मणिकोंडा गांव के नक्शे की आपूर्ति की मांग की थी।यह 25.3.2005 पर था कि वर्ष 1950-51 के लिए पहाड़ी मांगी गई थी।बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बाद में दूसरे सर्वेक्षण आयुक्त को सर्वेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति मांगने के लिए 2.9.2005 पर एक पत्र लिखा था।उक्त पत्र इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

“यह कहना है कि राजेंद्रनगर (एम) के हुसैन शाह वली (वी) में स्थित दरगाह हजरत हुसैन शाह वली को ए. पी. राजपत्र संख्या 6-ए में वक्फ अधिसूचित किया गया है। सं. 3055,3057,3058 और 3059।

याचिकाकर्ता/मुथावल्ली द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उक्त विषय संस्थान के पास 1249 के सनद के अनुसार, 1654-24 गुंटा के क्षेत्र को परिवर्तित करते हुए मणिकोंडा (V) में सेवा इनाम भूमि है।एफ. नं. 2/56 इनाम, 1344 फसली के मेडक में नाज़ीमे-अतियात दिनांक 31.05.1957 के फैसले के अनुसार, ग्राम मणिकोंडा और गुंटुपल्ली को आबकारी सहित राजस्व की सभी वस्तुओं के साथ और दर्गा को सेवा पर सशर्त घोषित किया गया।

डी.

ई.

कृपया बोर्ड द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए उक्त विषय संस्थान से जुड़ी सेवा इनाम भूमि के विवरण के साथ उक्त विषय संस्थान की दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति जल्द से जल्द प्रस्तुत करें।

च

आपकी ईमानदारी से,

एस. डी./- XXXX

मुख्य कार्यकारी अधिकारी "40. तदनुसार दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट वक्फ बोर्डन 30.9.2005 को भेजी गई थी।प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार, जिस कार्यालय सूचना के कारण एर्राटा अधिसूचना जारी की गई, वह इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

“प्रस्तुत किया गयाः- इस मामले में वक्फ बोर्ड के सर्वेक्षक ने डी. हज़्ट से संबंधित भूमि के संबंध में वर्ष 1951 के लिए पुरानी पहाड़ी और वर्ष के लिए खसरापहानी की प्रतियां एकत्र कीं। हुसैन शाह ए

एच.

1277

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

वली मणिकोंडा (वी) में स्थित था और उसने उक्त राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों से यह स्पष्ट है कि सभी सर्वेक्षण संख्याएँ सरकारी भूमि पोरम्बोक के रूप में दिखाई गई हैं।आवश्यक कार्रवाई के लिए कलेक्टर, आर. आर. जिले को एक विस्तृत पत्र पहले ही 23-5-05 पर भेजा जा चुका है।इस संबंध में सरकार के साथ-साथ कलेक्टर आर. आर. जिले की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।यह इस कार्यालय के ध्यान में लाया जाता है कि सी। वक्फ के आयुक्त ने दूसरे सर्वेक्षण के दौरान उक्त विषय संस्थान को कवर किया है।इस तरह से सी। वक्फ के आयुक्त को सी की एक प्रति भेजने के लिए संबोधित किया जा सकता है। आगे की कार्रवाई के लिए दूसरे सर्वेक्षण की आयुक्त की रिपोर्ट।यदि संतुष्ट हो तो नीचे दिए गए मसौदे को मंजूरी दी जा सकती है।

ग

साय के सत्यापन के बाद। मणिकोंडा जागीर (v) के संबंध में फाइलों में उपलब्ध मौजूदा रिकॉर्ड से संख्या और क्षेत्र मामले में आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

डी.

इसके अलावा मेडक जिले में सांगा रेड्डी (एम) के गुंतापल्ली में स्थित सर्विस इनामलैंड्स का विवरण।किला मोहम्मद।आगे की कार्रवाई करने के लिए संबंधित मंडल से गोलकोंडा (एम) में नगर (वी) के साथ-साथ हुसैनशा (वी) भी तुरंत प्राप्त किया जा सकता है।ह /-

ह /-

ई.

ईओ 10.10.05

सी. ई. ओ. 12.10

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

प्रस्तुत-यह प्रस्तुत किया जाता है कि एस. आई. वक्फ, ए. पी., हाईड के आयुक्त ने विषय संस्थान और इसकी कुर्क की गई भूमि संपत्तियों के संबंध में अपनी दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की।

च

लेकिन वर्तमान राजपत्र प्रकाशन-सी नहीं दिखाया गया है। विषय संस्थान की सं. और इसकी संलग्न संपत्तियाँ।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सरकारी प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद को एक त्रुटि भेजकर राजपत्र में एक राजपत्र प्रकाशन प्रकाशित किया जा सकता है। आदेश के लिए प्रस्तुत किया गया।

जी.

ह /-

ई. ओ. 7.11.05

पहले के प्रकाशनों में, S.Nos. और संस्थान से जुड़े क्षेत्र को राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया है।दूसरे सर्वेक्षण के अनुसार

एच.

यदि इच्छा हो तो मणिकोंडा ग्राम भूमि की सीमा तक राजपत्र में प्रकाशन के लिए एक परिशिष्ट जारी किया जा सकता है।

कृपया मसौदा तैयार करें

ह /-

ई. ओ.

सी. ई. ओ. 9.11

7.11.05

3) एस. ओ. द्वारा अनुमोदित परिशिष्ट अधिसूचना, 8-12-05 पर राजपत्र में प्रकाशन के लिए मुद्रण प्रेस आयुक्त को भेजी जा सकती है।

ग

आदेशों के लिए।

ह /-

सी ई ओ 10.12

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

डी.

'सतवार' के अनुसार, प्रत्येक सी का कुल क्षेत्रफल। नहीं. एसी 1766-04 जीटीएस की एक सीमा आती है।

बयान को दयालु अवलोकन और आगे के आदेशों के लिए नीचे रखा गया है जो कृपया उचित और उचित समझते हैं।

4.1.06

सुपदी।

ई. ओ.

ई.

5.1.05

आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड एफ. एन. ओ. एम. 1/69 प्रो./आर. आर./04

तिथि 13.3.06

च

जी.

साहब,

उपःवक्फ-आर. आर. जिला।-राजेंद्रनगर (एम) मणिकोंडा (वी) दरगाह हजरत हुसैन शाह वली-एराटा से पहले की राजपत्र अधिसूचना-प्रकाशित-रेक-रेग तक।

एच.

1279

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

क.

संदर्भःअनुसूची संख्या 3057,3058 और 3059 के तहत पृष्ठ संख्या 262 पर राजपत्र अधिसूचना संख्या 6-ए, दिनांकित 9-2-1989।

मैं इसके साथ विषय संस्थान के एस. एल. संख्या 3057,3058 और 3059 के तहत पृष्ठ संख्या 262 पर पूर्व राजपत्र अधिसूचना संख्या 6-ए, दिनांकित 9-2-1989 पर एक परिशिष्ट अधिसूचना भेज रहा हूं।

यह कृपया इस कार्यालय को सूचित करते हुए अगले अंक में प्रकाशित किया जा सकता है।

कृपया भुगतान के लिए प्रकाशन शुल्क के बारे में तुरंत सूचित करें।

एन. सी. एल. एस.:- अधिसूचना में त्रुटि।

ग

13. 3 आपकी ईमानदारी से, मुख्य कार्यकारी अधिकारी।"41. इसके बाद विवादित एर्राटा अधिसूचना प्रकाशित की गई जिसे इस फैसले के शुरुआती भाग में पुनः प्रस्तुत किया गया है।42. आपराधिक न्यायालय के अभिलेख, जिसमें आई. पी. सी. की धारा 468,471,420,474,475,467 के तहत अपराधों का मुकदमा चलाया जाता है, मूल दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच करने के लिए मांगे गए थे।उक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि कर्नल नंबर 11 के जवाब में 'नील' शब्द पर सफेद तरल पदार्थ लगाया गया है और हाथ से लिखे गए शीर्षक 'टिप्पणी' के तहत रिपोर्ट के पृष्ठ 4 पर 3 से 4 पंक्तियों का भी प्रयोग किया गया है।संदर्भ "के लिए"

डी.

ई.

शेष इनाम भूमि, पी. एल.कॉलम के ऊपर पृष्ठ 2 पर टिप्पणी देखें

“संपत्ति की सकल आय रु। जागीर से 4104.16 ps "।पृष्ठ 4 पर उल्लिखित "टिप्पणियों" के जवाब में कहा गया है कि, "सैयद सैफुल्ला हुसैन (अवैध) के पत्र के अनुसार।4.2.02, मणिकोंडा जागीर का पूरा गाँव दरगाह हुसैन शाह वली से जुड़ा इनाम मशत्रुल किदमत है।पृष्ठ 2 पर शब्द "इनाम भूमि गाँव गुंटुपल्ली, किला मोहम्मद में स्थित है।नगर, गोलकोंडा और दरगाह हुसैन शाह वली गाँव की कृषि भूमि कॉलम संख्या 1-10 के सामने की गई प्रविष्टियों की तुलना में अलग-अलग लिखावट में हैं।पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2 पर कर्नल संख्या 11 के जवाब में लिखावट भी अलग है।सफ़ेद तरल पदार्थ के उपयोग के बाद, पृष्ठ 4 पर टिप्पणी का दूसरा भाग 932 वर्ग कि. मी. का क्षेत्र है।यार्ड पाँच व्यक्तियों के अवैध कब्जे में है एक ही लिखावट में है

च

जी.

कॉलम संख्या 1 से 10 के जवाब के रूप में।

एच.

43. अधिलेखन और परिवर्धन से पता चलता है कि विभिन्न हस्तलेखन में 1654 एकड़ और 32 गुंटेसियों का कुल विस्तार और बाद में सफेद तरल पदार्थ लगाने के बाद जोड़ा गया है।हालाँकि, चूंकि यह निर्धारित करने के संबंध में कि इस तरह के परिवर्तन किसने किए थे, आई. पी. सी. की धारा 468,471,420,474,475,467 के तहत अपराधों के लिए मुकदमा लंबित है, इसलिए वर्तमान कार्यवाही में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

iii) उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं की ओर ले जाने वाले तथ्य

44. निगम के साथ-साथ राज्य द्वारा दिनांकित 6.4.2006 एर्राटा अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जबकि अन्य रिट याचिकाएं भी उक्त अधिसूचना पर विवाद करते हुए दायर की गई थीं।उक्त रिट याचिका में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अनुरोध किया गया था कि मणिकोंडा एक जागीर गाँव है और उन्मूलन विनियमों के अनुसार, उक्त गाँव उक्त विनियम की धारा 6 के तहत राज्य सरकार में निहित है।सरकारी आदेश संख्या 1 दिनांक 03.10.1949 के अनुसार, सितंबर, 1949 के अंत तक सभी जागीर गाँवों पर दीवानी (सरकार) द्वारा कब्जा कर लिया गया है।इस प्रकार, 1954 के अधिनियम के अधिनियमन से पहले कोई वक्फ संपत्ति नहीं थी। यह भी अनुरोध किया गया कि प्राचीन काल के सभी राजस्व रिकॉर्ड बताते हैं कि मणिकोंडा गाँव की भूमि सरकारी भूमि रही है।6.4.2006 पर प्रकाशित एर्राटा अधिसूचना ने मणिकोंडा गांव में भूमि पर राज्य के अधिकार, अधिकार और हित पर एक बादल बना दिया है।यह बताया गया कि अधिसूचना अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों का पालन किए बिना जारी की गई है। यह आगे तर्क दिया गया कि दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई थी जैसा कि ओवर-राइटिंग/सुधारों से स्पष्ट था और यहां तक कि मंडल राजस्व अधिकारी, सेरीलिंगमपल्ली और मंडल राजस्व निरीक्षक के हस्ताक्षर भी उनके बयानों के अनुसार जाली थे।यह बताया गया कि सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई है और सर्वेक्षण आयुक्त का कार्यकाल समय-समय पर बढ़ाया जा रहा है।नाजिम अतियत द्वारा पारित आदेश का उल्लेख करते हुए, यह दावा किया गया है कि मणिकोंडा एक जागीर गाँव था जो मूल रूप से एक सफीरुल्ला हुसैनी को दिया गया था।उन्होंने 1 रजब 1295 एच (20.6.1879) को हुसैन बिन मुकद्दम जंग को जमीन गिरवी रख दी थी।दोनों की मृत्यु के बाद, गिरवी रखने वाले और गिरवी रखने वाले, सफीरुल्लाह हुसैनी के बेटे अकबर हुसैन ने पुनः अनुदान के लिए संप्रभु के पास आवेदन किया, जिसकी अनुमति 1 रमजान 1333 ए. एच. (13.07.1915) को दी गई थी।दरगाह के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत उक्त अनुदान इस प्रकार हैः

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

1281

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

क.

“निज़ाम का फरमान

29 शाबान 1333 ए. एच. के वित्त विभाग के आवेदन को देखने के बाद, जिसमें यह प्रस्तुत किया गया है कि हजरत हुसैन शाह वली की दरगाह शरीफ की संपत्तियां (जागीरें), जो हसन बिन मोहसिन (सरकार की देखरेख में) के कारखाने के साथ गिरवी रखी गई हैं, दरगाह के सज्जादा के अनुरोध के अनुसार जारी की जा सकती हैं।

आदेश (फरमान)

वित्त मंत्री और राजस्व विभाग के महानिदेशक की राय के अनुसार यदि सज्जादा हसन बिन मोहसिन के कारखाने को देय राशि का भुगतान करता है तो दरगाह शरीफ से संबंधित संपत्तियों को निम्नलिखित शर्तों के तहत जारी किया जा सकता है।1) दरगाह का सज्जादा नियमित रूप से अन्य शेयरधारकों को हिस्से की राशि देगा, जिन्हें अपने रखरखाव और निर्वाह के लिए आवश्यक रखरखाव भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है।यदि राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो राजस्व विभाग इसके बारे में निर्णय लेगा।

ग

डी.

2) यदि इनाम पूछताछ या विरासत पूछताछ की आवश्यकता है, तो यह नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

ह /-

ई.

बुधवार

1 सेंट रमजान 1333 ए. एच. "

45. अकबर हुसैन की मृत्यु 1 बहमन 1343 फसली (4.12.1934) को हुई थी।उनके दो बेटे, सैयद नदीमुल्लाह और सफीरुल्लाह हुसैनी नाबालिग थे।इसलिए, संपत्ति का प्रबंधन 1349 फसली (1940) में कोर्ट ऑफ वार्ड की देखरेख में किया गया था।इसके बाद सैयद नदीमुल्लाह पाकिस्तान चले गए।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विस्तृत जांच के बाद नज़ीम अतियत द्वारा सफीरुल्ला हुसैनी के कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में एक आदेश जारी किया गया था।

च

जी.

46. चूंकि मणिकोंडा गाँव की जागीर को समाप्त कर दिया गया था, इसलिए कम्यूटेशन विनियमन के तहत कम्यूटेशन राशि का भुगतान 1958 के मुंतखा बॉर्डर No.98 के माध्यम से कानूनी उत्तराधिकारियों को किया गया था।नज़ीम अतियत का आदेश स्वयं स्पष्ट करता है कि मणिकोंडा जागीर और गुंतापल्ली जागीर जागीर उन्मूलन के अधीन थे और अन्य संपत्तियां इनाम उन्मूलन के अधीन थीं।यह बताया गया कि मसरूत-उल-खिदमत के रूप में जागीर का अनुदान

एच.

1282

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 19 एस सी आर।

विशेष रूप से बंदोबस्ती विनियमों के दायरे से बाहर रखा गया था।संप्रभु ने स्वामित्व धारक के रूप में भूमि पर कब्जा करना जारी रखा, लेकिन मुत्तावली द्वारा केवल उपयोग का उपयोग किया जा सकता था।यह अनुरोध किया गया था कि इस तरह की जागीर का अनुदान उन्मूलन विनियमन की धारा 16 के तहत समाप्त कर दिया गया था जो 15.8.1949 पर लागू हुआ था, इसलिए, 1954 अधिनियम या 1995 अधिनियम में वक्फ का हिस्सा मशरूत-उल-खिदमतस विचाराधीन भूमि पर लागू नहीं होगा।

47. यह भी अनुरोध किया गया कि नज़ीम अतियत का आदेश अतियत पूछताछ अधिनियम के प्रावधानों के तहत पारित किया गया था, जो विशेष रूप से समाप्त जागीरों/इनामों के संबंध में परिवर्त्तन राशि से संबंधित उत्तराधिकार के दावों के लिए प्रदान किया गया था और उनसे संबंधित था।इस प्रकार, जागीरों के उन्मूलन के बाद संपत्ति ने मशरूत-उल-खिदमत की किसी भी विशेषता को बरकरार नहीं रखा और नज़ीम अतियत के पास इस भूमि का अधिकार क्षेत्र तय करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

ग

48. वक्फ बोर्ड की ओर से दायर एक जवाबी हलफनामे में यह कहा गया है कि इर्रता अधिसूचना वक्फ संस्थान या दरगाह से जुड़ी संपत्ति के संबंध में है जिसे संप्रभु द्वारा प्रदान किया गया था और मुख्यमंत्री द्वारा पुष्टि की गई थी।प्रथम सर्वेक्षण आयुक्त की रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया है कि संस्था को सेवा प्रदान करने के लिए दरगाह को मणिकोंडा और गुंतापल्ली जागीर गाँव आवंटित किए गए थे।इस प्रकार, एर्राटा अधिसूचना कोई नई अधिसूचना नहीं है क्योंकि आवश्यक विवरण मूल अधिसूचना में ही प्रदान करना होगा।यह बताया गया कि मणिकोंडा हजरत शेख बड़े साहब को दिया गया था और छूट प्राप्त अनुदानों की सूची में था। इसलिए, उन्मूलन विनियमन की धारा 6 मणिकोंडा गाँव पर लागू नहीं होती है।मुख्यमंत्री के दिनांक 1 के आदेश को यह तर्क देने

के लिए संदर्भित किया गया था कि जागीरों के उन्मूलन के कारण मणिकोंडा और दरगाह शरीफ के गाँवों को सरकार की हिरासत में सौंप दिया गया है।जागीर प्रशासन द्वारा संपत्ति के धारक के वंशजों को भेजी गई परिवर्त्तन राशि और मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दिया गया किराया दरगाह के सेवा खर्च के लिए था।ये संपत्तियाँ केवल दरगाह की सेवा के लिए थीं।दरगाह के मामलों का प्रबंधन मुस्लिम वक्फ बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।सरकार को सर्वेक्षण आयुक्त की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में, यह कहा गया था कि सरकार केवल रिपोर्ट के मंत्री वाहक के रूप में कार्य करती है।

डी.

ई.

च

जी.

49. यह भी तर्क दिया गया कि सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी को सर्वेक्षण रिपोर्ट के रूप में नहीं माना गया था, यह केवल ए

एच.

1283

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा प्रदान की गई जानकारी।बोर्ड के पास जानकारी को सुरक्षित करने और प्राप्त ऐसी जानकारी पर कदम उठाने के लिए आवश्यक शक्तियां हैं।यह निम्नलिखित रूप में दावा किया गया थाः

"एक वैध शीर्षक, कानूनी रूप से टिकाऊ रुख और सही विवरण, प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने के आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब उस प्रक्रियात्मक कदम के बारे में शिकायत की गई है कि रिपोर्ट सीधे बोर्ड तक पहुंची है न कि सरकार के माध्यम से।"

50. कहा जाता है कि 1 रमजान 1333 ए. एच. (13.07.1915) के संप्रभु के आदेश को गलत समझा गया था क्योंकि अकबर हुसैन को दरगाह में उनकी सेवा के अधीन अनुदान दिया गया था।इस प्रकार, किसी भी वक्फ संस्थान की सेवा या सेवा करने वाले व्यक्ति के नाम पर अनुदान को किसी भी व्यक्ति के नाम पर अनुदान के रूप में नहीं माना जा सकता है, लेकिन यह दरगाह की संपत्ति है और वक्फ की परिभाषा के अंतर्गत आता है।बंदोबस्ती विनियमों में मशरूत-उल-खिदमत को बंदोबस्ती या वक्फ के रूप में शामिल नहीं किया गया है।काउंटर में विशिष्ट अभिकलन इस प्रकार हैः- "इस कथन के जवाब में कि नज़ीम अतियत के दिनांकित 31.5.57 के आदेश से पता चलता है कि उक्त भूमि कभी भी दरगाह को नहीं दी गई थी, बल्कि केवल HEH द्वारा दी गई थी। निजाम ने 1 रमजान 1333 को अकबर हुसैन पुत्र सफीउल्लाह हुसैनी को दूसरी प्रतिवादी दरगाह में सेवा करने के अधीन रहते हुए गलत धारणा व्यक्त की है, क्योंकि यह माननीय उच्च न्यायालय के साथ-साथ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माना गया है कि "किसी भी वक्फ संस्थान की सेवा या सेवा करने वाले व्यक्ति के नाम पर अनुदान को किसी व्यक्ति के नाम पर अनुदान के रूप में नहीं माना जा सकता है, लेकिन यह दरगाह की संपत्ति है और यह वक्फ की परिभाषा के अंतर्गत आता है।यह व्याख्या करना बिल्कुल गलत है कि मसरूतुल खिदमत के रूप में जागीर के अनुदान को बंदोबस्ती या वक्फ के रूप में नहीं माना गया था, इस तरह के अनुदान यानी मसरूतुल खिदमत को 1349 फसली के हैदराबाद धार्मिक बंदोबस्ती विनियमों के दायरे से बाहर रखने से भी स्पष्ट है।यह कहना बिल्कुल गलत है कि शासक निज़ाम ने भूमि पर कब्जा करना जारी रखा क्योंकि स्वामित्व धारक केवल मुतवल्ली के लिए था।"

ग

डी.

ई.

च

जी.

51. यह भी माना गया कि मशरूत-उल-खिद्मठ की अवधारणा 1954 के अधिनियम से पहले भी अस्तित्व में थी क्योंकि इस तरह के अनुदान को मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक और धर्मार्थ के रूप में मान्यता दी गई है।इस प्रकार इसने वक्फ कानून के संहिताकरण से पहले ही वक्फ का चरित्र प्राप्त कर लिया था।

एच.

52. यह प्रस्तुत किया गया था कि उन्मूलन विनियमन द्वारा, जागीरों को समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि केवल जागीरदार थे। जागीरदारों की राजस्व संग्रह भूमिकाओं को जागीर प्रशासकों ने अपने हाथ में ले लिया था।जब जागीर को वक्फ संस्थान के संबंध में मशरूत-उल-खिदमतिन के रूप में प्रदान किया जाता है, तो यह एक स्थायी समर्पण होता है और अनुदानकर्ता के पास उक्त संपत्ति का कोई अधिकार या स्वामित्व नहीं होता है।अनुदान प्राप्तकर्ता का उद्देश्य अवध-ओ-गुल चढ़ाना, एक धार्मिक अनुष्ठान, फ़तेहा चढ़ाना है।इस बात से इनकार किया गया था कि जागीर के उन्मूलन के बाद इस संपत्ति में मशरूत-उल-खिदमत की कोई भी विशेषता नहीं थी।

53. इस न्यायालय में प्रस्तुत तेलंगाना वक्फ बोर्ड की ओर से लिखित प्रस्तुतियों के साथ तारीखों और तथ्यात्मक पृष्ठभूमि की सूची के अनुसार, यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्ष 1913 के आधिकारिक राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, मणिकोंडा की भूमि को सरकारी भूमि के रूप में दिखाया गया है।यह भी रिकॉर्ड में आया है कि मणिकोंडा गांव की जमीन निगम को हस्तांतरित कर दी गई थी।वक्फ बोर्ड का यह रुख है कि सरकारी ज्ञापन के खिलाफ कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई क्योंकि भूमि को गलत तरीके से सरकारी भूमि के रूप में वर्णित किया गया था।निगम ने आई. टी. पार्कों के विकास के लिए निजी डेवलपर्स की बोलियां आमंत्रित करने के लिए 22.9.2004 पर एक विज्ञापन जारी किया और इसके जवाब में, कुछ निजी दलों ने अपनी बोलियां प्रस्तुत कीं। लेकिन आवंटन पत्र जारी करने से पहले, राज्य सरकार द्वारा 27.7.2005 पर एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी जिसमें प्रस्तावित आवंटन पर आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं।हालांकि, वक्फ बोर्ड सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई थी।इसके बाद विभिन्न निजी आबंटियों को 17.8.2005 पर भूमि आवंटित की गई।एम्मार हिल्स टाउनशिप पी. लिमिटेड जैसे कुछ अपीलार्थियों का यह रुख है कि उक्त अपीलार्थी को वर्ष 1999 में भूमि आवंटित की गई थी और उसके बाद निर्माण शुरू किया गया था।

ग

डी.

ई.

च

54. वक्फ बोर्ड द्वारा 2008 की रिट याचिका संख्या 4515 में दायर जवाबी हलफनामे में यह प्रस्तुत किया गया था कि मुंतखाब से प्रकट शाही अनुदान दरगाह को सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया था, भले ही अनुदान प्राप्तकर्ता का नाम उसमें उल्लेख किया गया था।जब अनुदान सेवा प्रदान करने के लिए दिया जाता है, तो अनुदान प्राप्तकर्ता की मृत्यु के बाद भी, संपत्ति कभी भी शासक को वापस नहीं की जाएगी, लेकिन दरगाह के नाम पर बनी रहेगी।

जी.

55. उच्च न्यायालय ने सामान्य आदेश के माध्यम से राज्य या निगम द्वारा किए गए अलगाव को चुनौती देने के लिए जनहित में दायर तीन रिट याचिकाओं का फैसला किया।2008 की रिट याचिका संख्या 6148 और 2007 की 28112 कथित पट्टेदारों की ओर से दायर की गई थी, जबकि रिट याचिका संख्या 6148 और 28112 कथित पट्टेदारों की ओर से दायर की गई थी।

एच.

1285

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

क.

4515 निगम से भूमि के एक आवंटी द्वारा 2008 का आवेदन दायर किया गया था।उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित तीन प्रश्नों की जांच कीः

"I. हैदराबाद (जागीरों का उन्मूलन), विनियम, 1358F और हैदराबाद जागीर (कम्यूटेशन) विनियम, 1359F का क्या प्रभाव पड़ता है और क्या उन्मूलन के बाद जागीरों की भूमि राज्य सरकार में निहित है?

II. क्या आई. डी. 1 दिनांकित त्रुटि अधिसूचना वक्फ अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के खिलाफ है?

III. क्या त्रुटि अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएं विचारणीय हैं और क्या वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत उपलब्ध प्रभावी और प्रभावी वैकल्पिक उपचार को देखते हुए उन्हें प्रतिबंधित किया गया है?"

ग

56. उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि एक वक्फ को उपयोगकर्ता द्वारा माना जाता है और जो भी संपत्तियों को वक्फ के रूप में माना जाता है, उसे वापस नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह हमेशा एक वक्फ बना रहता है।उच्च न्यायालय ने वक्फ संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को रद्द कर दियाः

डी.

"32. इस स्तर पर, अधिकारियों को गुणा करने के बजाय, हम इस संबंध में प्रसिद्ध सिद्धांतों को दोहरा सकते हैं।

(1) वक्फ के मोहम्मडन कानून की उत्पत्ति पैगंबर द्वारा निर्धारित एक नियम से हुई है और इसका अर्थ है "ईश्वर और सर्वशक्तिमान के स्वामित्व में संपत्ति को बांधना और मनुष्यों के लाभ के लिए लाभ की भक्ति"।

ई.

(2) जब कोई संस्थापक संपत्ति को वक्फ के लिए समर्पित करता है, तो संस्थापक का स्वामित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाता है।

(3) जब एक बार यह घोषित किया जाता है कि कोई विशेष संपत्ति, वक्फ है या ऐसी किसी अभिव्यक्ति का उपयोग वक्फ या दस्तावेज़ को दर्शाते हुए किया जाता है, तो यह दर्शाता है कि किसी पवित्र या धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए समर्पण है, तो व्यक्ति का अधिकार समाप्त हो जाता है और स्वामित्व सर्वशक्तिमान को हस्तांतरित कर दिया जाता है।वक्फ का प्रबंधक मुतवल्ली है।हालांकि मुतवल्ली वक्फ संपत्ति के प्रशासक, राज्यपाल, अधीक्षक या संरक्षक हैं, लेकिन वक्फ से संबंधित संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं है।

च

जी.

(4) समर्पण विशेष रूप से पूजा स्थल, खानकाह, दरगाह, कब्रिस्तान आदि के पक्ष में होने की आवश्यकता नहीं है। यह पर्याप्त है अगर,

एच.

समर्पण मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धर्मार्थ या धार्मिक के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्य के लिए किया जाता है।

(5) सेवा के बोझ से दबे व्यक्तियों को दिया जाने वाला सेवा इनाम, जो पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए है, वक्फ के सभी अवयवों का विवरण देता है।

(6) भले ही भूमि का अनुदान सेवा प्रदान करने के लिए हो, वक्फ को, भूमि पर ही मस्जिद या खानकाह का निर्माण, वक्फ को समर्पण का पर्याप्त प्रमाण है।

(7) जब एक बार संपत्ति को वक्फ माना जाता है, तो यह हमेशा एक वक्फ के रूप में अपने चरित्र को बनाए रखता है और सेवा, इनामदारों और कब्जे वाले व्यक्तियों को पट्टा देने से इसका चरित्र किसी भी तरह से नहीं बदलता है।

ग

(8) एक मामले में जहां इनाम एक पवित्र, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के संबंध में सेवा प्रदान करने के लिए सेवा इनाम है, सेवा से बोझिल इनाम का धारक उस संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं करता है।यदि भूमि को ऐसे इनामदार से गैर-निष्पादन, सेवा के लिए फिर से शुरू किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति को फिर से दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि वक्फ को सेवा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा जाता है।"

डी.

57. उन्मूलन के बाद की स्थिति के संबंध में, न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:"35. धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों को सहायता देने के लिए दिए गए अनुदान के संबंध में उन्मूलन विनियमन, उसके तहत बनाए गए नियमों और जागीर कम्यूटेशन विनियमों में विशेष प्रावधान हैं।जागीर विनियमों की धारा 16 के परंतुक (बी) के अनुसार, शुद्ध आय का वितरण जहां तक संभव हो अनुदानकर्ता की इच्छाओं के अनुसार और प्रथा और उपयोग के अनुरूप होगा।उक्त विनियमों के तहत बनाए गए नियम 6 में धारा 16 के परंतुक (बी) के तहत विचार की गई शुद्ध आय के वितरण की विधि शामिल है।इसमें जोड़ा गया सिद्धांत सुल्-ए-सुल्सन है।इसके अनुसार, आय का आधा हिस्सा उद्देश्य की पूर्ति के लिए खर्च किया जाएगा और शेष आधा जागीरदार, मुतवल्ली या कर्तव्यों का पालन करने के हकदार अन्य व्यक्तियों और सूबेदारों (इनामदार के कानूनी उत्तराधिकारी) के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा।इसे कम्यूटेशन विनियमों के विनियम 10 (2) द्वारा और स्पष्ट किया गया है, जो सरकार को 90 प्रतिशत का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है।ए की सेवा के लिए 1 अप्रैल, 1950 से शुरू होने वाले प्रत्येक वर्ष संस्थान में आवागमन की सकल मूल राशि

ई.

च

जी.

एच.

संस्थान प्रथम दृष्टया, इनमें से कोई भी प्रावधान महाधिवक्ता को इस तर्क को बनाए रखने में मदद नहीं करता है कि परिवर्तन के भुगतान पर, मशरूत-उल-खिदमत उलट जाता है और संप्रभु/सरकार में निहित होता है।इस मामले में, यह धारणा कि क्षेत्र में भूमि के हिस्से का अधिकार हमेशा संप्रभु में निहित होता है, दूसरों द्वारा किसी भी दावे के अभाव में (आर. हनुमैया बनाम कर्नाटक राज्य, (2010) 5 एससीसी 203 में दोहराया गया है) आकर्षित नहीं करता है।"

58. इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने 1249 फसली में निजाम सरकार द्वारा जारी मुंतखाब, नाजिम कोर्ट ऑफ वार्ड की अधिसूचना दिनांक 29.3.1956, नाजिम अतियत का दिनांक 31.5.1957 और परिणामी मुंतखाब दिनांक 26.11.1958, अनंतिम परिवर्तन पुरस्कार दिनांक 30.09.1952 और उच्च न्यायालय के दिनांक 14.12.1961 के आदेश पर भरोसा करते हुए कहाः

ग

"36. .....राज्य चाहेगा कि यह न्यायालय इन दस्तावेजों से एक निष्कर्ष निकाले कि अनुदान मशरूत-उत-खिदमत है और कोई सिद्ध समर्पण नहीं है, जागीरों के उन्मूलन के बाद भूमि सरकार में निहित है।दरगाह का वक्फ बोर्ड इन दस्तावेजों के साथ-साथ तीन तुलनात्मक रूप से हाल के दस्तावेजों पर भी भरोसा करता है, जो सरकार को सचिवों के बीच सरकारी ज्ञापन/पत्राचार हैं, अर्थात ज्ञापन दिनांक 1 और दो पत्र दिनांक 2 और 3 यह कहने के लिए दबाव डालते हैं कि अनुदान की तारीख से, मणिकोंडा की भूमि वक्फ थी और जागीरों के उन्मूलन के बाद भी और कानूनी उत्तराधिकारियों और उनके सीदारों को परिवर्त्तन राशि के भुगतान के बावजूद, इसने वक्फ होने का चरित्र बरकरार रखा।हमारी सुविचारित राय में, इन सभी दस्तावेजों को उन पर भरोसा करने वाले किसी भी पक्ष द्वारा स्पष्ट और समझाया जाना चाहिए।जब तक समकालीन परिस्थितियों और उस अवधि की प्रासंगिक घटनाओं के संबंध में गहन जांच नहीं की जाती है जब तक कि प्राचीन दस्तावेज अस्तित्व में नहीं आए (मौखिक साक्ष्य या अन्य दस्तावेजों द्वारा हो सकता है), महाधिवक्ता के इस कथन को स्वीकार करना बिल्कुल भी संभव नहीं है कि विषय भूमि वक्फ नहीं है और इसे जागीरों के उन्मूलन पर सरकार द्वारा लिया गया था।"

डी.

ई.

च

जी.

59. उच्च न्यायालय ने उन्मूलन विनियम का उल्लेख करते हुए इसे बहुत संदिग्ध पाया कि क्या सरकार ऐसे इनाम में किसी निहित अधिकार का दावा कर सकती है।उच्च न्यायालय इन मुद्दों में गहराई से जाने के लिए इच्छुक नहीं था।निम्नलिखित कारणों को दर्ज किया गयाः

एच.

"38. इस प्रकार, जागीर विनियम, कम्यूटेशन विनियम और इनाम उन्मूलन अधिनियम ने वक्फ सहित धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों के समर्थन के उद्देश्य से आयोजित सभी जागीरों और इनामों को अलग तरीके से माना।यदि वे इनाम, कानूनी रूप से, साबित हो जाते हैं, तो उन्हें मंदिर या वक्फ जैसे धर्मार्थ और धार्मिक संस्थानों को दान के रूप में माना जाता है, और यह बहुत संदेहपूर्ण है कि क्या सरकार ऐसे इनामों में किसी निहित अधिकार का दावा कर सकती है।हम बुनियादी कारणों से इन मुद्दों में गहराई से जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं।हमने केवल उन प्रावधानों के स्पष्ट अर्थ के संदर्भ में प्रस्तुतियों पर विचार किया है जिन पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है।इसके अलावा, दरगाह को निजाम अनुदान की प्रकृति और गन्ती के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दावा किए गए अधिकार के बारे में भी गंभीर रूप से विवादित प्रश्न हैं।दोनों पक्षों के पास अपने शस्त्रागार में

विभिन्न दस्तावेज हैं, जिनमें से कुछ इस अदालत के समक्ष पेश किए जाते हैं।वे सभी आगे के स्पष्टीकरण के अधीन व्याख्या और निष्कर्ष की मांग करते हैं।"

ग

60. त्रुटि अधिसूचना के संबंध में, उच्च न्यायालय ने पाया कि 1995 के अधिनियम की धारा 4 और 5 एक समूह बनाती हैं, धारा 6,7 और 83 वक्फ के संबंध में विवाद की स्थिति में लागू न्यायिक प्रावधान हैं जबकि 1995 के अधिनियम के खंड 32 (2) के साथ पठित धारा 40 और 41 प्रावधानों का एक अन्य समूह बनाते हैं।उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार पाया -"44. उपरोक्त प्रावधान के विश्लेषण से पता चलेगा कि वक्फ बोर्ड स्वयं किसी भी वक्फ संपत्ति के बारे में जानकारी एकत्र कर सकता है जिसे उसके पास वक्फ संपत्ति मानने का कारण है।वक्फ बोर्ड की अपने दम पर जानकारी एकत्र करने की यह शक्ति सर्वेक्षण आयुक्तों की नियुक्ति के लिए धारा 4 (1) के तहत राज्य सरकार की शक्ति के अधीन नहीं है।धारा 4 से 8 अध्याय 2 में दिखाई देते हैं, जो वक्फ के सर्वेक्षण से संबंधित है और धारा 4 केवल "वक्फ के प्रारंभिक सर्वेक्षण" की बात करती है।अध्याय 5 (धारा 36 से 43) वक्फों के पंजीकरण से संबंधित है।कानून के अनुसार प्रत्येक वक्फ, चाहे वह वक्फ अधिनियम के शुरू होने से पहले या बाद में बनाया गया हो, वक्फ बोर्ड के कार्यालय में पंजीकृत होगा।भले ही किसी वक्फ का सर्वेक्षण धारा 4 (3) के तहत सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सर्वेक्षण या उल्लेख नहीं किया गया हो, फिर भी प्रत्येक वक्फ के पंजीकरण की बाध्यता है, और धारा 43 के अनुसार, वक्फ अधिनियम से पहले पंजीकृत सभी वक्फ को इसके तहत पंजीकृत माना जाएगा।इस संदर्भ में धारा 40 का महत्व है।उसकी उप-धारा (3) में एक गैर-ए शामिल है।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

1289

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

अव्यक्त खंड।यह वक्फ अधिनियम के अन्य प्रावधानों को दरकिनार करता है वक्फ अधिनियम के अन्य प्रावधानों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, धारा 40 (3) के तहत वक्फ बोर्ड एक पूछताछ कर सकता है और यदि यह संतुष्ट है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है, तो ट्रस्ट या सोसायटी को नोटिस जारी कर सकता है और फिर धारा 36 के तहत पंजीकरण कर सकता है।"

61. उच्च न्यायालय ने पाया कि 1995 के अधिनियम की धारा 6,7 और 83 को पढ़ने से इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वक्फ की सूची में वक्फ संपत्ति के रूप में निर्दिष्ट कोई विशेष संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, इस सवाल पर वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए स्थापित मुकदमे में निर्णय लिया जाना चाहिए।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 40 एराट अधिसूचना जारी करने के लिए वक्फ बोर्ड को शक्तियां प्रदान करने के लिए पर्याप्त है और न तो सरकार के लिए दूसरा सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त करना आवश्यक है और न ही उसके लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

ग

62. तीसरे मुद्दे के संबंध में कि क्या रिट याचिकाएं वर्जित हैं, उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम के तहत वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित सभी विवादों, प्रश्नों या किसी भी काम या अन्य मामलों पर केवल वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

डी.

“73. धारा 6,7,83 और 85 को ध्यान में रखते हुए विवाद, प्रश्न या वक्फ से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में रिट याचिकाओं के बारे में सीधे सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी उदाहरणों और वक्फ बोर्ड की वक्फ का पंजीकरण कराने या धारा 41 के तहत वक्फ के पंजीकरण में संशोधन करने की शक्ति को देखते हुए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि यह न्यायालय राज्य और अन्य लोगों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकता है जिन्हें सरकार या एपीआईआईसी ने मणिकोंडा भूमि के कुछ हिस्से आवंटित किए हैं।इस निर्णय की अवधि को बढ़ाने से बचने के लिए, रिट याचिका की स्थिरता के सवाल पर वक्फ बोर्ड के वकील द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न अन्य निर्णयों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।हम महाधिवक्ता के इस कथन से भी प्रभावित नहीं हैं कि इन रिट याचिकाओं में उठाए गए मुद्दे में तथ्य का कोई विवादित प्रश्न शामिल नहीं है या इन रिट याचिकाओं में उठाया गया मुद्दा वक्फ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।"63. उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित उपरोक्त निष्कर्ष वर्तमान अपीलों में चुनौती का विषय हैं।

ई.

च

जी.

एच.

G. अपीलार्थियों के तर्क

64. राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री वी. गिरि ने अन्य बातों के साथ-साथ उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए विभिन्न दलीलें दीं।यह तर्क दिया गया कि पहली अधिसूचना में दरगाह से संबंधित संपत्तियों के कथित बहिष्कार के संबंध में कभी कोई विवाद नहीं उठाया गया था, भले ही पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को भेजी गई थी।वक्फ बोर्ड के कहने पर 17 साल की लंबी देरी के बाद त्रुटि अधिसूचना प्रकाशित की गई थी।विवादित त्रुटि अधिसूचना अधिनियम के तहत निर्धारित किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना इस आधार पर जारी की गई है कि कुछ भूमि को अधिसूचना दिनांक 09.02.1989 में अधिसूचित नहीं किया गया था।भले ही अधिसूचना में वक्फ भूमि के रूप में दावा की गई कुछ भूमि को बाहर रखा गया हो, वक्फ बोर्ड 1995 के अधिनियम की धारा 40 के तहत स्वतः संज्ञान शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन के बाद, यानी प्रभावित पक्षों को अवसर देने के बाद ऐसी जांच की आवश्यकता थी।चूंकि भूमि को राज्य की भूमि के रूप में दिखाया गया था, इसलिए राज्य प्रभावित पक्ष था जो विचाराधीन भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले सुनवाई का हकदार था।इसके अलावा, निगम को सरकारी भूमि के प्रस्तावित आवंटन के खिलाफ 15 दिनों के भीतर 27.07.2005 पर राज्य द्वारा जारी किए गए नोटिस के खिलाफ कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई।चूंकि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए निगम ने आगे विभिन्न निजी समूहों को भूमि आवंटित की।इसलिए, भूमि के बड़े क्षेत्र में फैली संपत्ति पर अचानक अधिकार का दावा करने में वक्फ बोर्ड की कार्रवाई प्रामाणिक नहीं है।इस न्यायालय के एक फैसले का संदर्भ एम. पी. वक्फ के रूप में दिया गया था।

ग

डी.

ई.

65. यह भी कहा गया कि दूसरे सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा दिनांक 1 की अधिसूचना के माध्यम से गठित सर्वेक्षण रिपोर्ट को 1995 के अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत राज्य सरकार को कभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। चूंकि कानून द्वारा अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, इसलिए वक्फ बोर्ड उस रिपोर्ट के आधार पर अधिसूचना प्रकाशित नहीं कर सका जो कभी भी राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई थी।उक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट में भौतिक परिवर्तन नग्न आंखों से दिखाई दे रहे थे।हालाँकि रिपोर्ट यह निर्धारित करने के लिए एक परीक्षण का विषय है कि परिवर्तन किसके कारण हुए हैं, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट

अधिसूचना के आधार पर नहीं हो सकती है।वक्फ बोर्ड का यह रुख कि एर्राटा अधिसूचना दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आधारित नहीं है, मान्य नहीं है क्योंकि वक्फ बोर्ड द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से पता चलता है कि ऐसी रिपोर्ट भी है

च

जी.

एच.

29 (2006) 10 एससीसी 696 ए

1291

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

नाजिम अतियत के आदेश के रूप में दो कारकों पर विचार किया गया जिसके कारण विवादित अधिसूचना जारी की गई।

66. यह तर्क दिया गया था कि मणिकोंडा गाँव एक जागीर गाँव था।जागीरें संप्रभु द्वारा अनुदान प्राप्तकर्ता के जीवनकाल के लिए प्रदान की गई थीं और वंशानुगत या विदेशी नहीं थीं।जागीरदार की मृत्यु के बाद, इसे फिर से देना संप्रभु का विवेक था।ए का संदर्भ दिया गया है

फैसला अहमद-उन-निसा बेगम और एक अन्य बनाम राज्य के रूप में मुख्यमंत्री और अन्य 30 के माध्यम से रिपोर्ट किया गया।

67. उन्मूलन विनियम ने जागीरदारों को समाप्त कर दिया और उन्मूलन विनियम के विनियम 4 के संदर्भ में जागीर की भूमि राज्य को सौंप दी।जागीरदारों को जागीरों के उन्मूलन के बाद केवल नकद भुगतान के बदले में कम्यूटेशन मूल्य प्राप्त करना था। विनियम 16 किसी मंदिर, मस्जिद या किसी धार्मिक या सार्वजनिक उद्देश्य के लिए स्थापित किसी भी संस्था को दी गई जागीरों को समाप्त कर देता है।यह तर्क दिया गया था कि यदि मस्जिद को दी गई जागीर समाप्त हो जाती है, तो धार्मिक संस्था की सेवा के लिए सशर्त अनुदान वाली भूमि भी जागीरों के उन्मूलन के आवश्यक परिणाम के रूप में समाप्त हो जाएगी।मुख्यमंत्री के दिनांकित 29.05.1956 के आदेश से यह भी पता चलता है कि जागीरों के उन्मूलन के कारण मणिकोंडा गाँव को सरकार को सौंप दिया गया है।

ग

डी.

68. नाजिम अतियत अदालत के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि अनुदान प्राप्तकर्ता के पास दरगाह की सेवा के लिए सशर्त अनुदान है, और यह कि ऐसा अनुदान उन्मूलन विनियमन और इनाम उन्मूलन अधिनियम के अधीन है। इसलिए, भले ही मणिकोंडा गाँव की भूमि को सशर्त अनुदान के रूप में दिया गया था, लेकिन इसे उन्मूलन विनियमन के आधार पर समाप्त कर दिया गया था।मुंतखाब से पता चलता है कि सैयद सफीउल्ला हुसैनी को सुल्-ए-सुल्सन की प्रथा को देखते हुए सशर्त अनुदान का दो तिहाई दिया गया था जो कि प्रत्येक का एक तिहाई है जबकि परिवार के अन्य सदस्यों को एक तिहाई दिया जाना था।इस तरह के अनुदान को उन्मूलन विनियमन के परिणामस्वरूप कम्यूटेशन विनियमन के अधिनियमन के साथ समाप्त कर दिया गया था।नज़ीम अतियत के आदेश के संदर्भ में, सैयद सफीउल्ला हुसैनी के उत्तराधिकारियों को दिनांक 05.06.1959 के पुरस्कार के माध्यम से परिवर्तन राशि का भुगतान किया गया था।मोहम्मद के रूप में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया था।हब्बीबुद्दीन खान

ई.

च

जी.

v. जागीर प्रशासक, आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य 31

यह तर्क देने के लिए कि जैसा कि उन्मूलन और कम्यूटेशन विनियमों ने उक्त की धारा 2 के तहत अतियत अनुदान के संबंध में उत्तराधिकार के दावे को समाप्त कर दिया

30 ए. आई. आर. 1952 हाईड 163 31 (1974) 1 एस. सी. सी. 82

एच.

1292

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 19 एस सी आर।

अधिनियम और अतियत न्यायालय की शक्ति और अधिकार क्षेत्र अतियत अनुदान में अधिकारों, स्वामित्व या हित के बारे में पूछताछ करने और ऐसे अनुदान प्राप्त करने की पात्रता के संबंध में उत्तराधिकार के दावे की जांच करने तक सीमित था।रिलायंस को के. एस. बी. अली बनाम ए. पी. राज्य और अन्य 32 के रूप में रिपोर्ट किए गए उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले पर भी रखा गया है।याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिका में उचित उपचार की अनुमति के साथ रिट याचिका को वापस ले लिया था।याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक और रिट याचिका दायर की।उक्त रिट याचिका खारिज कर दी गई।दूसरी रिट याचिका में पारित आदेश को फिर से एक अपील में, इस अदालत ने के. एस. बी. अली बनाम ए. पी. राज्य और अन्य 33 के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में अतियत अदालत द्वारा पारित आदेश के आधार पर अपीलार्थी के दावे को खारिज कर दिया।

ग

69. यह प्रस्तुत किया गया था कि यह तर्क कि 'एक बार वक्फ हमेशा वक्फ होता है' जागीरदारों के वैधानिक उन्मूलन और मंदिर, मस्जिद और अन्य धार्मिक संस्थानों को समर्पित जागीर भूमि की भूमि सहित राज्य को जागीर भूमि सौंपने के कारण लागू नहीं होगा।यदि धार्मिक संस्थानों को दी गई भूमि को निरस्त कर दिया जाता है, तो ऐसे धार्मिक संस्थानों को सेवा का सशर्त अनुदान नहीं रह सकता है क्योंकि यह धार्मिक संस्थानों को दिए गए जागीरदारी अधिकारों से बड़ा नहीं है।वक्फ में कोई भी अधिकार संप्रभु के अधिकार पर हावी नहीं होगा, जो अपनी संपत्ति के भीतर सभी भूमि का भंडार है।इसलिए, उन्मूलन और कम्यूटेशन विनियम किसी धार्मिक संस्थान की सेवा के लिए सशर्त अनुदान सहित भूमि में किसी भी अधिकार का स्थान ले लेंगे।

डी.

ई.

70. श्री गिरि ने आगे तर्क दिया कि 1995 के अधिनियम के संदर्भ में, न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को वक्फ के बोर्ड या मुतवल्ली के अलावा केवल उसमें रुचि रखने वाले व्यक्ति द्वारा लागू किया जा सकता है।यद्यपि 'उसमें रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति' शब्द को 2013 के संशोधन द्वारा 'कोई भी व्यथित व्यक्ति' द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, इसलिए, रिट याचिका दायर करने की तारीख पर, राज्य वक्फ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को लागू नहीं कर सकता था।राशिद वली बेग बनाम फरीद पिंडारी और अन्य मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए। 34, यह तर्क दिया गया कि उक्त अपील में शामिल प्रश्न अधिसूचना की वैधता या अधिकार क्षेत्र या प्रक्रियात्मक अनुचितता की कमी नहीं थी, जो वर्तमान अपीलों में विचार के लिए उत्पन्न हुई है।

च

जी.

32 (2007) एससीसी ऑनलाइन एपी 765 33 (2018) 11 एससीसी 277

34 (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 1003 ए

एच.

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

71. निगम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री सी. एस. वैद्यनाथन ने कहा कि उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र को केवल इसलिए बाहर नहीं किया जा सकता है क्योंकि वैकल्पिक वैधानिक उपचार मौजूद हैं।रिट अधिकार क्षेत्र को लागू करने का अधिकार किसी भी बाहरी प्रतिबंधों से अबाधित है।प्रबंधन समिति को संदर्भित किया जाता है

और एक अन्य बनाम कुलपति 35 और अतिरिक्त कुलाधिपति।सिकरी।सरकार को

भारत बनाम अलका सुभाष गड़िया **(**श्रीमती**) 36.**संदर्भ भी दिया गया था

के. के. कोचुन्नी बनाम मद्रास राज्य 37, व्हर्लपूल निगम बनाम ट्रेडमार्क पंजीयक 38 और बालकृष्ण राम बनाम भारत संघ 39।

72. यह तर्क दिया गया था कि भले ही वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था, फिर भी उच्च न्यायालय के पास निम्नलिखित मामलों में अधिकार क्षेत्र है-(1) जहां विवादित कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन में है, (2) जहां चुनौती किसी ऐसी कार्रवाई के लिए है जो स्पष्ट रूप से गलत है और प्रत्यक्ष रूप से अधिकार क्षेत्र के बिना है, (3) या कानून के अधिकारों को चुनौती दी गई है, (4) या जहां संविधान के भाग III द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट याचिका दायर की गई है।यह तर्क दिया गया था कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है क्योंकि राज्य को राजस्व रिकॉर्ड में विवादित भूमि के मालिक के रूप में दर्ज किया गया है और वक्फ बोर्ड 2005 में निगम के पक्ष में भूमि हस्तांतरण से पहले आपत्तियां दर्ज करने में विफल रहा था।

ग

डी.

73. यह तर्क दिया गया कि वक्फ बोर्ड 1995 के अधिनियम की धारा 40 (1) के तहत अर्ध-न्यायिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। इस तरह का तथ्य दो तथ्यों से स्पष्ट होता है, एक जांच जिसे संचालित करने की आवश्यकता होती है और जांच के बाद लिया गया निर्णय, जिसे वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।इस बारे में कानूनी सिद्धांत कि कब एक सांविधिक प्राधिकरण का कार्य एक अर्ध-न्यायिक कार्य होगा, वह यह है कि जहां (1) किसी कानून के तहत कोई कार्य करने के लिए सशक्त एक सांविधिक प्राधिकरण, (2) जो विषय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, (3) कोई दो या दो प्रतिद्वंद्वी पक्ष नहीं हैं और प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण और विषय के बीच है और (4) सांविधिक प्राधिकरण को क़ानून के तहत न्यायिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है और उक्त प्राधिकरण का निर्णय एक अर्ध-न्यायिक है।संदर्भ दिया जाता है कि

ई.

च

क्रांति एसोसिएट्स (पी) लिमिटेड बनाममसूद अहमद खान 40.हो सकती है जांच

प्रभावित पक्षों को सुनने के बाद ही आयोजित किया जाए।फैसले के बाद से

जी.

35 (2009) 2 एस. सी. सी. 630

36 1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 496 37 ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 725 38 (1998) 8 एस. सी. सी. 39 (2020) 2 एस. सी. सी. 442 40 (2010) 9 एस. सी. सी. 496

एच.

वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णय के अधीन है, इसलिए वक्फ बोर्ड द्वारा एक तर्कपूर्ण आदेश दर्ज करने की आवश्यकता है जिसका वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष परीक्षण किया जा सकता है।वक्फ ट्रिब्यूनल का अधिकार क्षेत्र बोर्ड द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील के उपाय के समान है।74. एर्राटा अधिसूचना कथित तौर पर अधिकार क्षेत्र के बिना जारी की गई है क्योंकि ऐसी कोई अधिसूचना बिना किसी जांच के संक्षिप्त रूप से जारी नहीं की जा सकती है, केवल इस आधार पर कि मणिकोंडा गाँव दरगाह की सेवा के लिए एक सशर्त अनुदान है।यह आगे तर्क दिया गया कि एर्राटा अधिसूचना केवल सीमित परिस्थितियों में जारी की जा सकती है जहां आकस्मिक पर्ची या चूक से लिपिक और अंकगणितीय गलतियाँ होती हैं, जो सी. पी. सी. की धारा 152 के साथ समानता रखती हैं। एर्राटा अधिसूचना की आड़ में भूमि के एक बड़े हिस्से पर नए अधिकार नहीं बनाए जा सके।एर्राटा अधिसूचना बल्कि सार और सार में है, 1995 के अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना एक नई अधिसूचना। यदि अधिनियम किसी कार्य को करने का एक विशेष तरीका प्रदान करता है, तो अधिनियम को उसी तरीके से किया जाना चाहिए और अन्य सभी विकल्पों को बाहर रखा जाना चाहिए।यह भी तर्क दिया गया कि धारा 32 (2) (एन) के तहत शक्ति अधिनियम की धारा 40 के तहत लिए जाने वाले निर्णय की सहायता के लिए केवल एक कदम था। अधिनियम की धारा 32 (2) (एन) वक्फ बोर्ड को वक्फ की प्रकृति और विस्तार की जांच और निर्धारण करने का अधिकार देती है।बोर्ड इस प्रकार अधिनियम की धारा 40 के संदर्भ में अपने अर्ध-न्यायिक निर्णय के लिए एक कदम-दर-कदम सहायता के रूप में वक्फ की प्रकृति की जांच और निर्धारण करने में सक्षम है। धारा 32 (2) (एन) के निर्धारण को अधिनियम की धारा 40 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया था

ग

डी.

ई.

(1) v. समाज कल्याण संस्थान 41.

75. मेसर्स लैंको हिल्स टेक्नोलॉजी पार्क प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार ने प्रस्तुत किया कि एर्राटा अधिसूचना की वैधता पर निर्णय और इस सवाल के बावजूद कि क्या विषय भूमि वक्फ संपत्ति है या नहीं, अपीलकर्ता के साथ-साथ हजारों व्यक्तियों के अधिकार जिनके पक्ष में अधिकार और संपत्तियों में हित बनाए गए हैं, इस अदालत द्वारा 8.5.2012 पर पारित आदेश को देखते हुए और वक्फ बोर्ड और दरगाह के प्रस्तुत करने को देखते हुए अपीलकर्ता राज्य और/या निगम द्वारा संरक्षित किए जाने हैं।वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा वित्तीय मुआवजे के दावे के संबंध में 7.11.2010 और 14.4.2011 पर दायर हलफनामों के लिए आगे का संदर्भ दिया गया था।

च

जी.

41 (2002) 5 एससीसी 685 ए

एच.

76. यह तर्क दिया गया कि 1995 के अधिनियम की धारा 40 के तहत कोई जांच नहीं की गई थी, कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और बोर्ड द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था।इस आशय का कोई दस्तावेज या दावा भी नहीं था कि बोर्ड ने धारा 40 लागू की या निर्णय लिया कि 1654 एकड़ भूमि वक्फ संपत्ति थी।1995 के अधिनियम की धारा 40 के साथ 1954 के अधिनियम की धारा 27 पर विचार करते हुए सुभान शाह पर भरोसा किया जाता है कि बोर्ड 1954 के अधिनियम

की धारा 27 के तहत कार्यवाही शुरू कर सकता था, लेकिन वर्तमान मामले में, बोर्ड द्वारा कोई स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी और इस संबंध में किसी भी इच्छुक पक्ष को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।

77. यह भी तर्क दिया गया कि धारा 40 में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की परिकल्पना नहीं की गई है। अधिसूचना के प्रकाशन पर केवल 1995 के अधिनियम की धारा 5 के तहत विचार किया गया है। इसलिए, यह तर्क कि बोर्ड ने धारा 40 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया था, पूरी तरह से गलत है।यह आगे तर्क दिया गया कि बोर्ड इस बारे में स्पष्ट नहीं था कि उक्त निर्णय धारा 40 के तहत लिया गया है या 1995 अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत लिया गया है। वास्तव में, बोर्ड ने 1995 के अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के पालन को उचित ठहराने की कोशिश की, जब यह कहा जाता है कि दूसरा सर्वेक्षण आयुक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, इसलिए यह कहना व्यर्थ है कि सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा उक्त भूमि को दरगाह की भूमि के रूप में शामिल करने से पहले राज्य सरकार या जिला कलेक्टर को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।इसलिए सरकार को नोटिस जारी करने का सवाल ही नहीं उठा।

ग

डी.

ई.

78. यह भी तर्क दिया गया कि सिविल न्यायालय की अधिकारिता का प्रतिबंध निरपेक्ष नहीं है और यह केवल उन मामलों तक ही सीमित है जो 1995 के अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण द्वारा तय किए जाने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय का निष्कर्ष रमेश गोबिंदराम और अनीस फातिमा बेगम के फैसलों के विपरीत है।यह माना गया कि चूंकि एर्राटा अधिसूचना धोखाधड़ी और जालसाजी पर आधारित थी, इसलिए यह 1995 के अधिनियम की धारा 4 और 5 का उल्लंघन है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है और अधिकार क्षेत्र के बिना था और इसलिए अमान्य था।79. उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को इस प्रभाव के लिए उद्धृत किया है कि एक रिट तब भी लागू होगी जब कोई वैकल्पिक प्रभावी उपाय हो यदि विवादित कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन में हो या कार्रवाई स्पष्ट रूप से गलत हो और प्रत्यक्ष रूप से अधिकार क्षेत्र के बिना हो।हालाँकि, उक्त सिद्धांत उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में लागू नहीं किया गया था।अधिसूचना की वैधता और वैधता को चुनौती

च

जी.

एच.

वक्फ बोर्ड द्वारा जारी किया गया मामला स्वीकार्य रूप से ऐसा मामला नहीं है जिसे वक्फ न्यायाधिकरण को 1995 के अधिनियम के तहत निर्धारित करना आवश्यक है। रिलायंस रही है

हरबंस लाल साहनिया बनाम इंडियन ऑयल कार्पोरेशन 42 , राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 43 और बाल कृष्ण बनाम भारत संघ और अन्न। 44.

80. यह भी तर्क दिया गया कि मणिकोंडा गाँव की भूमि जागीर की भूमि थी और उन्मूलन विनियमन के शुरू होने के बाद, मंदिरों, मस्जिदों या धार्मिक और पवित्र उद्देश्यों के लिए स्थापित किसी भी अन्य संस्था के पक्ष में दिए गए सशर्त अनुदान, जिसमें दरगाह भी शामिल है, को समाप्त कर दिया गया।नज़ीम अतियत के आदेश में ही कहा गया था कि मशरूत-उल-खिदमत अनुदान उन्मूलन विनियमन के प्रावधानों के अधीन होगा।नज़ीम अतियत द्वारा पारित आदेश के अनुसार, जागीरदार के उत्तराधिकारियों को दिनांक 5.6.1959 के कम्यूटेशन पुरस्कार के अनुसार कम्यूटेशन राशि का भुगतान किया गया है।इसलिए,

उच्च न्यायालय का आदेश टिकाऊ नहीं है और अपीलों को अनुमति दी जानी चाहिए।81. मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि 1654 एकड़ भूमि में से 200 एकड़ भूमि विश्वविद्यालय को दिनांक 18.03.1998 के आदेश के अनुसार आवंटित की गई थी।अपीलार्थी संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है।भूमि का कब्जा 23.07.1998 पर विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया था।विश्वविद्यालय 71 कार्यक्रम, स्नातक, स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तरों पर 19 विभाग और 6 अनुसंधान/प्रशिक्षण केंद्र प्रदान कर रहा है जिसमें 5000 से अधिक छात्र नामांकित हैं।अतः, अपीलार्थी को किए गए आबंटन में भारी विलम्ब और विलंब होता है।

ग

डी.

ई.

एच. उत्तरदाताओं के तर्क

82. वक्फ बोर्ड की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री हुज़ेफा ए. अहमदी ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं द्वारा उठाया गया सवाल कि क्या विषय भूमि वक्फ संपत्ति है और क्या उक्त संपत्ति को गलत तरीके से वक्फ की सूची में शामिल किया गया है, 1995 के अधिनियम की धारा 6,7,83,85 और 88 पर भरोसा करते हुए वक्फ न्यायाधिकरण के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है। विधायिका की मंशा अधिनियम की योजना से स्पष्ट है। निर्णयों का संदर्भ दिया जाता है

च

जी.

राजस्थान वक्फ बोर्ड बनाम देवकी नंदन पाठक और अन्य के रूप में रिपोर्ट किया गया। हरियाणा वक्फ बोर्ड बनाम महेश कुमार; वक्फ बोर्ड, पश्चिम

42 (2003) 2 एससीसी 107 43 (2021) 6 स्केल 78 44 (2020) 2 एससीसी 442 ए

एच.

1297

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

बंगाल एंड एन. आर. वी.अनीस फातमा बेगम और अन्र। पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम शाम सिंह हरिके; तेलंगाना राज्य वक्फ बोर्ड और अन्र बनाममोहम्मद मुजफ्फर; और राशिद वली बेग बनाम फरीद पिंडारी और अन्य।45

इस तरह के तर्क के समर्थन में।83. यह भी प्रस्तुत किया गया कि यह प्रश्न कि क्या कोई विशेष संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, अनीस फातमा बेगम और अन्र मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए रिट क्षेत्राधिकार में तय नहीं किया जा सकता है। यह तर्क दिया गया था कि रिट अदालत स्वामित्व के सवाल का फैसला नहीं करती है जो तथ्य का एक विवादित सवाल है। फैसलों का संदर्भ दिया गया था

भारत संघ बनाम टी. आर. वर्मा और भारत संघ और अन्य के रूप में रिपोर्ट किया गया।

v. गौस मोहम्मद।46. यह कहा गया कि इस तरह के प्रश्नों को अधिनियम के तहत वक्फ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में विशेष रूप से शामिल किया गया है।

ग

84. गुण-दोष पर, यह तर्क दिया गया कि 31.5.1957 पर नाज़िम अतियत द्वारा पारित आदेश में निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं:

i. मणिकोंडा गाँव छूट प्राप्त जागीरों की सूची में था।ii. द्वितीय तालुकदार ने अपनी राय में कहा था कि दरगाह की सेवा के अधीन अकबर हुसैनी के नाम पर मणिकोंडा गाँव को जारी रखा जा सकता है।इस राय की पुष्टि प्रथम तालुकदार ने की थी।

डी.

ई.

iii.मानिकोंडा गाँव दरगाह की सेवा के लिए एक मशरूत अतिया शाही अनुदान था।

iv.सभी गाँवों के संबंध में अंतिम आदेश पारित करते समय, गाँव मणिकोंडा और गुंटापल्ली को इनाम उन्मूलन अधिनियम के अधीन नहीं बनाया गया था, जैसा कि अन्य गाँवों के संबंध में किया गया था।

च

85. इसके बाद, एक रिट याचिका में, उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के आदेश में कहा कि मणिकोंडा और गुंटापल्ली गाँव दरगाह के पक्ष में सशर्त सेवा अनुदान थे।इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि एक बार जब मणिकोंडा गाँव को मश्रूत उल खिदमत, यानी दरगाह की सेवा के लिए एक सशर्त अनुदान माना जाता है, तो यह वक्फ़ की परिभाषा के अंतर्गत आता है।इसके अलावा, मुख्यमंत्री का 29 मई, 1956 का आदेश केवल मणिकोंडा गांव को अदालत की देखरेख से रिहा करता है।

जी.

45 (2017) 14 एस. सी. सी. 561; (2014) 16 एस. सी. सी. 45; (2010) 14 एस. सी. सी. 588; (2019) 4 एस. सी. सी. 698; (2021) 9 एस. सी. सी. 177; और 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1003।

एच.

46 ए. आई. आर 1961 एस. सी 744

1298

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 19 एस सी आर।

वार्ड और इसे सरकार के साथ एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में तब तक रखता है जब तक कि अतियत अदालत मामले का फैसला नहीं करती।उक्त आदेश में इस तथ्य पर ध्यान दिया गया है कि विचाराधीन संपत्तियां (जिसमें मणिकोंडा गांव भी शामिल है) दरगाह की सेवा के लिए थीं।यह प्रस्तुत किया गया था कि वक्फ के मुस्लिम कानून की उत्पत्ति पैगंबर द्वारा निर्धारित एक नियम से हुई है और इसका अर्थ है "सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्वामित्व में संपत्ति को बांधना और मनुष्यों के लाभ के लिए लाभ की भक्ति"।नवाब ज़ैन यार जंग के रूप में रिपोर्ट किए गए फैसले का संदर्भ दिया गया था (जब से

मृतक) और ओआरएस. वी.निदेशक बंदोबस्ती और ए. एन. आर. 47, जिसमें यह है

यह माना जाता है कि एक बार जब कोई संस्थापक वक्फ के लिए एक संपत्ति समर्पित कर देता है, तो संस्थापक का स्वामित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाता है।इस प्रकार, एक बार जब यह घोषित किया जाता है कि कोई विशेष संपत्ति वक्फ है या ऐसी किसी अभिव्यक्ति का उपयोग वक्फ का संकेत देते हुए किया जाता है या दस्तावेज़ से पता चलता है कि किसी पवित्र या धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए समर्पण है, तो संपत्ति को समर्पित करने वाले व्यक्ति का अधिकार समाप्त हो जाता है और स्वामित्व सर्वशक्तिमान को हस्तांतरित कर दिया जाता है।इसके बाद एक मुतवल्ली को वक्फ के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जाता है। हालांकि मुतवल्ली वक्फ संपत्ति के प्रशासक, राज्यपाल, अधीक्षक या क्यूरेटर हैं, लेकिन वक्फ से संबंधित संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं है।वक्फ के रूप में किसी संपत्ति का समर्पण विशेष रूप से पूजा स्थल, खानकाह, दरगाह, कब्रिस्तान आदि के

पक्ष में होने की आवश्यकता नहीं है। यह पर्याप्त है यदि समर्पण मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धर्मार्थ या धार्मिक के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्य के लिए किया जाता है।धार्मिक, धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए सेवा करने वाले व्यक्तियों को दिया जाने वाला सेवा इनाम वक्फ के सभी आवश्यक अवयवों को पूरा करता है।भले ही भूमि का अनुदान वक्फ को सेवा प्रदान करने के लिए हो, लेकिन वह स्वयं वक्फ जैसी भूमि के समर्पण का पर्याप्त प्रमाण है।जब एक बार संपत्ति को वक्फ माना जाता है, तो यह हमेशा एक वक्फ के रूप में अपने चरित्र को बनाए रखता है और सेवा इनामदारों और कब्जे वाले व्यक्तियों को पट्टा देने से इसका चरित्र किसी भी तरह से नहीं बदलता है।यदि इनाम किसी पवित्र, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के संबंध में सेवा प्रदान करने के लिए है, तो सेवाओं को करने के लिए जिम्मेदार इनाम का धारक उस संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं करता है।यदि भूमि को ऐसे इनामदार से सेवा के गैर-प्रदर्शन के लिए फिर से शुरू किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति को फिर से दिया जाता है, तो इसका मतलब केवल यह है कि वक्फ का प्रबंधन किसी अन्य व्यक्ति को सेवा करने के लिए सौंपा गया है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

86. श्री अहमदी ने आगे आंध्र प्रदेश के एक आदेश पर भरोसा किया

आर. दोरास्वामी रेड्डी बनाम वक्फ ए. पी. बोर्ड मामले में उच्च न्यायालय।

हैदराबाद के प्रतिनिधि।इसके सचिव द्वारा 48 का मानना है कि एक सेवा इनाम हो सकता है

47 ए. आई. आर 1963 एस. सी. 985

एच.

48 1978 एससीसी ऑनलाइन एपी 117 ए

1299

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

वक्फ।श्री अहमदी ने आगे एक अन्य निर्णय पर भरोसा किया जो बताया गया था

सैयद अली और ओआरएस. वी.ए. पी. वक्फ बोर्ड, हैदराबाद और अन्य। 49 जहाँ ए

सवाल यह उठा कि क्या एक संपत्ति जो मूल रूप से हैदराबाद के निजाम द्वारा समर्थन और दरगाह की सेवाओं के लिए दान की गई थी, एक बार ईमान उन्मूलन अधिनियम के तहत मोखसादारों के पक्ष में पट्टा दिए जाने के बाद वक्फ संपत्ति होने का चरित्र खो देगी। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि चूंकि मणिकोंडा भूमि मुस्लिम कानून के तहत एक वक्फ के निर्माण के मानदंडों को एक मशरूत अतिया शाही के रूप में पूरा करती है, और यह कि गाँव का उपयोग दरगाह के रखरखाव और वार्षिक उर्स के उत्सव के लिए किया जा रहा था, इसलिए समर्पण मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्य के लिए था।87. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि 1964 में 1954 के अधिनियम में संशोधन से पहले ही मशरूत उल खिदमत को पवित्र, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के रूप में मान्यता दी गई है।आगे यह तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले के तथ्यों और अतियत अदालत के आदेश से यह भी पता चलता है कि विचाराधीन भूमि का उपयोग फरमान जारी होने के बाद से ही अवध गुल के प्रदर्शन और दरगाह में उर्स के त्योहार के लिए किया जाता रहा है।दरगाह की उक्त सेवा और उर्स, फूलों आदि के खर्चों को पूरा करना फरमान जारी होने के बाद से लगभग एक सदी से अधिक समय से जारी है।यह तर्क दिया गया था कि ऊपर जो तर्क दिया गया है, उसके प्रति पूर्वाग्रह के बिना, संपत्ति के औपचारिक समर्पण के बिना भी, धार्मिक उद्देश्य के लिए संपत्ति का उपयोग 1954 और 1995 के अधिनियम के अर्थ के भीतर वक्फ की प्रकृति में समान होगा।

ग

डी.

ई.

88. यह तर्क दिया गया कि राज्य सरकार का यह कहना कि कोई वक्फ नहीं बनाया गया था क्योंकि कोई स्थायी समर्पण नहीं था क्योंकि शीर्षक पारित नहीं हुआ था, प्रत्यक्ष रूप से गलत और गलत धारणा है।सबसे पहले, उक्त समर्पण इस गलत आधार पर आगे बढ़ता है कि जागीरों का अनुदान शीर्षक निहित नहीं करता है।जागीर प्रशासन और सुधारों पर शाही आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए, आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) (जागीरों का उन्मूलन) विनियमन, 1358 एफ की घोषणा से पहले, जागीरों की कई अलग-अलग श्रेणियां थीं, जिनमें से कुछ स्थायी और कुछ अस्थायी थीं।यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि मणिकोंडा जागीर अस्थायी थी।इसलिए, यह तथ्य का एक विवादित प्रश्न होने के कारण केवल वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।दूसरा, अनुदान की शर्तें और इसकी प्रकृति, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, का अनुमान केवल मूल फरमान की व्याख्या पर लगाया जा सकता है जो कि

च

जी.

49 (1998) 2 एस. सी. सी. 642

एच.

सरकारी अभिलेखागार से बुलाया गया।तीसरा, यह प्रस्तुत किया गया था कि ऊपर जो कहा गया है, उस पर पूर्वाग्रह के बिना, इस तर्क का पूरा आधार कि एक स्थायी समर्पण बनाने के लिए औपचारिक शीर्षक को पारित किया जाना चाहिए, गलत धारणा है।सेवा इनामों में भी औपचारिक उपाधि सरकार के पास रहती है।इस न्यायालय ने सेवा की शर्त वाले ऐसे इनामों की व्याख्या वक्फ के रूप में की है।चूंकि वक्फ का गठन करने वाले समर्पण की स्थायित्व सेवा और भूमि में हित के संबंध में मौजूद है, इसलिए यह एक वक्फ बन जाता है, भले ही औपचारिक शीर्षक पारित न हो।वर्तमान मामले में, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि मूल फरमान जिसने सेवा की शर्त के लिए समर्पण किया था, वह स्थायी नहीं था।वास्तव में, अतियत अदालत द्वारा दी गई कथा कुछ और ही बताती है।

ग

89. यह भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया कि चूंकि अतियत न्यायालय के पास संपत्ति के स्वामित्व का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि यह केवल देय हस्तांतरण की राशि तय करने का अधिकार रखता है, इसलिए यह टिप्पणी कि मणिकोंडा की भूमि दरगाह की सेवा के लिए मशरूत अतिया शाही अनुदान थी, को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।इस संबंध में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि मणिकोंडा की भूमि अतियत न्यायालय के आदेश के आधार पर नहीं, बल्कि फरमान द्वारा मूल अनुदान के आधार पर वक्फ संपत्ति बन गई है।अतियत न्यायालय का आदेश केवल उस स्थिति को दोहराता है और संपत्ति की प्रकृति के बारे में एक अवलोकन करता है जिसका कभी विरोध नहीं किया गया है।इसके अलावा, यदि 31 मई, 1957 के आदेश पर विचार किया जाता है, तो अतियत अदालत के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या आदेश में उल्लिखित 5 गाँव मशरूत या ज़ार-ख़रीद, यानी दरगाह के लिए सशर्त सेवा अनुदान या स्व-अर्जित संपत्ति थे।इस संबंध में, यह माना गया था कि मणिकोंडा भूमि दरगाह की सेवा के लिए एक मशरूत अतिया शाही अनुदान थी।उच्च न्यायालय ने 14 दिसंबर, 1961 के अपने आदेश के आधार पर इस निष्कर्ष की पुष्टि की थी।राज्य सरकार दोनों चरणों में एक पक्ष थी क्योंकि इसका प्रतिनिधित्व एक सरकारी वकील द्वारा किया जाता था।उक्त तथ्यात्मक स्थिति या अतियत न्यायालय की अधिकारिता के बारे में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी।वास्तव में, राज्य द्वारा दायर रिट याचिका में, यह स्वीकार किया गया है कि अनुदान को मशरूत

उल खिदमत अनुदान के रूप में माना गया था।ऐसी परिस्थितियों में, अंतिमता प्राप्त करने वाले निष्कर्षों को अब कथित अधिकार क्षेत्र की त्रुटि के आधार पर फिर से खोलने या चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इस स्थिति को आगे अतियत पूछताछ अधिनियम, 1952 की धारा 13 के अवलोकन द्वारा दबाया गया है, जहां अतियत न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के साथ अंतिमता जुड़ी हुई है।

डी.

ई.

च

जी.

90. श्री अहमदी ने आगे कहा है कि मणिकोंडा गाँव उन्मूलन विनियमन के अर्थ में जागीर नहीं था क्योंकि ए

एच.

1301

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

उन्मूलन विनियमन की धारा 2 (च) के संदर्भ में जागीर में मशरूत उल खिदमत शामिल नहीं है, हालांकि इसमें कई अन्य प्रकार की जागीरें शामिल हैं जैसे पैगाह, अग्रहार, उमली आदि। यह तर्क दिया गया था कि जागीर प्रशासन और सुधारों पर शाही आयोग की रिपोर्ट में सशर्त अनुदान और कुछ अन्य जागीरों का उल्लेख है जो स्थायी रूप से अनुदान प्राप्तकर्ता को दिए गए थे।आयोग ने सिफारिश की थी कि धार्मिक सेवा के लिए बनी जागीरों को फिर से शुरू नहीं किया जाना चाहिए।आगे यह तर्क दिया गया कि उन्मूलन विनियमन के विनियमन संख्या 5 के संदर्भ में सरकार में जागीरों का निहित होना स्वचालित नहीं था, लेकिन अलग-अलग जागीरों के लिए अलग-अलग तिथियों को अधिसूचित किया जाना था।मणिकोंडा गाँव से संबंधित कोई अधिसूचना रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई है जो यह दर्शाती है कि सरकार ने मणिकोंडा गाँव को सरकार को सौंपने के लिए एक निर्धारित तिथि अधिसूचित की है।इसके अलावा, 5 जून, 1959 के कम्यूटेशन पुरस्कार में कम्यूटेशन विनियमन के विनियमन संख्या 10 के तहत निर्धारित दरगाह को किए गए किसी भी भुगतान को नहीं दिखाया गया है।यह प्रस्तुत किया गया था कि वर्तमान मामले में जागीर, इनाम आदि शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया गया है, हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि विचाराधीन भूमि को दरगाह की सेवा के लिए अनुदान के रूप में मान्यता दी गई है, जो एक वक्फ है और जागीरों के उन्मूलन के बावजूद वक्फ बनी रहेगी।

ग

डी.

91. यह प्रस्तुत किया जाता है कि दूसरा सर्वेक्षण किया जा सकता है क्योंकि पहले सर्वेक्षण की तारीख से 20 साल बीत चुके थे और वक्फ बोर्ड के पास 1995 के अधिनियम की धारा 105 के तहत सर्वेक्षण आयुक्त से मणिकोंडा गांव से संबंधित रिपोर्ट बुलाने की शक्तियां थीं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि वक्फ बोर्ड के पास एर्राटा अधिसूचना जारी करने की शक्ति है और मणिकोंडा गांव को वक्फ संपत्तियों की सूची में सही ढंग से शामिल किया गया है क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास किसी भी संपत्ति के बारे में जानकारी एकत्र करने की शक्ति है जिसे वह वक्फ संपत्ति मानता है।यह तर्क दिया गया था कि धारा 4 और 5 एक समूह बनाते हैं जबकि धारा 32 वक्फ बोर्ड पर सभी वक्फों के सामान्य पर्यवेक्षण की शक्ति प्रदान करती है।धारा 32 (2) (एन) विशेष रूप से वक्फ संपत्ति की प्रकृति और विस्तार की जांच और निर्धारण करने के लिए वक्फ बोर्ड की शक्ति का उल्लेख करती है।ऐसी शक्ति एकतरफा है और न्यायनिर्णायक नहीं है, जहां वक्फ बोर्ड को अपनी जांच करने और वक्फ संपत्ति की प्रकृति और विस्तार निर्धारित करने का अधिकार है।इसलिए बोर्ड 1995 के अधिनियम की धारा 32 (2) (एन) के तहत प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करता है। ए. पी. के रूप में रिपोर्ट किए गए फैसले का संदर्भ दिया गया था।

ई.

च

जी.

ए. रशीद बनाम एन. एन. खालिद हाजी और अन्र, केरल उच्च न्यायालय का **50.**यह.

50 2011 एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 4185

एच.

1302

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 19 एस सी आर।

यह तर्क दिया गया कि धारा 32 (2) (एन) के तहत "जांच और निर्धारण" शब्दों का दायरा वक्फ बोर्ड द्वारा एक स्वतंत्र विवेक है, जिसमें इच्छुक व्यक्तियों को प्रक्रिया का हिस्सा बनाने की आवश्यकता नहीं है।रिलायंस को अटॉर्नी जनरल बनाम ह्यूजेस 51 के फैसले पर रखा गया है।वक्फ बोर्ड के पास यह तय करने की शक्ति है कि कोई संपत्ति धारा 40 के तहत वक्फ संपत्ति है या नहीं और वक्फ बोर्ड की उक्त कार्रवाई वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के अधीन है।इस तरह की जांच न्यायनिर्णायक नहीं है, लेकिन किसी विशेष वक्फ के अभिलेखों की जांच और ऐसे वक्फों को की गई संपत्ति के समर्पण के दौरान पूछताछ पर विचार करती है। यह बताया गया कि धारा 40 की उप-धारा (3) और (4) उन संपत्तियों से संबंधित हैं जो या तो किसी न्यास या सोसायटी की संपत्ति के रूप में पंजीकृत हैं।वक्फ बोर्ड को जांच करने का अधिकार है और यदि यह संतुष्ट होता है कि संपत्ति वक्फ संपत्ति है, तो वह संबंधित ट्रस्ट/सोसायटी से कारण बताने के लिए कहेगा कि ऐसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में क्यों पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए।इस प्रकार, केवल धारा 40 की उप-धारा (3) और (4) द्वारा विचार की गई ऐसी स्थिति में पंजीकरण प्राधिकरण को पूर्व सूचना देना आवश्यक है।रिलायंस को अमजद अली मिर्जा और अन्य बनाम के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक फैसले पर रखा गया था।वक्फ और अन्य का बोर्ड। 52.यह तर्क दिया गया कि वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति के बारे में जानकारी एकत्र करने की शक्ति जिसे वक्फ संपत्ति मानने का कारण है, 1995 के अधिनियम की धारा 4 से 6 के तहत सर्वेक्षण कराने की राज्य सरकार की शक्ति के अधीन नहीं है। यह तर्क दिया गया कि त्रुटि अधिसूचना जारी करने की वक्फ बोर्ड की अंतर्निहित शक्ति को देखते हुए, इसे केवल इसलिए निरर्थक नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसे 1995 के अधिनियम की धारा 4 से 6 के प्रावधानों के अनुसार जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि त्रुटि अधिसूचना जारी करने का पता 1995 के अधिनियम की धारा 32 (2) (एन) के साथ-साथ धारा 40 (1) के तहत लगाया जा सकता है।

ग

डी.

ई.

च

92. श्री अहमदी ने इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है

जैसे टी. एन. वक्फ बोर्ड बनाम हाथीजा अम्मल (मृत) एल. आर. और अन्य द्वारा, 53 और मदनुरी श्री राम चंद्र मूर्ति बनाम सैयद जलाल, 54

1954 के अधिनियम की धारा 27 से लेकर 1995 के अधिनियम की धारा 40 में समरूपता के प्रावधान हैं। इसलिए, वक्फ बोर्ड ने ऐसी संपत्ति को धारा 4 से 6 या धाराओं के तहत वक्फ की सूची में शामिल करने की अपनी शक्ति प्राप्त की।

जी.

51 (1899) 48 साप्ताहिक रिपोर्टर 150

52 2018 की सी. ओ. संख्या 749 ने 20.2.2019 53 (2001) 8 एस. सी. सी. 528 पर निर्णय लिया।

54 (2017) 13 एससीसी 174 ए

एच.

1303

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

30 या अधिनियम के 40. श्री अहमदी ने यह निष्कर्ष निकालने के लिए निम्नलिखित सामग्री का उल्लेख किया है कि मणिकोंडा गाँव एक वक्फ संपत्ति थी।

“क) मानिकोंडा गाँव दरगाह के लिए एक सेवा अनुदान था।ख) सैयद अली (उपरोक्त) में, इस माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि दरगाह को सेवा के साथ अनुदान एक वक्फ है और उन्मूलन विनियमों की परवाह किए बिना वक्फ के रूप में बना रहेगा।ग) किसी भी स्थिति में, अतियत अदालत के आदेश के अनुसार, मानिकोंडा गाँव दरगाह की सेवा के लिए एक मशरूत अतिया शाही अनुदान था।यह अतियत अदालत द्वारा जारी मुंतखाब से भी स्पष्ट है।

ग

घ) इस प्रकार, मणिकोंडा गाँव एक मसल, मूल उल खिदमत था, जो 1954 के अधिनियम के तहत वक्फ की परिभाषा के दायरे में आता था और विशेष रूप से 1964 से वक्फ की परिभाषा में शामिल किया गया है।

ई) इस तथ्य की उत्पत्ति कि मणिकोंडा की भूमि वक्फ भूमि थी, पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता लगाया जा सकता है, जिसमें टिप्पणी कॉलम में इसे निम्नानुसार नोट किया गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

“पा में मुतवल्ली दरगाह की देखभाल करते हैं।मणिकोंडा दरगाह हुसैन शाह वल्ली और गुंथापल्ली की जागीरें दरगाह और वार्षिक उर्स के संचालन के लिए दी गई थीं।मुतवल्ली द्वारा अब प्राप्त मुआवजे का विवरण ज्ञात नहीं है "

ई.

93. यह प्रस्तुत किया गया था कि इर्राटा अधिसूचना जारी करते समय वक्फ बोर्ड ने निम्नलिखित दस्तावेजों पर ध्यान दियाः

“आई. शाही फरमान

च

ii.तत्कालीन मुख्यमंत्री, प्रथम तालुकदार, द्वितीय तालुकदार और अन्य अधिकारियों के आदेश।

iii.नज़ीम ए अतियत का दिनांकित 31.5.1957 के साथ-साथ 24.09.1958 का आदेश (समीक्षा याचिका को खारिज करना)

जी.

iv.1959 की रिट याचिका संख्या 666 में राजस्व बोर्ड का दिनांकित आदेश बनाम माननीय उच्च न्यायालय का आदेश।

vi)नज़ीम ए अतियत द्वारा 26.11.1958 पर जारी किया गया मुंतखाब संख्या 98

एच.

vii.प्रथम सर्वेक्षण की रिपोर्ट जिसमें टिप्पणी कॉलम में उल्लेख किया गया है कि मानिकोंडा और गुंतापल्ली को संस्था को सेवा प्रदान करने के लिए दरगाह को आवंटित किया गया था।"94. यह भी तर्क दिया गया कि राज्य सरकार राज्य राजपत्र में जारी एक अधिसूचना को चुनौती दे रही है, जिसमें कहा गया है कि राज्य के राजस्व विभाग के बीच विवाद है, जो दावा कर रहा है कि विषय भूमि जागीर भूमि है, जबकि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का मानना है कि विषय भूमि वक्फ संपत्ति है।इस न्यायालय के एक फैसले का संदर्भ इस रूप में दिया गया था

मुख्य वन संरक्षक, ए. पी. सरकार बनामकलेक्टर और अन्य, 55 से

राज्य या राज्य के विभिन्न विभागों और इसके किसी भी उपक्रम के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद को हल करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा इसी तरह की समितियों के गठन का एक मजबूत मामला तैयार करना।राज्य सरकारों के लिए यह उचित होगा कि वे एक समिति का गठन करें जिसमें राज्य के मुख्य सचिव, संबंधित विभागों के सचिव, विधि सचिव और जहां वित्तीय प्रतिबद्धताएं शामिल हैं, वित्त सचिव शामिल हों।ऐसी समिति द्वारा लिया गया निर्णय सभी विभागों के लिए बाध्यकारी होगा।

ग

डी.

95. श्री अहमदी ने श्री गिरि द्वारा उठाई गई इस दलील का खंडन किया कि राज्य सरकार न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को लागू करने से वंचित है क्योंकि राज्य सरकार वर्ष 2007 में दायर मुकदमे में एक पक्ष है।यह कहा गया था कि सरकार हमेशा धारा 6 या 1995 के अधिनियम की धारा 83 के तहत न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकती है।

ई.

96. श्री अहमदी ने 8 मई, 2012 और 26 जुलाई, 2013 को इस न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि इस तरह के आदेश वक्फ भूमि की वसूली के बोर्ड के अधिकार को बाधित नहीं करते हैं।हालांकि, एक का उल्लेख करते हुए

इस न्यायालय के निर्णय को कानूनी प्रतिनिधियों बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य द्वारा के. बी. रामचंद्र राजे उर्स (मृत) के रूप में रिपोर्ट किया गया। 56, श्री अहमदी

च

उसने प्रस्तुत किया है कि एक बार जब यह निर्धारित हो जाता है कि संपत्ति का कब्जा कानून के विपरीत है, तो सामान्य राहत पूरी भूमि का कब्जा सही मालिक को सौंपना है, लेकिन यदि भूमि के किसी हिस्से पर निर्माण किया गया है, तो सही मालिक भूमि के बाजार मूल्य के संदर्भ में मुआवजा प्राप्त करने का हकदार हो जाता है जिसका उपयोग निर्माण के लिए किया गया है और वह भूमि के शेष हिस्से पर कब्जा वसूल करने का हकदार है जो खाली है।यह भी बताया गया कि सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों को अवैध रूप से 1226 एकड़ और 29 गुंटा आवंटित किए हैं।

जी.

55 (2003) 3 एससीसी 472 56 (2016) 3 एससीसी 422 ए

एच.

दलों ने जिनमें से 818 एकड़ और 9 गुंटा का उपयोग किया है।इस प्रकार, 428 एकड़ और 3 गुंटा भूमि अभी भी खाली है।कुल क्षेत्र जो खाली पड़ा है और जो वक्फ के अंतर्गत आता है, वह 836 एकड़ और 23 गुंटा है।इसलिए, इस न्यायालय से वक्फ न्यायाधिकरण को सभी मामलों में अपीलकर्ताओं को संपत्ति के खाली हिस्से का कब्जा सौंपने और निर्माण में उपयोग की गई संपत्ति के हिस्से के बाजार मूल्य पर वक्फ बोर्ड को मुआवजा देने का आदेश देने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

97. इस न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के आह्वान के संबंध में, यह तर्क दिया गया था कि वर्तमान मामले के तथ्य विवादित और विवादास्पद हैं।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि तथ्यों के विवादित प्रश्न का निर्णय रिट क्षेत्राधिकार में नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब अधिनियम वक्फ न्यायाधिकरण को ऐसे प्रश्नों का निर्णय करने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र देता है।

ग

98. इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि मशरूत उल खिदमत भूमि को विशेष रूप से "बंदोबस्ती विनियमों" के दायरे से बाहर रखा गया है।इसे विनियमन 447 के संदर्भ में संपन्न माना जाना चाहिए।यह प्रस्तुत किया गया था कि किसी गैर-धार्मिक संस्थान को सेवा की शर्त के अनुदान को दान के रूप में नहीं माना जाता है, जबकि धार्मिक संस्थान को दिए गए अनुदान को दान के रूप में माना जा सकता है।इस प्रकार, दरगाह की सेवा के लिए सशर्त अनुदान एक दान था।

डी.

99. दरगाह की ओर से दायर लिखित दलीलों में, यह प्रस्तुत किया गया था कि वक्फ न्यायाधिकरण को मुकदमे को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए और 1204 एकड़ आवंटित और उस पर बनाया गया है, जबकि 450 एकड़ की शेष भूमि अभी भी अछूती है।फरमान दिनांक 1 रमजान 57,1333 ए. एच. (13 जुलाई, 1915) जिसमें निजाम ने सफीउल्लाह हुसैनी के बेटे अकबर हुसैनी के पक्ष में अनुदान जारी किया है, इस निर्देश के साथ कि इनाम और उत्तराधिकार की पूछताछ को सुलझाया जाना चाहिए।उक्त मुद्दे का फैसला अतियत अदालत ने किया था।अतियत अदालत के आदेश के बाद 26 नवंबर, 1958 को तैयार किए गए मुंतखाब में उल्लेख किया गया है कि ग्राम मणिकोंडा दरगाह के सशर्त सेवा अनुदान के रूप में उत्पाद शुल्क सहित आय की वस्तुओं के साथ एक मुकुट अनुदान है।कॉलम 6 और 7 से पता चलता है कि मानिकोंडा गांव में 1898 एकड़ और 18 गुंटा का कुल विस्तार दरगाह को सशर्त सेवा अनुदान के रूप में दिया गया था।'सुल्से-ए-सुल्सन' की प्रथा के अनुसार, सैफुल्ला हुसैनियास सज्जादा को दो तिहाई और शेष एक तिहाई परिवार को दिया जाना था।इस तरह का तथ्य 1995 के अधिनियम की धारा 40 के तहत वक्फ बोर्ड के निर्णय के लिए एक इनपुट था।

ई.

च

जी.

57 रमजान भी

एच.

1306

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 19 एस सी आर।

वक्फ बोर्ड स्वतंत्र रूप से निर्णय पर पहुंच सकता था।चूंकि संपत्ति के वक्फ होने का कोई सवाल ही नहीं उठा, इसलिए आगे की जांच या कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी।सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रारूप सरकार के अधिकार में है और इसलिए इसे वक्फ बोर्ड की एक स्वतंत्र कवायद नहीं माना जा सकता है।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि एर्राटा अधिसूचना सरकार के अधिकार के तहत

जारी की जाती है।यह प्रस्तुत किया गया था कि इनाम का अर्थ है किराए से मुक्त भूमि का अनुदान जो वंशानुगत और स्थायी कब्जे के लिए था।इनामों को (ए) सनदी इनाम और (बी) गाओनीसबत इनाम के रूप में वर्गीकृत किया गया था।सनदी इनाम उस समय की शासक शक्ति से अनुदान था जो सभी सरकारी खर्चों से मुक्त था, जबकि गाओनीसबत इनाम गाँव द्वारा मुफ्त किराए पर दी गई भूमि थी।जागीर का अर्थ है सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को विशेष सेवा के पुरस्कार के रूप में दी गई भूमि का अनुदान।इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि दरगाह संपत्ति के वक्फ चरित्र को तय करने में, जागीर की अवधारणा और जागीर उन्मूलन विनियमन के साथ-साथ इनाम और इनाम उन्मूलन विनियमन की अवधारणा की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए क्योंकि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में जागीर गांव, इनाम भूमि, मशरूत-उल-खिदमत, क्राउन अनुदान, सेवा पर सशर्त जागीर, छूट प्राप्त जागीर आदि का उल्लेख किया गया है। दोनों कानूनों में धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों के लिए विशेष प्रावधान हैं।यह तर्क दिया गया था कि आई. डी. 1 दिनांकित कम्प्यूटेशन पुरस्कार अनंतिम था और यह स्पष्ट रूप से विनियमन 10 के संदर्भ में देय राशि का संकेत नहीं देता है जो धार्मिक संस्थान को किए जाने वाले राजस्व का 90 प्रतिशत प्रदान करता है।यह प्रस्तुत किया गया था कि सर्वशक्तिमान के प्रति स्थायी समर्पण सहित वक्फ की अनूठी अवधारणा को ध्यान में रखा जाना चाहिए।हाल के विधायी स्पष्टीकरणों ने मशरूत-उल-खिदमत को वक्फ की परिभाषा का हिस्सा बना दिया है।वक्फ उस न्यास से अलग है जहां संपत्ति का कानूनी अधिकार न्यासी के पास होता है लेकिन इक्विटी में लाभकारी अधिकार लाभार्थी के पास होता है।इसके अलावा, वक्फ एक विलेख या घोषणा के अभाव में उपयोगकर्ता द्वारा किया जा सकता है और एक बार जब किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति माना जाता है तो यह हमेशा के लिए वक्फ संपत्ति के रूप में बनी रहती है।100. श्री नकुल दीवान ने अन्य बातों के साथ यह तर्क भी दिया कि भले ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया हो, लेकिन वक्फ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं किया गया है।यह भी तर्क दिया गया कि पूछताछ अधिनियम की धारा 13 (2) उसमें पारित आदेश को अंतिम रूप देती है।101. यह तर्क दिया गया था कि विवाद का मुख्य मुद्दा भूमि के चरित्र को छूता है और इसे रिट अदालत द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है।इसका कारण यह है कि, संक्षेप में, अपीलकर्ताओं को सफल होने के लिए, यह साबित करने की आवश्यकता है कि दरगाह का भूमि पर अधिकार नहीं है।हालाँकि, इस तरह के प्रश्न का व्यापक रूप से ए का प्रयोग करने वाले न्यायालय द्वारा निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

1307

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र क्योंकि तथ्य के विवादित प्रश्न हैं और 31 मई 1957 को पारित अतियत अदालत का एक अंतिम बाध्यकारी निर्णय, जिसने पुष्टि की है कि भूमि मुस्लिम कानून के तहत एक धार्मिक और पवित्र उद्देश्य के लिए दी गई थी।

102. आगे यह तर्क दिया गया कि यह भूमि दरगाह की सेवा के लिए एक सशर्त अनुदान थी और वक्फ बनी रहेगी।वर्ष 1958 में जारी मुंतखाब संख्या 98 में, नज़ीम अतियत ने जागीर गाँव मणिकोंडा के अनुदान का मुकुट अनुदान के रूप में उल्लेख किया है।पूछताछ अधिनियम की धारा 13 के संदर्भ में, अतियत अनुदान से संबंधित मामलों में पारित आदेशों पर किसी भी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जाएगा।आगे यह तर्क दिया गया कि वक्फ ट्रिब्यूनल को इस सवाल से निपटने के लिए वैधानिक रूप से विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है कि क्या भूमि वक्फ की संपत्ति थी या नहीं।अंतिम निर्धारण कि क्या अपीलार्थी अपना प्रमुख मामला बनाने में सक्षम हुए हैं या नहीं कि भूमि वक्फ भूमि नहीं है, सात मुद्दों का सुझाव दिया गया था।इस प्रकार, वक्फ

ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित किए जाने वाले सभी मुद्दों को निर्देशित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार के लिए इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।103. यह भी तर्क दिया गया कि व्हर्लपूल में निर्णय

ग

डी.

निगम बनाम व्यापार चिह्न पंजीयक, मुंबई और अन्य। 58 है।

विशिष्ट क्योंकि उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि एक पीड़ित पक्ष एक वैकल्पिक मंच के समक्ष राहत प्राप्त कर सकता है।इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया था

ई.

आयकर और अन्य के आयुक्त के रूप में रिपोर्ट किया गया।छबील दास

अग्रवाल 59.वर्लपूल में, उच्च न्यायालय ने पक्षकारों को विवाद की जांच किए बिना वैधानिक मंच पर भेज दिया, लेकिन वर्तमान मामले में, विस्तृत जांच के बाद, उच्च न्यायालय ने अंततः पक्षकारों के लिए उपलब्ध वैकल्पिक वैधानिक उपचार को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर दिया।

च

I. वर्तमान अपीलों में निर्धारित किए जाने वाले मुद्दे

104. हमने कुछ दिनों में पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों को सुना है जिसमें विस्तृत तर्कों को संबोधित किया गया था, कई दस्तावेजों को संदर्भित किया गया था और पक्षों ने लिखित प्रस्तुतियाँ भी प्रस्तुत की थीं।हम पाते हैं कि इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं, जिनमें श्री नकुल दीवान द्वारा सुझाए गए प्रश्न भी शामिल हैंः

जी.

58 (1998) 8 एससीसी 59 (2014) 1 एससीसी 603

एच.

“(1) क्या उच्च न्यायालय ने वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष पक्षकारों को उपचार के लिए खारिज कर दिया था?

(2) क्या सरकार संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट कोर्ट के समक्ष त्रुटि अधिसूचना की वैधता पर विवाद करने की हकदार थी?

(3) क्या राज्य इस अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती देने के लिए तैयार है कि सरकारी वकील नज़ीम अतियत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ कार्यवाही में नज़ीम अतियत और उच्च न्यायालय के समक्ष मौजूद था और अधिसूचना राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी?

(4) क्या वक्फ बोर्ड के कहने पर प्रकाशित अधिसूचना 1995 के अधिनियम की धारा 40 के साथ पठित धारा 32 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग है?

(5) क्या दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट और/या अतियत अदालत के आदेश को वक्फ बोर्ड के पास 1995 के अधिनियम की धारा 5 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवादित त्रुटि अधिसूचना प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त सामग्री कहा जा सकता है?

डी.

(6) क्या अतियत न्यायालय का आदेश अनुदान प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार के प्रश्न से संबंधित है या दरगाह की सेवा के लिए सशर्त अनुदान की प्रकृति निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक है?

ई.

(7) क्या विचाराधीन भूमि मशरूत-उल-खिदमत भूमि है और इस प्रकार वक्फ भूमि बनी रहेगी, भले ही गाँव की जागीर को समाप्त कर दिया गया था या यह कि भूमि उन्मूलन विनियमों या कम्यूटेशन विनियमों के तहत या इमान उन्मूलन अधिनियम के तहत राज्य में निहित थी?

च

(8) क्या, त्रुटि अधिसूचना वैध ठहराए जाने की स्थिति में, दरगाह भूमि के कब्जे की वसूली करने का हकदार होगा या वैकल्पिक रूप से, क्या प्रतिवादी भूमि के सभी खाली हिस्सों के कब्जे की वसूली करने के हकदार हैं और भूमि के उन हिस्सों के संबंध में मुआवजे के हकदार हैं जिन पर निर्माण किया गया है?"

जी.

एच.

1309

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

क.

1. क्या उच्च न्यायालय ने वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष पक्षकारों को उपचार के लिए खारिज कर दिया था**?**

105. उच्च न्यायालय ने अपने विस्तृत आदेश में कानून के प्रावधानों और पक्षों द्वारा निर्दिष्ट दस्तावेजों पर चर्चा की है। अभिलिखित निष्कर्ष इस तथ्य का संकेत देते हैं कि उच्च न्यायालय राज्य की ओर से उठाई गई दलीलों से सहमत नहीं था जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि राज्य और निगम द्वारा दायर 2007 की रिट याचिका संख्या 23578 को खारिज कर दिया गया था। राज्य और अन्य पीड़ित पक्षों द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने से पहले, उच्च न्यायालय विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों से सहमत नहीं था कि उन्मूलन और कम्यूटेशन विनियमों के संदर्भ में कम्यूटेशन राशि के भुगतान पर, मशरूत-उल-खिदमत उलट गया और संप्रभु में निहित था।इसलिए, यह धारणा कि क्षेत्र में भूमि के हिस्से का अधिकार हमेशा संप्रभु में निहित है, आकर्षित नहीं होती है।हालाँकि उक्त निष्कर्ष को प्रथम दृष्टया कहा जाता है, लेकिन क़ानून के प्रावधानों पर चर्चा करने के बाद, उच्च न्यायालय ने वास्तव में राज्य के खिलाफ निष्कर्ष वापस कर दिया है।इसके अलावा, पक्षों द्वारा भरोसा किए गए विभिन्न दस्तावेजों का जिक्र करते हुए, उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को उन पर भरोसा करने वाले किसी भी पक्ष द्वारा स्पष्ट करने और समझाने की आवश्यकता है।समकालीन परिस्थितियों के संबंध में एक गहरी जांच करने की आवश्यकता थी और उस अवधि की प्रासंगिक घटनाओं की जांच करने की आवश्यकता थी जब प्राचीन दस्तावेज अस्तित्व में आए थे, मौखिक या अन्य दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा हो सकते हैं।पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों के अवलोकन पर, उच्च न्यायालय ने कहा कि महाधिवक्ता की इस दलील को स्वीकार करना बिल्कुल भी संभव नहीं है कि विषय भूमि वक्फ नहीं है और इसे जागीरों के उन्मूलन पर सरकार द्वारा लिया गया था (पैरा 35)।38).रिट याचिकाओं को खारिज करने के निष्कर्ष के साथ इस तरह के निष्कर्ष से पता चलता है कि उच्च न्यायालय को राज्य द्वारा दायर रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली, हालांकि उच्च न्यायालय इस तथ्य से अवगत था कि दस्तावेजों की व्याख्या की आवश्यकता थी।

ग

डी.

ई.

च

106. श्री अहमदी ने यह तर्क देते हुए कि वक्फ ट्रिब्यूनल से निर्णय लेने के लिए राज्य के पास एक वैकल्पिक प्रभावी उपाय उपलब्ध है, यह कहने के लिए पर्याप्त स्पष्ट थे कि रिट कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बाधित नहीं कहा जा सकता है।यह तर्क दिया गया था कि चूंकि तथ्यों का विवादित प्रश्न विचार के लिए उत्पन्न हुआ था, इसलिए तथ्यों के विवादित प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए रिट कोर्ट उपयुक्त मंच नहीं था।श्री अहमदी ने इस तरह के कथन का समर्थन करने के लिए पैरा 85 में उल्लिखित निर्णयों पर भरोसा किया।

जी.

एच.

107. के. के. कोचुन्नी के मामले में, संवैधानिक पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका को खारिज करने के लिए केवल एक पर्याप्त वैकल्पिक कानूनी उपाय का अस्तित्व एक अच्छा और पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है, अगर एक मौलिक अधिकार और उल्लंघन का अस्तित्व-वास्तविक या खतरे में है, तो आरोप लगाया जाता है और याचिका द्वारा प्रथम दृष्टया स्थापित किया जाता है।यह एक ऐसा मामला था जिसमें किसी अधिनियम की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (एफ) या अनुच्छेद 31 (1) के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी गई थी।न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"12. दूसरे शब्दों में उनका कहना है कि किसी को भी यह मौलिक अधिकार नहीं है कि इस न्यायालय को उनकी याचिका पर विचार करना चाहिए या मामले में तथ्य के विवादित प्रश्न उत्पन्न होने पर उसी पर निर्णय लेना चाहिए।हम नहीं समझते कि यह सवाल का सही तरीका है।अनुच्छेद 32 का खंड (2) इस न्यायालय को उसमें निर्दिष्ट विभिन्न प्रकार के निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।यह न्यायालय कह सकता है कि मांगी गई कोई विशेष रिट उचित है या नहीं है या यह कह सकता है कि याचिकाकर्ता ने कोई मौलिक अधिकार या उसका कोई उल्लंघन स्थापित नहीं किया है और तदनुसार याचिका को खारिज कर सकता है।दोनों ही मामलों में यह न्यायालय याचिका पर गुण-दोष के आधार पर फैसला करता है।लेकिन हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत एक आवेदन पर, यह न्यायालय इस सरल आधार पर इसे स्वीकार करने से इनकार कर सकता है कि इसमें तथ्य के विवादित प्रश्नों का निर्धारण या किसी अन्य आधार पर शामिल है।"

ग

डी.

ई.

108. राशिद वली बेग में, इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर पिछले सभी निर्णयों की जांच की कि क्या कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, विशेष रूप से वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा सुनवाई योग्य है, लेकिन उसमें चर्चा किए गए निर्णय दीवानी न्यायालय या वक्फ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के आह्वान से संबंधित थे।इनमें से कोई भी निर्णय रिट अदालत के अधिकार क्षेत्र के आह्वान से संबंधित नहीं था।अनीस फातिमा बेगम, फिर से उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक रिट याचिका से उत्पन्न होने वाला निर्णय नहीं है।यह दीवानी न्यायालय के समक्ष दायर एक मुकदमे का मामला था, हालांकि पैरा 7 में एक टिप्पणी है कि वक्फ से संबंधित सभी मामलों को पहली बार में न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया जाना चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दीवानी न्यायालय या सीधे उच्च न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।रिट न्यायालय की अधिकारिता के

आह्वान के संबंध में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी स्पष्ट रूप से स्पष्ट है क्योंकि यह विचार के लिए उत्पन्न होने वाला प्रश्न नहीं था।निपटान निदेशक, ए. पी. एंड ए. में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ

च

जी.

एच.

1311

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

ओआरएस. वी.एम. आर. अप्पाराव और ए. एन. आर.60 अभिनिर्धारित किया कि "न्यायालय के निर्णय को उन प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जो उस मामले में विचार के लिए उत्पन्न हुए थे जिसमें निर्णय दिया गया था।न्यायालय द्वारा अपने समक्ष किसी मामले में सुझाए गए कानूनी प्रश्न पर एक अवलोकन, जिसे अनुपात निर्णय से अलग करते हुए एक "आज्ञाकारी उक्ति" कहा जाता है, लेकिन इस तरह से उत्पन्न नहीं होता है कि निर्णय की आवश्यकता हो।इस तरह के आज्ञाकारी का एक बाध्यकारी उदाहरण नहीं हो सकता है क्योंकि निर्णय के लिए अवलोकन अनावश्यक था, लेकिन भले ही एक आज्ञाकारी का एक पूर्ववर्ती के रूप में बाध्यकारी प्रभाव न हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह काफी महत्वपूर्ण है।" इस प्रकार, एक निर्णय उस प्रश्न पर एक बाध्यकारी पूर्ववर्ती है जो विचार के लिए उत्पन्न होता है और अन्यथा नहीं।

ग

109. टी. आर. वर्मा में निर्णय संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत एक सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त करने के आदेश से उत्पन्न होता है।इन परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक व्यक्ति जो आरोप लगाता है कि उसकी सेवाओं को गलत तरीके से समाप्त कर दिया गया है, वह अपने अधिकारों को सही साबित करने के लिए कोई भी कार्रवाई करने का हकदार है, और ऐसी कार्रवाई में, न्यायालय उन सभी राहतों को देने के लिए सक्षम होगा, जिनके वह हकदार हो सकता है, जिसमें कुछ ऐसे भी हैं जो रिट याचिका में स्वीकार्य नहीं होंगे।इसके अलावा, गौस मोहम्मद एक ऐसा मामला था जिसमें प्रत्यर्थी के खिलाफ विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत पारित एक आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था।हालाँकि, ये निर्णय इस तथ्य का संकेत नहीं हैं कि तथ्य के विवादित प्रश्नों पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका में निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

डी.

ई.

110. प्रबंधन समिति में, शिक्षण संकाय के एक सदस्य को हटाने के अपीलार्थी की प्रबंध समिति के प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार करने को उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी।अपीलार्थी के पास उपलब्ध वैकल्पिक उपाय को देखते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया था।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह किसी भी संदेह या विवाद से परे है कि अपने आप में एक वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता उच्च न्यायालय के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती है।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय इस तथ्य के बावजूद अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है कि एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, अन्य बातों के साथ-साथ, एक ऐसे मामले में जहां वह एक प्रभावी नहीं होगा।यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस प्रकार के मामले में, जहां अपीलार्थी ने न केवल अधिनियम की वैधता पर सवाल उठाया है, बल्कि किसी क़ानून के प्रावधानों को लागू करने में कुलपति की ओर से अधिकारिता संबंधी त्रुटि का भी आरोप लगाया है, ऐसा जटिल प्रश्न होने के कारण आमतौर पर स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।

च

जी.

60 (2002) 4 एस. सी. सी. 638

एच.

1312 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 19 एस. सी. आर.

111. अलका सुभाष गडिया (श्रीमती) में यह माना गया था कि एक

शक्ति के अस्तित्व और उसके प्रयोग के बीच का अंतर।अनुच्छेद 226 और 32 के तहत शक्तियां किसी भी बाहरी प्रतिबंधों द्वारा व्यापक और निर्बाध हैं और किसी भी कार्यकारी आदेश तक पहुंच सकती हैं जिसके परिणामस्वरूप नागरिक या आपराधिक परिणाम हो सकते हैं।न्यायालयों ने वर्षों से न्याय के प्रशासन के हित में और उक्त शक्तियों के बेहतर, अधिक कुशल और सूचित प्रयोग के लिए इन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कुछ स्व-प्रतिबंध विकसित किए हैं।

112. व्हर्लपूल निगम में, विवाद ट्रेडमार्क के पंजीकरण से संबंधित था।अपीलार्थी ने ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट, 1958 की धारा 56 (4) के तहत ट्रेडमार्क के पंजीयक द्वारा की गई स्वतः संज्ञान कार्रवाई को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

ग

"14. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार रिट जारी करने की शक्ति पूर्ण प्रकृति की है और संविधान के किसी अन्य प्रावधान द्वारा सीमित नहीं है।इस शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा न केवल संविधान के भाग III में निहित किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, यथास्थिति वारंट और प्रमाण पत्र की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि "किसी अन्य उद्देश्य" के लिए भी किया जा सकता है।

डी.

15. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, उच्च न्यायालय को मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका पर विचार करने या न करने का विवेकाधिकार है।लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें से एक यह है कि यदि कोई प्रभावी और प्रभावी उपाय उपलब्ध है, तो उच्च न्यायालय आम तौर पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगा।लेकिन इस न्यायालय द्वारा वैकल्पिक उपचार को लगातार कम से कम तीन आकस्मिकताओं में एक बाधा के रूप में काम नहीं करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है, अर्थात्, जहां किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट याचिका दायर की गई है या जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है या जहां आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है या किसी अधिनियम के अधिकारों को चुनौती दी गई है।इस बिंदु पर बहुत सारे मामले-कानून हैं लेकिन फोरेंसिक बवंडर के इस चक्र को काटने के लिए, हम संवैधानिक कानून के विकासवादी युग के कुछ पुराने निर्णयों पर भरोसा करेंगे क्योंकि वे अभी भी क्षेत्र में हैं।

ई.

च

जी.

XXX

XXX

XXX

20. तब से पुल के नीचे बहुत पानी बह गया है, लेकिन इन निर्णयों पर कोई संक्षारक प्रभाव नहीं पड़ा है, जो पुराने होने के बावजूद, ए

एच.

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

वैकल्पिक वैधानिक उपचारों के बावजूद, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका पर विचार करने में उच्च न्यायालय की अधिकारिता के बारे में कानून प्रभावित नहीं होता है, विशेष रूप से ऐसे मामले में जहां प्राधिकरण जिसके खिलाफ रिट दायर किया गया है, उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था या बिना किसी कानूनी आधार के अधिकार क्षेत्र को हड़पने का इरादा था।"113. हम श्री दीवान द्वारा उठाए गए तर्कों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि व्हर्लपूल में निर्णय अलग है।वास्तव में, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील में ट्रेडमार्क के पंजीयक द्वारा जारी नोटिस को रद्द कर दिया।इस न्यायालय द्वारा दोहराए गए ट्रिपल टेस्ट वे हैं जहां किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट याचिका दायर की गई है या जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है या जहां आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है या जब किसी अधिनियम के अधिकारों को चुनौती दी जाती है।इस प्रकार, पंजीयक के आदेश को एक रिट याचिका में दरकिनार कर दिया गया।

ग

114. बालकृष्ण राम में फैसला उच्च न्यायालय की विद्वान एकल पीठ द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में एक अंतर-अदालत अपील के हस्तांतरण के संबंध में है।चूँकि वर्तमान अपील में इसी तरह का प्रश्न उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए हम नहीं पाते हैं कि उपरोक्त निर्णय पर अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा कोई सहायता ली जा सकती है।

डी.

ई.

115. तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने एक फैसले में बाबूभाई के रूप में रिपोर्ट किया

मुल्जीभाई पटेल बनाम नंदलाल खोडीदास बारोट और अन्य 61 ने माना कि

उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत याचिका पर विचार करने के अपने अधिकार क्षेत्र से केवल इसलिए वंचित नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के राहत के अधिकार पर विचार करने में तथ्य के प्रश्न निर्धारित किए जा सकते हैं।अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका में, उच्च न्यायालय के पास तथ्य और कानून दोनों के मुद्दों पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

च

“9. .....अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका, जिस पर जोर देने की आवश्यकता है, अनिवार्य रूप से एक मुकदमे से अलग है और अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका की कार्यवाही में एक मुकदमे की प्रक्रिया को आत्मसात करना और शामिल करना गलत होगा।उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका पर विचार करने के अपने अधिकार क्षेत्र से केवल इसलिए वंचित नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के राहत के अधिकार पर विचार करने में तथ्य के प्रश्न निर्धारित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका में उच्च न्यायालय के पास दोनों मुद्दों का परीक्षण करने का अधिकार क्षेत्र है -

जी.

61 (1974) 2 एस. सी. सी. 706

एच.

तथ्य और कानून।इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिकार क्षेत्र का प्रयोग विवेकाधीन है, लेकिन विवेक का प्रयोग ठोस न्यायिक सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए।जब याचिका तथ्य के जटिल प्रश्न उठाती है, जिसके निर्धारण के लिए मौखिक साक्ष्य लेने की आवश्यकता हो सकती है, और उस कारण से उच्च न्यायालय का विचार है कि विवाद का मुकदमा रिट याचिका में उचित रूप से नहीं चलाया जाना चाहिए, तो उच्च न्यायालय एक याचिका पर मुकदमा चलाने से इनकार कर सकता है।

116. इस न्यायालय ने राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज बनाम एच. पी. 62 के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका की स्थिरता के सवाल की जांच की, भले ही वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

ग

“25. इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय के लिए "वैकल्पिक उपचार के नियम" और इसकी न्यायिक व्याख्या पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है।

व्हर्लपूल कॉर्प में।v. ट्रेड मार्क्स के पंजीयक [व्हर्लपूल]

कॉर्प.v. ट्रेड मार्क्स के पंजीयक, (1998) 8 एस. सी. सी. 1], इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस बिंदु पर मामले के कानून की समीक्षा करने के बाद कहाः(एस. सी. सी. पीपी. 9-10, पैरा 14-15)

डी.

“ ..... ”

27. कानून के जो सिद्धांत उभरते हैं वे हैंः

27.1.संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किया जा सकता है, बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता है।

ई.

27.3.वैकल्पिक उपचार के नियम के अपवाद उत्पन्न होते हैं जहाँः(क) संविधान के भाग III द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट याचिका दायर की गई है; (ख) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है; (ग) आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना हैं; या (घ) किसी विधान के अधिकारों को चुनौती दी गई है।

च

27.4.एक वैकल्पिक उपाय अपने आप में उच्च न्यायालय को एक उपयुक्त मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों से वंचित नहीं करता है, हालांकि सामान्य रूप से, एक रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए जब कानून द्वारा एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय प्रदान किया जाता है।

जी.

27.5.जब एक कानून द्वारा एक अधिकार बनाया जाता है, जो स्वयं अधिकार या दायित्व को लागू करने के लिए उपचार या प्रक्रिया निर्धारित करता है, तो सहारा लें।

62 (2021) 6 एससीसी 771 ए

एच.

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन उपचार का आह्वान करने से पहले उस विशेष वैधानिक उपचार की आवश्यकता होनी चाहिए।वैधानिक उपचारों के समाप्त होने का यह नियम नीति, सुविधा और विवेक का नियम है।

27.6.ऐसे मामलों में जहां तथ्य के विवादित प्रश्न हैं, उच्च न्यायालय एक रिट याचिका में अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार करने का निर्णय ले सकता है।हालाँकि, यदि उच्च न्यायालय का निष्पक्ष रूप से यह विचार है कि विवाद की प्रकृति के लिए अपने रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की आवश्यकता है, तो इस तरह के दृष्टिकोण में आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।"117. छबील दास अग्रवाल पर श्री दीवान की निर्भरता फिर से इस कारण से मान्य नहीं है कि उपरोक्त अपील में आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत मूल्यांकन के लिए एक नोटिस को रद्द करने की चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

ग

“12. के. एस. राशिद और पुत्र बनाम आयकर जांच आयोग [ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 207], संग्राम सिंह बनाम चुनाव न्यायाधिकरण [ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 425], भारत संघ बनाम टी. आर. वर्मा [ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 882], यू. पी. राज्य बनाम.मोहम्मद.नूह [ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 86] और के. एस. वेंकटरमन एंड कंपनी। (पी) लिमिटेड बनाममद्रास राज्य [ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1089] ने अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने के मामले में बहुत व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, लेकिन रिट का उपचार पूरी तरह से विवेकाधीन है।यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि पीड़ित पक्ष को कहीं और पर्याप्त या उपयुक्त राहत मिल सकती है, तो वह अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है।न्यायालय, असाधारण परिस्थितियों में, शक्ति का प्रयोग कर सकता है यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है या निर्णय के लिए आवश्यक प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है।.....”

डी.

ई.

च

118. यह पाया गया कि आयकर अधिनियम कर के मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन, जुर्माना लगाने और राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित किसी भी अनुचित आदेश के संबंध में राहत प्राप्त करने के लिए पूर्ण तंत्र प्रदान करता है।कानून के तहत उपचार प्रभावी होना चाहिए और बिना किसी महत्वपूर्ण राहत के केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए।ऐसा कहने के बाद, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि रिट कोर्ट को निर्धारिती द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था, जिसमें अकेले आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत जारी किए गए नोटिस की वैधता चुनौती का विषय थी।

जी.

एच.

119. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने दायर किए गए दस्तावेजों सहित उठाए गए तर्क के गुण-दोष की जांच की है ताकि राज्य की दलीलों को स्वीकार न किया जा सके।यद्यपि उच्च न्यायालय ने इसे प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण के रूप में व्यक्त किया है, लेकिन वास्तव में, यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था कि यह अंतिम आदेश नहीं था जहां तक राज्य अपनी रिट याचिका को

खारिज करने के आदेश से संबंधित है।अन्यथा भी, हम पाते हैं कि इस न्यायालय के समक्ष उठाए गए प्रश्न मूर्तियों की व्याख्या, समय-समय पर संप्रभु द्वारा जारी फरमान और वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए दस्तावेज़ की व्याख्या हैं।यह ऐसा मामला नहीं है जहां कोई मौखिक साक्ष्य आवश्यक होगा या अब उपलब्ध है।वास्तव में, इस न्यायालय के समक्ष यह सुझाव भी नहीं था।चूँकि प्रश्न मुख्य रूप से संप्रभु द्वारा जारी किए गए कानूनों और दस्तावेजों की व्याख्या के संबंध में था, इसलिए मामले की योग्यता के आधार पर जांच करने की आवश्यकता है क्योंकि पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा विस्तृत तर्कों को संबोधित किया गया है।इस प्रकार, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने कानूनी रूप से, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पक्षों को वैधानिक उपचार के लिए हटाने में गलती की।

ग

डी.

2. क्या सरकार संविधान के अनुच्छेद **226** के तहत रिट कोर्ट के समक्ष एर्राटा अधिसूचना की वैधता पर विवाद करने की हकदार थी**?**

120. मान लीजिए, सरकार वर्ष 1912-13 से विचाराधीन भूमि की मालिक के रूप में परिलक्षित होती है।सरकार ने संप्रभु के उत्तराधिकारी के रूप में स्वामित्व के अपने अधिकारों का प्रयोग किया है।उन्मूलन विनियमन और कम्यूटेशन विनियमन के तहत कम्यूटेशन के भुगतान के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने निगम को भूमि हस्तांतरित की थी।भूमि के आवंटन पर आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की गई थी, लेकिन चूंकि कोई भी प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए निगम ने विभिन्न निगमित संस्थाओं को आगे का आवंटन किया।वक्फ बोर्ड अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है और संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एक "राज्य" है।इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने एक फैसले में राजस्थान राज्य बिजली के रूप में रिपोर्ट किया

ई.

च

बोर्ड**,** जयपुर बनाम मोहन लाल और अन्य **63** ने अभिनिर्धारित किया कि अभिव्यक्ति अन्य है।

अनुच्छेद 12 में प्राधिकरणों में वे सभी संवैधानिक या वैधानिक प्राधिकरण शामिल होंगे जिन्हें कानून द्वारा शक्तियां प्रदान की गई हैं।यह बिल्कुल भी भौतिक नहीं है कि प्रदत्त कुछ शक्तियां वाणिज्यिक गतिविधियों को चलाने के उद्देश्य से हो सकती हैं।

जी.

63 आकाशवाणी 1967 एससी 1857 ए

एच.

1317

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

121. इसी तरह का दृष्टिकोण कि एक क़ानून द्वारा बनाया गया एक प्राधिकरण अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर राज्य है, एक रिपोर्ट किए गए निर्णय में माना गया था।

"स्टेट ऑफ यू. पी. बनाम.नीरज अवस्थी और अन्य। "64 जब यह आयोजित किया गया था कि

"उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी प्रशासन, 1964" कानून द्वारा गठित उत्तर प्रदेश कृषि उपज बाजार बोर्ड संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में एक राज्य है।

122. चूंकि वक्फ बोर्ड राज्य है, इसलिए उसने निष्पक्ष और उचित रूप से कार्य करने के लिए कार्य किया है।इस अदालत ने एक फैसले में द्वारकादास मरफतिया के रूप में रिपोर्ट किया

और सन्स बनाम बॉम्बे बंदरगाह **65** के न्यासी मंडल ने अभिनिर्धारित किया कि

एक सांविधिक प्राधिकारी की कार्रवाई उचित होनी चाहिए और केवल लोक हित के वैध और प्रासंगिक आधारों पर की जानी चाहिए।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

"25. इसलिए, श्री चिनाई का यह तर्क देना सही था कि बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट की प्रत्येक कार्रवाई/गतिविधि, जो किसी भी क़ानून द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार या विशेषाधिकार के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 12 के भीतर "राज्य" का गठन करती है, अनुच्छेद 14 के अधीन है और उचित होनी चाहिए और केवल जनहित के वैध और प्रासंगिक आधारों पर ही ली जानी चाहिए। इस न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा रखा जा सकता है।जहां राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन होता है, अनुच्छेद 14 आता है और न्यायिक समीक्षा ऐसी कार्रवाई को खारिज कर देती है।कार्यकारी प्राधिकारी की प्रत्येक कार्रवाई कानून के शासन के अधीन होनी चाहिए और कारण से सूचित की जानी चाहिए।इसलिए, सार्वजनिक प्राधिकरण की गतिविधि जो भी हो, उसे अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।एस्कॉर्ट्स मामले [(1986) 1 एस. सी. सी. 264 के पैरा 101 और 102 में टिप्पणियाँः1985 मान लीजिए कि 3 एस. सी. आर. 909] ठीक से पढ़ा जाए तो उपरोक्त सिद्धांतों से विचलित न हों।"

डी.

ई.

123. श्रीलेखा विद्यार्थी (कुमारी) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 66 के रूप में रिपोर्ट किए गए एक अन्य निर्णय में, इस न्यायालय ने माना कि मनमानेपन कानून के शासन का बहुत निषेध है।प्रत्येक राज्य कार्रवाई में इस बुनियादी परीक्षण की संतुष्टि इसकी वैधता के लिए अपरिहार्य है।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः- "35. अब यह बहुत अच्छी तरह से तय हो गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्रवाई, जीवित रहने के लिए, मनमानेपन के दुष्प्रभाव के लिए अतिसंवेदनशील नहीं होनी चाहिए जो संविधान के अनुच्छेद 14 का सार है और कानून के शासन के लिए बुनियादी है, वह प्रणाली जो हमें नियंत्रित करती है। मनमानेपन ही नकारात्मकता है।

च

जी.

64 (2006) 1 एससीसी 667 65 (1989) 3 एससीसी 293 66 (1991) 1 एससीसी 212

एच.

कानून के शासन से।प्रत्येक राज्य की कार्रवाई में इस बुनियादी परीक्षण की संतुष्टि इसकी वैधता के लिए अपरिहार्य है और इस संबंध में, राज्य अनुबंध के क्षेत्र में भी किसी निजी व्यक्ति के साथ तुलना का दावा नहीं कर सकता है।अनुबंध के क्षेत्र में राज्य और एक निजी व्यक्ति के बीच इस अंतर को ध्यान में रखना होगा।124. एम. जे. सिवानी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य 67 के रूप में रिपोर्ट किए गए एक अन्य फैसले में, इस अदालत ने कहा कि निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय निष्पक्ष लोक प्रशासन का हिस्सा हैं; गैर-मनमानी और भेदभाव का अभाव कानून के शासन के तहत सुशासन के लिए पहचान हैं।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

“31. यह तय किया गया कानून है कि राज्य की प्रत्येक कार्रवाई या राज्य के किसी साधन को कारण से सूचित किया जाना चाहिए।कारण से अनजान कार्य मनमाना हो सकते हैं और संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 32 के तहत उन पर सवाल उठाए जा सकते हैं।कार्रवाई न्यायसंगत, निष्पक्ष और तर्कसंगत होनी चाहिए।लाइसेंस की अस्वीकृति जनहित के प्रासंगिक आधारों पर आधारित होनी चाहिए।निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय निष्पक्ष लोक प्रशासन का हिस्सा हैं; गैर-मनमानी और भेदभाव की अनुपस्थिति कानून के शासन के तहत सुशासन के लिए विशिष्टताएं हैं, इसलिए, जब राज्य, उसका प्रत्यायोजित अधिकार या राज्य का कोई साधन या कोई व्यक्ति किसी वैधानिक नियम के तहत या प्रशासनिक विवेक से कार्य करता है, जब उसके कार्य या आदेश नागरिक परिणामों, निष्पक्षता और न्याय के साथ नागरिक के पास जाते हैं, तो यह आवश्यक होता है कि एक उपयुक्त मामले में, प्रभावित नागरिकों को मामले को पूरा करने का अवसर मिलना चाहिए।ऑडी अल्टरम पार्टेम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का हिस्सा है।

डी.

ई.

च

125. इस प्रकार, राज्य सरकार को, एक न्यायिक इकाई के रूप में, रिट अदालत के माध्यम से अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार है, जैसा कि कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू कर सकता था।इसलिए, राज्य सरकार 1654 एकड़ और 32 गुंटा की भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए वक्फ बोर्ड की कार्रवाई के खिलाफ रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने में सक्षम है।

जी.

126. एक तर्क दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य राजपत्र में एक अधिसूचना के प्रकाशन को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर नहीं की जानी चाहिए थी और यह कि राजस्व के बीच विवाद

एच.

67 (1995) 6 एससीसी 289 ए

1319

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

राज्य सरकार के सचिवों को विभाग और अल्पसंख्यक विभाग पर विचार करना चाहिए।यह कथित तर्क इस न्यायालय द्वारा ए. पी. सरकार के मुख्य वन संरक्षक के रूप में पारित एक आदेश पर आधारित था, जिसमें पहले के आदेश पर निर्भरता रखी गई थी।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर 68 के रूप में रिपोर्ट किया गया निर्णय।

127. संविधान पीठ ने एक फैसले में इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में रिपोर्ट किया

भारतीय निगम लिमिटेड बनाम भारतीय संघ 69 ने इस बात को याद किया है कि

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में पारित आदेशों सहित अतीत में पारित आदेश, वह निर्णय जिस पर उच्च न्यायालय ने भरोसा किया था।यह माना गया कि तंत्र को एक प्रशंसनीय वस्तु के साथ स्थापित किया गया था।हालांकि, इस तंत्र के कारण दीवानी अपील दायर करने में देरी हुई है जिससे राजस्व का नुकसान हुआ है।संभवतः समितियों द्वारा समय पर मंजूरी की उम्मीद नहीं की जा सकती है।ऐसे मामलों में, एक को मंजूरी देने और दूसरे को नहीं देने के परिणामस्वरूप अधिक से अधिक मुकदमेबाजी हो सकती है।तंत्र ने अपनी उपयोगिता को समाप्त कर दिया है।इसलिए, मुख्य वन संरक्षक के निर्णय पर निर्भरता मान्य नहीं है और ऐसी कोई आपत्ति नहीं बची है।

ग

डी.

128. यह ध्यान दिया जा सकता है कि रिट याचिका राज्य के मुख्य सचिव द्वारा तब दायर की गई थी जब राजस्व और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर-विभागीय संचार परस्पर विरोधी थे।अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से दिनांकित 25.1.2007,4.5.2007 संचार कलेक्टर को शेष/खाली और अप्रयुक्त भूमि का कब्जा देने का निर्देश देने के लिए हैं, जबकि राजस्व विभाग के सचिव को दिनांकित 12.6.2007 संचार इस अनुरोध के लिए था कि निगम को यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए और जब तक कि राज्य सरकार द्वारा मुद्दे को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, तब तक किसी भी भूमि को आवंटित या अलग नहीं करना चाहिए।इस तरह के पत्र वक्फ बोर्ड को भी भेजे गए थे।अल्पसंख्यक कल्याण विभाग वास्तव में राज्य सरकार से निर्णय लेना चाहता था।ये संचार भूमि की प्रकृति के संबंध में राज्य सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा पारित आदेश नहीं हैं ताकि राज्य द्वारा रिट अधिकार क्षेत्र के आह्वान की बाधा को बढ़ाया जा सके।

ई.

च

जी.

(3) क्या राज्य को अधिसूचना को चुनौती देने के लिए इस आधार पर चुना गया है कि सरकारी वकील नज़ीम अतियत के समक्ष और उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित था।

68 (1995 एस. सी. सी. 541 69 (2011) 3 एस. सी. सी. 404

एच.

1320 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 19 एस. सी. आर.

नज़ीम अतियत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ कार्यवाही और यह कि अधिसूचना राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी**?**

129. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नज़ीम अतियत के समक्ष सरकारी प्लीडर की उपस्थिति एक सीमित उद्देश्य के लिए थी क्योंकि अनुदान का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना था।राज्य न तो नज़ीम अतियत या उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार था।राज्य आदेशों के लिए बाध्य होगा, यदि उसे पक्षकार के रूप में शामिल किया जाता है क्योंकि पारित आदेशों के कारण इसके प्रभावित होने की संभावना है।अनुदान के भुगतान के लिए राज्य की देनदारी विवाद में नहीं थी, लेकिन सवाल यह था कि अनुदान किसे देय होगा।इस प्रकार, सरकारी प्लीडर की उपस्थिति पारित आदेशों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के सीमित उद्देश्य के लिए थी।

ग

130. वक्फ बोर्ड के अभिलेख के अवलोकन से, जैसा कि ऊपर निकाला गया है, पता चलता है कि इर्राटा अधिसूचना तब प्रकाशित की गई थी जब वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इसे सरकारी मुद्रण प्रेस के आयुक्त को 13.03.2006 पर भेजा था।अधिसूचना का यह प्रकाशन वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधिकार के तहत 1995 के अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत किया गया था।इसलिए, यह अधिसूचना राज्य सरकार के कहने पर नहीं थी, बल्कि केवल वक्फ बोर्ड का एक अधिनियम था।

डी.

131. तर्क में कहा गया कि चूंकि एर्राटा अधिसूचना राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, इसलिए राज्य यह कहने के लिए नहीं मुड़ सकता है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी या वे इस तरह से प्रकाशित अधिसूचना से बाध्य नहीं हैं।हम पाते हैं कि सरकारी राजपत्र में प्रकाशनों का उद्देश्य, उद्देश्य और दायरा वह नहीं है जिसका विरोध किया जाना चाहिए।न्यायालय को साक्ष्य

अधिनियम, 1872 की धारा 81 और धारा 114 (ई) द्वारा अनुध्यात किसी भी आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किसी भी दस्तावेज की वास्तविकता का अनुमान लगाना है।राजपत्र में प्रकाशन न केवल राज्य के मामलों के लिए है, बल्कि इसके कई उपयोग हैं।वास्तव में, इस प्रश्न की जांच दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने यूनिवर्सल कैन्स एंड के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में की है।

ई.

च

कंटेनर लिमिटेड बनामभारत संघ **70,** जिसमें न्यायालय ने उद्धृत किया है

राजपत्र के विभिन्न भागों को केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाना आवश्यक है।राजपत्र की धारा 4, भाग 3 सांविधिक निकायों द्वारा जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, विज्ञापनों और सूचनाओं सहित विविध अधिसूचनाओं के लिए है, जबकि भाग 4 निजी व्यक्तियों और निजी निकायों द्वारा जारी विज्ञापनों और सूचनाओं के लिए है।इसी तरह

जी.

70 1991 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 784 ए

एच.

1321

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

राजपत्र में प्रकाशन की योजना राज्यों में भी उपलब्ध होगी।उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“8. सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 (39) के तहत, "आधिकारिक राजपत्र" या "राजपत्र" का अर्थ भारत का राजपत्र या किसी राज्य का आधिकारिक राजपत्र होगा।आधिकारिक राजपत्र क्या है और इसे किस अधिकार के तहत प्रकाशित किया जाता है?यह एक और सवाल है।राजपत्र को आम तौर पर एक आधिकारिक सरकारी पत्रिका के रूप में समझा जाता है जिसमें सार्वजनिक सूचनाएं और अन्य निर्धारित मामले होते हैं।भारत सरकार के विधि, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा जारी कानूनी शब्दावली (1983 संस्करण) राजपत्र को "सरकारी नियुक्तियों, कानूनी नोटिसों, प्रेषणों आदि की सूचियों वाला एक आधिकारिक समाचार पत्र" के रूप में परिभाषित करता है।

ग

XXX

20. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 81 के तहत, न्यायालय आधिकारिक राजपत्र में होने का तात्पर्य रखने वाले प्रत्येक दस्तावेज की वास्तविकता का अनुमान लगाएगा, और उक्त अधिनियम की धारा 114 के साथ पढ़ा जाएगा और न्यायालय यह मान सकता है कि आधिकारिक राजपत्र को आधिकारिक राजपत्र में दिखाई देने की तारीख को अधिसूचित किया गया था।हालाँकि, यह केवल एक खंडन योग्य अनुमान है।इसके विपरीत साक्ष्य द्वारा इसका खंडन किया जा सकता है।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्तमान मामले में यह दिखाया गया है कि आधिकारिक राजपत्र को राजपत्र पर प्रकाशित होने की तारीख के बाद की तारीख को अधिसूचित किया गया था।सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 5 में प्रावधान है कि जहां कोई केंद्रीय अधिनियम किसी विशेष दिन पर लागू होने के लिए व्यक्त नहीं किया जाता है, तो यह उस दिन से लागू होगा जिस दिन इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है।यह वर्तमान मामले में लागू नहीं है।यहाँ हम आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना से चिंतित हैं।

डी.

ई.

च

132. वक्फ बोर्ड 1954 के अधिनियम के साथ-साथ 1995 के अधिनियम के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है। इस प्रकार, वक्फ बोर्ड के कहने पर आधिकारिक राजपत्र में कोई भी अधिसूचना लानी पड़ती थी।इसलिए, राज्य सरकार वक्फ बोर्ड के कहने पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के लिए केवल इसलिए बाध्य नहीं है क्योंकि इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।आधिकारिक राजपत्र में एक सूचना के प्रकाशन में आम जनता के लिए ज्ञान का अनुमान एक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के रूप में होता है।इसलिए, केवल यह कारण कि अधिसूचना राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।

जी.

एच.

(4) क्या वक्फ बोर्ड के कहने पर प्रकाशित अधिसूचना **1995** के अधिनियम की धारा **40** के साथ पठित धारा **32** के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग है**?**

133. यह तर्क दिया गया है कि बोर्ड किसी भी संपत्ति के बारे में जानकारी एकत्र करने में सक्षम है जिसे वक्फ संपत्ति मानने का कारण है और यदि कोई सवाल उठता है कि क्या कोई विशेष संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, या क्या कोई वक्फ सुन्नी वक्फ या शिया वक्फ है, तो वह ऐसी जांच करने के बाद प्रश्न का निर्णय ले सकता है जो वह उचित समझे।

134. श्री अहमदी का तर्क है कि धारा 32 (2) (एन) के तहत बोर्ड के पास वक्फ और वक्फ संपत्ति की प्रकृति और विस्तार की जांच और निर्धारण करने और जब भी आवश्यक हो, ऐसी वक्फ संपत्ति का सर्वेक्षण करने की शक्ति है।इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि वक्फ बोर्ड का वक्फ की प्रकृति और विस्तार की जांच और निर्धारण करने का एक वैधानिक कार्य है।ऐसी शक्ति 1995 के अधिनियम की धारा 40 के प्रावधानों पर निर्भर नहीं है क्योंकि जांच और निर्धारण करने की शक्ति 1995 के अधिनियम की धारा 32 (2) (एन) में निहित है।

ग

डी.

135. रिलायंस को ए. पी. ए. रशीद में केरल उच्च न्यायालय के एक फैसले पर रखा गया है जिसमें केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस सवाल की जांच की कि क्या 1995 के अधिनियम की धारा 32 के तहत कार्य करने वाला वक्फ बोर्ड एक न्यायिक निकाय है।उच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 32 के तहत शक्तियां प्रशासन में अधीक्षण की शक्तियों की प्रकृति में हैं और वक्फ बोर्ड को अंतरिम के साथ-साथ अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार देती हैं।न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

ई.

"10. लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, मूल रूप से धारा 32 के तहत शक्तियां प्रशासन में अधीक्षण की शक्तियों की प्रकृति में हैं।धारा 32 के पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि धारा 32 अंतिम आदेशों और अंतरिम आदेशों के बीच कोई अंतर नहीं करती है।जब स्थिति की मांग होती है, तो धारा 32 निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड को अंतरिम आदेशों के साथ-साथ अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार देती है।धारा 32 की भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बोर्ड की केवल अंतिम आदेश पारित करने की शक्तियों को सीमित कर सके, न कि अंतरिम आदेश।धारा 32 (1) के तहत शक्तियों का विस्तार, जैसा कि धारा 32 (2) द्वारा आगे समझाया गया है, हमारे अनुसार, हमारे दिमाग में संदेह की कोई झलक नहीं छोड़ सकता है कि बोर्ड द्वारा धारा 32 के तहत अंतरिम और साथ ही अंतिम निर्देश जारी किए जा सकते हैं।पहला तर्क यह उठा कि बोर्ड के पास ए की क्षमता नहीं है

च

जी.

एच.

1323

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

इसलिए विवादित आदेशों में जारी किए गए अंतरिम आदेश जारी करना सफल नहीं हो सकता है।इस बिंदु का उत्तर पहले उत्तरदाता के खिलाफ दिया जाता है।

XXX

XXX

XXX

12. हम दोहराते हैं कि धारा 32 के तहत शक्तियां अधीक्षण की शक्तियां हैं।इस तरह की शक्तियों का प्रयोग मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना है कि वक्फ को ठीक से बनाए रखा जाए, नियंत्रित किया जाए और प्रशासित किया जाए।यह धारा 32 (1) से बहुत स्पष्ट है।धारा 32 (2) (सी) स्पष्ट रूप से बताती है कि वक्फ बोर्ड के पास वक्फ के प्रशासन के लिए निर्देश देने की शक्तियां हैं।उपखंड (ओ) से पता चलता है कि बोर्ड के पास वक्फ के नियंत्रण, रखरखाव और प्रशासन के लिए आवश्यक कार्य करने की शक्तियां हैं।"136. उपरोक्त मामले में उच्च न्यायालय धारा 32 के दायरे की जांच कर रहा था।इसने अभिनिर्धारित किया कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि वक्फ़ों को ठीक से बनाए रखा जाए, नियंत्रित किया जाए और प्रशासित किया जाए।उपखंड (ओ) से पता चलता है कि बोर्ड के पास वक्फ के नियंत्रण, रखरखाव और प्रशासन के लिए आवश्यक कार्य करने की शक्तियां हैं।

ग

डी.

137. श्री अहमदी ने आगे अमजद अली मिर्जा के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की विद्वान एकल पीठ द्वारा पारित एक आदेश पर भरोसा किया है।यह कहा जा सकता है कि भारत-परिषद के राज्य सचिव द्वारा 31.7.1926 पर पाँच पुरुषों की प्रबंधन समिति के पक्ष में एक बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था।जिन प्रश्नों की जांच की गई उनमें से एक 1995 के अधिनियम की धारा 40 का दायरा था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि 1995 के अधिनियम की धारा 40 के तहत वक्फ बोर्ड का विवादित प्रस्ताव वस्तुतः कारणों से रहित था।किसी संपत्ति के संबंध में स्वामित्व प्रस्ताव द्वारा तय किया गया था, लेकिन बोर्ड ने प्रस्ताव लेते समय न्यायिक विचार की झलक भी दर्ज करने की परवाह नहीं की।हालाँकि, न्यायालय ने दिनांकित बिक्री विलेख की जाँच करते हुए कहा कि स्थानांतरण समिति के सदस्यों के पक्ष में उनकी व्यक्तिगत क्षमता या उनके व्यक्तिगत हित के लिए नहीं था, बल्कि केवल मुसलमान समुदाय की पूजा के लिए था।उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

ई.

च

जी.

“54. वक्फ अधिनियम की धारा 40 बोर्ड को उस संपत्ति के बारे में जानकारी एकत्र करने का अधिकार देती है जिसे वह वक्फ संपत्ति मानता है और जांच करने के बाद, जो वह उचित समझे, इस तरह के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार देता है।इस धारा में बोर्ड द्वारा किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए की जाने वाली जांच की प्रकृति को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

एच.

1324

उस संबंध में।उक्त धारा में विचार की गई कार्यवाही की संक्षिप्त प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड द्वारा इस निर्णय पर आने से पहले विस्तृत साक्ष्य या सुनवाई नहीं की जा सकती है कि क्या कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है।वर्तमान मामले में, यह देखा जाना चाहिए कि क्या मुकदमे की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए बोर्ड के समक्ष पर्याप्त दस्तावेज और सामग्री थी।

XXX

XXX

XXX

58. इस प्रकार, 1926 के विलेख से यह स्पष्ट होता है कि स्थानांतरण समिति के सदस्यों के पक्ष में उनकी व्यक्तिगत क्षमता या उनके व्यक्तिगत हित के लिए नहीं था, बल्कि केवल मुसलमान समुदाय की पूजा के लिए था।

ग

XXX

XXX

XXX

63. यद्यपि धारा 40 का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया गया था, लेकिन धारा 40 की भावना का अनुपालन इसलिए किया गया था क्योंकि बोर्ड ने 1926 का विलेख माना था, जिसके निष्पादन का याचिकाकर्ताओं द्वारा खंडन नहीं किया गया है।उक्त कार्य, एक सार्थक पठन पर, केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर के उद्देश्य के लिए समर्पण और मुस्लिम समुदाय द्वारा पूजा के रूप में व्याख्या की जा सकती है, यदि सीधे सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम पर नहीं।इस्लामी अर्थ में अल्लाह की इच्छा को मानव एजेंसी के माध्यम से प्रकट किया जाना चाहिए, जिसके लिए 1926 के विलेख में विचार किया गया निवेश मनुष्यों के पक्ष में था, जो मुसलमान समुदाय द्वारा पूजा को बनाए रखने के लिए एजेंट के रूप में कार्य करेंगे।

डी.

ई.

64. इसलिए, बोर्ड द्वारा लिए गए प्रस्ताव के तकनीकी रूप से कारणों की कमी के कारण अनुचित होने के बावजूद, बोर्ड द्वारा लिया गया निष्कर्ष सही था।"

च

138. इसलिए, उच्च न्यायालय का निर्णय उस दस्तावेज़ की व्याख्या कर रहा था जो उच्च न्यायालय के समक्ष विचार का विषय था।धारा 40 के तहत जांच बिना किसी कारण के दर्ज किए बिना निरर्थक पाई गई।इसलिए, उक्त निर्णय वास्तव में श्री अहमदी के तर्क के लिए सहायक नहीं है।

जी.

139. जांच किए जाने वाला प्रश्न यह है कि संपत्ति की प्रकृति की जांच और निर्धारण करने की शक्ति एक प्रशासनिक कार्य है जैसा कि वक्फ बोर्ड और दरगाह के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है या क्या यह एक अर्ध-न्यायिक कार्य है क्योंकि किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले जांच की आवश्यकता होती है।अपीलार्थियों द्वारा यह तर्क दिया गया था कि चूंकि वक्फ बोर्ड का ऐसा आदेश अंतिम है, इसलिए केवल ए

एच.

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील, यह एक तर्कपूर्ण और बोलने वाला आदेश होना चाहिए क्योंकि अपील में, बोर्ड द्वारा दर्ज किए गए कारणों की शुद्धता की जांच की जानी चाहिए।

140. यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण कि क्या कोई संस्थान अर्ध-न्यायिक कार्य का निर्वहन करता है, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में रिपोर्ट किया गया निर्णय।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

यदि कानून के लिए आवश्यक है कि किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी प्राधिकरण को जांच करनी चाहिए, तो कानून की ऐसी आवश्यकता प्राधिकरण को एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण बनाती है।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“25. उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, हमारा विचार है कि एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के किसी भी अन्य विशेषताओं के अभाव में, एक वैधानिक प्राधिकरण के समक्ष प्रतिद्वंद्वी पक्षों के बीच एक एल. आई. एस. या प्रतिस्पर्धा की उपस्थिति यह मानने के लिए पर्याप्त है कि ऐसा वैधानिक प्राधिकरण अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है।हालांकि, किसी सांविधिक प्राधिकरण के समक्ष प्राधिकरण की अनुपस्थिति में, प्राधिकरण अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण होगा यदि उसे न्यायिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है।

ग

डी.

27. एक प्रशासनिक अधिनियम को अर्ध-न्यायिक अधिनियम से जो अलग करता है, वह यह है कि प्रासंगिक कानून के तहत अर्ध-न्यायिक कार्यों के मामले में वैधानिक प्राधिकरण को न्यायिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता होती है।दूसरे शब्दों में, जहां कानून के लिए आवश्यक है कि किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले एक प्राधिकरण को जांच करनी चाहिए, कानून की ऐसी आवश्यकता प्राधिकरण को एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण बनाती है।"

ई.

141. एक संविधान पीठ के फैसले में प्रांत के रूप में रिपोर्ट किया गया

बॉम्बे बनाम खुशालदास एस**.** आडवाणी और अन्य। **71,** इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला

एक प्राधिकरण को अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने के लिए कब कहा जा सकता है, इस बारे में सिद्धांत।यह अभिनिर्धारित किया गया कि दो पक्षों की अनुपस्थिति प्राधिकरण के कार्य को अर्ध-न्यायिक अधिनियम की श्रेणी से बाहर निकालने में निर्णायक नहीं है यदि प्राधिकरण को फिर भी क़ानून द्वारा न्यायिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

च

“173. जिन दो मामलों का मैंने उल्लेख किया है, उनसे कौन से सिद्धांत निकाले जा सकते हैं?सिद्धांत, जैसा कि मैं उन्हें समझता हूं, इस प्रकार हैंः

जी.

((i)।

((ii) यदि किसी सांविधिक प्राधिकारी के पास कोई ऐसा कार्य करने की शक्ति है जो विषय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, तो, हालांकि दो नहीं हैं।

एच.

71 आकाशवाणी 1950 एस. सी. 222

1326

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 19 एस सी आर।

प्राधिकरण और प्रतिस्पर्धा के अलावा पक्षकार अधिनियम को करने का प्रस्ताव करने वाले प्राधिकरण और इसका विरोध करने वाले विषय के बीच होते हैं, प्राधिकरण का अंतिम निर्धारण अभी भी एक अर्ध-न्यायिक कार्य होगा बशर्ते प्राधिकरण को क़ानून द्वारा न्यायिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता हो।174. दूसरे शब्दों में, जबकि निर्णायक प्राधिकारी के अलावा दो पक्षों की उपस्थिति प्रथम दृष्टया और किसी अन्य कारक के अभाव में प्राधिकरण पर न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य अधिरोपित करेगी, ऐसे दो पक्षों की अनुपस्थिति प्राधिकरण के कार्य को अर्ध-न्यायिक अधिनियम की श्रेणी से बाहर निकालने में निर्णायक नहीं है यदि प्राधिकरण को फिर भी क़ानून द्वारा न्यायिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है।"

142. इस न्यायालय ने एक निर्णय में हिमाचल राज्य के रूप में रिपोर्ट किया

ग

प्रदेश बनाम राजा महेंद्र पाल और अन्य। **72** ने अभिनिर्धारित किया कि एक अर्ध**-**न्यायिक

कार्य न्यायिक और प्रशासनिक कार्य के बीच में स्थित होता है।प्राथमिक परीक्षण यह है कि क्या अर्ध-न्यायिक होने का आरोप लगाने वाले प्राधिकरण का निर्णय पर पहुंचने में न्यायिक रूप से कार्य करने का कोई स्पष्ट वैधानिक कर्तव्य है।यदि उत्तर सकारात्मक है, तो प्राधिकरण को अर्ध-न्यायिक माना जाएगा, और यदि उत्तर नकारात्मक है, तो यह नहीं होगा।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

"9. अतः यह कहा जाता है कि किसी प्राधिकारी को अर्ध-न्यायिक के रूप में वर्णित किया जाता है जब उसके पास न्यायिक कार्यों के कुछ गुण या गुण होते हैं, लेकिन सभी नहीं।बॉम्बे प्रांत बनाम खुशालदास एस. आडवाणी [ए. आई. आर. 1950 एस. सी. 222:1950 एस. सी. आर. 621] ने सांविधिक निकाय की कार्रवाइयों से निपटा और यह पता लगाने के लिए परीक्षण निर्धारित किए कि क्या इस तरह के निकाय द्वारा की गई कार्रवाई अर्ध-न्यायिक अधिनियम या प्रशासनिक अधिनियम थी। न्यायालय ने एटकिन, एल. जे. द्वारा दी गई अर्ध-न्यायिक निकाय की प्रसिद्ध परिभाषा को मंजूरी दे दी, क्योंकि वे उस समय आर. वी.इलेक्ट्रिसिटी कॉमर्स।[(1924) 1 के. बी 171:130 एल. टी. 164] जिसमें यह आयोजित किया गया थाः

ई.

च

"जब भी व्यक्तियों का कोई निकाय जो विषयों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों को निर्धारित करने का कानूनी अधिकार रखता है, और न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य रखता है, अपने कानूनी अधिकार से अधिक कार्य करता है, तो वे इन रिटों में प्रयोग किए गए राजा के बेंच डिवीजन के नियंत्रण क्षेत्राधिकार के अधीन होते हैं।"

जी.

उपरोक्त परिभाषा को आर. वी. में सही माना गया था।लंदन काउंटी काउंसिल [(1931) 2 KB 215:144 एल. टी. 464] और कई

इंग्लैंड और भारत दोनों में बाद के मामले।पुनः यह न्यायालय राधेश्याम खरे बनाम एम. पी. राज्य के मामले में। [ए. आई. आर 1959 एस. सी 107:(1959) 1 एम. एल. जे. 5 (एस. सी.)] ने अपने पहले के निर्णय पर भरोसा करते हुए कहाः

“यह ध्यान दिया जाएगा कि यह परिभाषा तीन आवश्यकताओं पर जोर देती है जिनमें से प्रत्येक को पूरा किया जाना चाहिए ताकि निकाय का कार्य अर्ध-न्यायिक कार्य हो, अर्थात्, व्यक्तियों के निकाय को (1) कानूनी अधिकार होना चाहिए, (2) पक्षों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों को निर्धारित करने के लिए, और (3) न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य होना चाहिए।चूँकि प्रमाणपत्र की रिट केवल किसी न्यायालय या अर्ध-न्यायिक निकाय की त्रुटियों को सुधारने के लिए जारी की जा सकती है, इसलिए यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी क़ानून द्वारा अधिकृत कोई कार्य एक अर्ध-न्यायिक कार्य है या एक प्रशासनिक कार्य है, वास्तविक और निर्धारक परीक्षण यह है कि क्या क़ानून ने वैधानिक निकाय पर स्पष्ट रूप से या निहित रूप से एटकिन, एल. जे. द्वारा दी गई परिभाषा में तीसरी शर्त के अनुसार न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य लगाया है।

ग

***

डी.

हैल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड के पैरा 114 और 115 पर भरोसा करते हुए, तीसरा संस्करण, खंड। 11 pp. 55-58 पर और आर. वी. के मामले का हवाला देते हुए।मैनचेस्टर कानूनी सहायता समिति [(1952) 2 क्यू. बी. 413:(1952) 1 अपीलार्थियों के लिए सभी ई. आर. 480] विद्वान वकील का तर्क है कि जहां एक क़ानून के लिए विशुद्ध रूप से नीति या समीचीनता के दृष्टिकोण से निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, प्राधिकरण न्यायिक रूप से कार्य करने के लिए किसी भी कर्तव्य के अधीन नहीं है।वह आग्रह करते हैं कि जहां दूसरी ओर, कानून के एक स्पष्ट प्रावधान के तहत या विशेष तथ्यों के निहितार्थ और निर्धारण के आधार पर आदेश पारित किया जाना है, जिस पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए इसकी अधिकारिता निर्भर करती है या यदि कोई प्रस्ताव और विपक्ष है तो प्राधिकरण न्यायिक रूप से कार्य करने के लिए कर्तव्य के अधीन है।जैसा कि हैल्सबरी के इंग्लैंड के कानूनों के पैरा 115 में कहा गया है, खंड। 11 बजे पी।57 न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य व्यापक रूप से अलग-अलग परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकता है जिन्हें पूरी तरह से परिभाषित करने का प्रयास करना असंभव होगा।यह प्रश्न कि न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य है या नहीं, प्रत्येक मामले में विशेष मामले की परिस्थितियों और न्यायिक निर्णयों में निर्धारित सामान्य सिद्धांतों की सहायता से विशेष क़ानून के निर्माण के आलोक में तय किया जाना चाहिए।खुशालदास एस. आडवाणी [ए. आई. आर. 1950 एस. सी. 222 में इस न्यायालय द्वारा विचार किए गए विभिन्न न्यायिक निर्णयों से अनुमानित सिद्धांतः1950 एस. सी. आर. 621] पी.725 (एस. सी. आर.):(ए. आई. आर. के पी. 260) को इस प्रकार तैयार किया गया था।

ई.

च

जी.

एच.

[2022] 19 एस सी आर।

143. इस न्यायालय ने क्रांति एसोसिएट्स में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में कहाः

“47. उपरोक्त चर्चा का सारांश देते हुए, यह न्यायालय कहता हैः

(क) भारत में न्यायिक प्रवृत्ति हमेशा कारणों को दर्ज करने की रही है, यहां तक कि प्रशासनिक निर्णयों में भी, यदि ऐसे निर्णय किसी को पूर्वाग्रह से प्रभावित करते हैं।

XXX

XXX

XXX

(घ) कारणों को दर्ज करना न्यायिक और अर्ध-न्यायिक या यहां तक कि प्रशासनिक शक्ति के किसी भी संभावित मनमाने प्रयोग पर एक वैध प्रतिबंध के रूप में भी काम करता है।

ग

XXX

XXX

XXX

(च) कारण वस्तुतः न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और यहां तक कि प्रशासनिक निकायों द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के रूप में निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक बन गए हैं।"144. 1995 के अधिनियम की धारा 32 के प्रावधानों के संबंध में, केरल उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने एक फैसले में एझोम के रूप में रिपोर्ट किया

डी.

सुन्नी वलियाजुमा मस्जिद बनाम केरल राज्य वक्फ बोर्ड**, 73** ने अभिनिर्धारित किया कि

जब वक्फ बोर्ड को किसी ऐसे कानून पर निर्णय लेने के लिए कहा जाता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है और जिसे उसके सामने उपलब्ध कराई गई सामग्री के आधार पर किया जाना है, तो पक्षों को सुनने के बाद और उसके निर्णय का पक्षों के अधिकारों पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है, यह एक अर्ध-न्यायिक कार्य है।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

“10. वक्फ बोर्ड की शक्तियों और कर्तव्यों और अधिनियम के तहत अन्य संबंधित प्रावधानों से संबंधित उपरोक्त प्रावधानों से पता चलता है कि बोर्ड द्वारा कई कार्य किए जा सकते हैं।उनमें से कुछ स्पष्ट रूप से प्रशासनिक प्रकृति के हैं।लेकिन, जब बोर्ड को किसी ऐसे कानून पर निर्णय लेने के लिए कहा जाता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है और जिसे उसके सामने उपलब्ध कराई गई सामग्री के आधार पर किया जाना है, तो पक्षों को सुनने के बाद और उसके निर्णय का पक्षों के अधिकारों पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है, तो इसका एक अर्ध-न्यायिक कार्य होता है।(पुथेनकोड जुमा-अथ समिति बनाम अब्दुल रहिमान, [2011 (3) के. एल. टी. (एस. एन.) 155] में निर्णय देखें।एक अर्ध-न्यायिक कार्य एक प्रशासनिक कार्य है जिसका कानून को कुछ मामलों में प्रयोग करने की आवश्यकता होती है जैसे कि यह न्यायिक हो।यह.

च

जी.

कुछ हद तक न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।जहां तक अर्ध-न्यायिक कार्यों का संबंध है, उन्हें तब तक प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता जब तक कि संबंधित प्राधिकारी स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा ऐसा करने में सक्षम न हो।सामान्य सिद्धांत यह है कि जहां किसी एल. आई. एस. पर किसी भी प्रकार का निर्णय लिया जाना है, वह संबंधित क़ानून द्वारा सशक्त प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए और किसी और द्वारा नहीं।हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, थोड़ी देर बाद।"

145. इस प्रकार, हम पाते हैं कि वक्फ की प्रकृति और विस्तार की जांच और निर्धारण करने की बोर्ड की शक्ति विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक कार्य नहीं है।इस तरह की शक्ति को अधिनियम की धारा 40 के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति के बारे में जानकारी एकत्र करने का आदेश देता है जिसे वह वक्फ संपत्ति मानता है और ऐसी जांच करने के बाद संपत्ति की प्रकृति के बारे में प्रश्न का निर्णय लेता है जो वह उचित समझे।" धारा 32 (2) (एन) के तहत निर्धारित करने की शक्ति शक्ति का स्रोत है लेकिन उस शक्ति का प्रयोग करने का तरीका 1995 के अधिनियम की धारा 40 के तहत विचार किया गया है। यदि बोर्ड को एकत्र की गई जानकारी के आधार पर पता चलता है कि विचाराधीन संपत्ति वक्फ संपत्ति है तो जांच की आवश्यकता होती है।उस पर पारित आदेश धारा 40 की उप-धारा (1) के संदर्भ में आवश्यक जांच के बाद वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष अपील के अधीन है।इसलिए, किसी भी कारण को दर्ज किए बिना कोई एकतरफा निर्णय नहीं लिया जा सकता है कि संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में कैसे और क्यों शामिल किया गया है।वक्फ बोर्ड का निष्कर्ष अंतिम है, जो उप-धारा (2) के तहत अपील के अधिकार के अधीन है।इस प्रकार, बोर्ड का कोई भी निर्णय एक तर्कपूर्ण आदेश के रूप में होना आवश्यक है जिसका वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष अपील में परीक्षण किया जा सकता है।

ग

डी.

ई.

146. इसलिए, वक्फ बोर्ड के पास धारा 32 (2) (एन) के तहत वक्फ के रूप में संपत्ति की प्रकृति निर्धारित करने की शक्ति है, लेकिन धारा 40 में निहित प्रक्रिया का पालन करने के बाद।इस तरह की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से आयोजित की जाने वाली जांच को निर्धारित करती है।जाँच के संचालन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्व अनुपालन माना जाता है ताकि प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जा सके।वक्फ बोर्ड द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही में प्रभावित पक्षों में से किसी को भी की गई कोई जांच या कोई नोटिस नहीं दिखाया गया है।मुख्य रूप से, दो कारकों ने वक्फ बोर्ड को एर्राटा अधिसूचना जारी करने के लिए प्रेरित किया था, यानी, नज़ीम अतियत का आदेश और दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट।दोनों को वक्फ बोर्ड के पास उपलब्ध सामग्री के रूप में माना जा सकता है लेकिन की गई जांच के अभाव में, इसे 1995 के अधिनियम की धारा 40 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं कहा जा सकता है।

च

जी.

एच.

147. चूंकि 1995 के अधिनियम की धारा 40 (1) के संदर्भ में जांच करने के बाद इस तथ्य का कोई निर्धारण नहीं किया गया है कि क्या विचाराधीन संपत्ति वक्फ संपत्ति है, इसलिए त्रुटि अधिसूचना को 1995 के अधिनियम की धारा 40 के साथ पठित धारा 32 के संदर्भ में जारी किया गया नहीं माना जा सकता है। अकेले इस तरह के निर्धारण से प्रभावित पक्षों को 1995 के अधिनियम की धारा 40 के तहत अपील के उपचार का लाभ उठाने का अधिकार मिल सकता था।

148. 1995 के अधिनियम की धारा 40 (3) के प्रावधान पर निर्भरता, बोर्ड के पास यह मानने का कोई कारण होने की स्थिति में कि कोई भी संपत्ति वक्फ है और किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत है, पंजीकृत न्यास या सोसायटी को सूचित करने पर विचार करना पूरी तरह से गलत धारणा है।ये प्रावधान पूरी तरह से अलग स्थिति से निपटते हैं।एक न्यास या सोसायटी पहले से ही पंजीकृत है लेकिन यदि बोर्ड इसे वक्फ पाता है, तो क़ानून प्राधिकरण को नोटिस देने पर विचार करता है।इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह के विश्वास या समाज को सुनने की आवश्यकता नहीं है।ट्रस्ट या सोसायटी को सुनवाई भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार होगी।

ग

डी.

(5) क्या दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट और/या अतियत अदालत के आदेश को वक्फ बोर्ड के पास **1995** के अधिनियम की धारा **5** में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवादित एर्राटा अधिसूचना को प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त सामग्री कहा जा सकता है**?**

149. दिनांकित 13.03.2006 एर्राटा अधिसूचना के समर्थन में तर्क यह है कि यह 1995 के अधिनियम की धारा 5 के तहत वक्फ बोर्ड को प्रदान की गई शक्तियों का पता लगाने योग्य है। अधिसूचना के प्रकाशन का अभ्यास वक्फ बोर्ड को प्रदत्त शक्ति है।इसलिए, यह तथ्य कि दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई थी, महत्वहीन था क्योंकि यह केवल एक मंत्रिस्तरीय कार्रवाई थी।एक बार जब बोर्ड के पास विभिन्न दस्तावेजों को देखने के बाद अधिसूचना प्रकाशित करने की शक्ति थी, तो इसे केवल इस कारण से अवैध नहीं कहा जा सकता था कि रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई थी जैसा कि 1995 के अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा विचार किया गया था। श्री अहमदी द्वारा यह तर्क दिया गया कि अधिसूचना 1995 अधिनियम की धारा 5 के संदर्भ में है, मान्य नहीं है।यह एक स्वीकृत मामला है कि दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई थी और ऐसी रिपोर्ट सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को भी नहीं भेजी गई है।वक्फ बोर्ड को 1995 के अधिनियम की धारा 105 के तहत प्रदत्त शक्ति के संदर्भ में किसी भी दस्तावेज की मांग करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन यदि अधिसूचना जारी करने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित की जाती है, तो इसे केवल निर्धारित तरीके से जारी किया जा सकता है।

ई.

च

जी.

एच.

1331

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

और किसी अन्य तरीके से नहीं।इस निर्णय का संदर्भ दिया जाए।

अदालत ने बाबू वर्गीज बनाम केरल बार काउंसिल 74 के रूप में रिपोर्ट किया जिसमें

इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः- "31. यह लंबे समय से स्थापित कानून का मूल सिद्धांत है कि यदि किसी विशेष अधिनियम को चलाने का तरीका किसी क़ानून के तहत निर्धारित किया गया है, तो अधिनियम उस तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं।इस नियम की उत्पत्ति का पता टेलर बनाम टेलर, (1875) 1 सीएचडी 426 में निर्णय से लगाया जा सकता है, जिसके बाद लॉर्ड रोश ने नजीर अहमद बनाम किंग एम्परर, 63 इंड ऐप 372 में कहा थाः

"जहाँ एक निश्चित तरीके से एक निश्चित काम करने की शक्ति दी जाती है, वहाँ काम उस तरह से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं।"

ग

32. इस नियम को तब से इस न्यायालय द्वारा राव शिव बहादुर सिंह बनाम विंध्य प्रदेश राज्य, 1954 एस. सी. आर. 1098 और फिर दीप चंद बनाम राजस्थान राज्य, (1962) 1 एस. सी. आर. 662 में अनुमोदित किया गया है।इन मामलों पर उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघारा सिंह, ए. आई. आर. 1964 सुप्रीम कोर्ट 358 में इस अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विचार किया गया था और नजीर अहमद के मामले (उपरोक्त) में निर्धारित नियम को फिर से बरकरार रखा गया था।यह नियम तब से न्यायालयों द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर लागू किया गया है और इसे प्रशासनिक कानून के एक हितकारी सिद्धांत के रूप में भी मान्यता दी गई है।"

डी.

150. सी. आई. टी. बनाम अंजुम एम. एच. घसवाला 75 के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में एक संविधान पीठ ने दोहराया कि जब कोई क़ानून किसी विशेष तरीके से प्रयोग किए जाने वाले प्राधिकरण में कुछ शक्ति निहित करता है, तो उक्त प्राधिकरण को केवल क़ानून द्वारा निर्धारित तरीके से ही इसका प्रयोग करना पड़ता है।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

"27. फिर यह देखा जाना चाहिए कि अधिनियम में बोर्ड से धारा 119 के तहत एक विशेष तरीके से यानी आदेश, निर्देश और निर्देश जारी करने के माध्यम से शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता है।ये आदेश, निर्देश और निर्देश अधिनियम के उचित प्रशासन के लिए अन्य आयकर प्राधिकरणों को जारी किए जाने हैं, आयोग के पास धारा 245 डी के तहत किसी समझौते पर पहुंचने की अपनी अर्ध-न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए अन्य आयकर प्राधिकरणों को निर्देश जारी करने की प्रशासनिक शक्ति नहीं हो सकती है।यह निर्माण का सामान्य नियम है कि जब कोई क़ानून किसी विशेष तरीके से प्रयोग किए जाने के लिए किसी प्राधिकरण को कुछ शक्ति प्रदान करता है तो उक्त प्राधिकरण के पास है -

च

जी.

74 (1999) 3 एससीसी 422 75 (2002) 1 एससीसी 633

एच.

इसका प्रयोग केवल क़ानून में ही दिए गए तरीके से करना।यदि ऐसा इसलिए है क्योंकि आयोग धारा 119 (2) (ए) में दी गई छूट की शक्ति का उपयोग उसमें दिए गए तरीके से नहीं कर सकता है, तो वह धारा 119 (2) (ए) के तहत उस शक्ति का उपयोग धारा 119 की उप-धारा (2) में दी गई प्रक्रिया के विपरीत अपनी न्यायिक कार्यवाही में करने के लिए नहीं कर सकता

है।"151. इसलिए, हम श्री अहमदी से सहमत होने में असमर्थ हैं कि चूंकि यह राज्य सरकार को दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का केवल एक मंत्रिस्तरीय हिस्सा था, इसलिए बोर्ड को धारा 5 के तहत अधिसूचना प्रकाशित करने का अधिकार क्षेत्र था।

152. अब जिस सवाल की जांच की जानी है, वह यह है कि क्या बोर्ड पहली अधिसूचना की तारीख से 17 साल के अंतराल के बाद, यानी 9.2.1989, त्रुटि अधिसूचना जारी कर सकता है।अधिसूचना की ओर ले जाने वाली कवायद 30.1.2005 पर मुतवल्ली सैयद सफीउल्ला हुसैनी के एक पत्र के साथ शुरू हुई।वह मुतवल्ली हैं जिनका उल्लेख वर्ष 1989 में प्रकाशित पहली अधिसूचना में किया गया है।चूंकि उनके साथ मुतवल्ली के रूप में अधिसूचना जारी की गई थी, इसलिए 17 वर्षों तक उनकी निष्क्रियता भूमि के बड़े क्षेत्र को वक्फ के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करने में उनकी ईमानदारी को दर्शाती है।

ग

डी.

153. हमें इस बात की जांच करने की आवश्यकता होगी कि "इर्राटा" शब्द का दायरा और अर्थ क्या है।"इर्राटा "फ्रांसीसी मूल का एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी चीज जिसे ठीक किया जाना चाहिए।इसका मतलब है छापने या लिखने में गलती। पार्वती देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 76 के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

“20. "इरातुम" (फ्रांसीसी) शब्द का अर्थ है छापने या लिखने में गलती; ऐसी गलती की ओर ध्यान आकर्षित करने वाला एक नोट।पुस्तक के अंत में जोड़ी गई गलतियों की सूची।

च

21. "इर्राटा" शब्द फ्रांसीसी मूल का एक शब्द है और इसका अर्थ है "एक ऐसी चीज जिसे ठीक किया जाना चाहिए।’ एक पुस्तक के छपने के बाद, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है।बाद के संस्करणों में, ऐसी गलतियों की एक सूची डालना और आवश्यक सुधारों को इंगित करना सामान्य है।इन्हें 'कोरिजेंडा' कहा जाता है।

जी.

XXX

XXX

XXX

23. न्यायमूर्ति एल. पी. सिंह और मजूमदार के न्यायिक शब्दकोश में, दूसरा संस्करण, पृष्ठ 552, असम में निम्नलिखित अंश का हवाला देते हुए

76 (2007) 6 ऑल एलजे 50 ए

एच.

1333

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

राजकीय उद्योग कर्मी संघ बनाम असम राज्य, (1996) गौ।

एल. आर. 236, (पृष्ठ 241 पर), "शुद्धिपत्र" शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः—

“"शुद्धिपत्र" शब्द के शब्दकोश अर्थ का अर्थ है चीजें सही होना।इसका मतलब है कि एक त्रुटि होनी चाहिए और इसे संशोधित करने और सुधारने की आवश्यकता है।शुद्धिपत्र की आड़ में, किसी नियम को बदला या बदला नहीं जा सकता है, लेकिन तत्काल मामले में ऐसा ही किया गया प्रतीत होता है।किसी नियम को बदलने या संशोधित करने के लिए नियम बनाने में अपनाई गई उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।"

24. "शुद्धिपत्र" शब्द के अर्थ और प्रयोग पर अदालतों द्वारा बार-बार विचार किया गया है।बिक्री कर आयुक्त, यू. पी. बनामडनलप इंडिया लिमिटेड, (1994) 92 एस. टी. सी. 571, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिसूचना में एक गलती को सुधारने के लिए शुद्धिपत्र जारी किया गया है, इसलिए, मूल अधिसूचना जारी करने की तारीख से संबंधित होगा।

ग

डी.

25. प्यारा सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2000) 5 एस. सी. सी. 765:ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 2352, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अंकगणितीय त्रुटि को सुधारने के लिए शुद्धिपत्र या 'अधिक शुद्धिपत्र' जारी करने पर कोई रोक नहीं है।

XXX

XXX

XXX

ई.

27. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कानूनी स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि शुद्धिपत्र केवल मुद्रण संबंधी त्रुटि या उसमें चूक को ठीक करने के लिए जारी किया जा सकता है।हालाँकि, यह केवल टाइपोग्राफिक/अंकगणितीय गलती को ठीक करने के लिए है।इसका कानून का प्रभाव नहीं हो सकता है और न ही यह किसी व्यक्ति के निहित अधिकार को छीन सकता है और न ही यह कानून द्वारा प्रदत्त व्यक्तियों के अधिकारों को रद्द करने का प्रभाव डाल सकता है।

च

154. हम पाते हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, एर्राटा अधिसूचना कुछ और नहीं बल्कि पूरी तरह से एक नई अधिसूचना है। त्रुटि एक गलती का सुधार है।इसलिए, केवल अंकगणितीय और लिपिकीय गलतियों को ठीक किया जा सकता है और एक त्रुटि अधिसूचना के आधार पर अधिसूचना का दायरा नहीं बढ़ाया जा सकता है।इसके विपरीत 5506 वर्ग कि. मी.।वर्ष 1989 में वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित भूमि के गज, 1654 एकड़ के बड़े क्षेत्र और 32 गुंटा भूमि को एक त्रुटि अधिसूचना की आड़ में शामिल नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह लिपिक या अंकगणितीय गलती का मामला नहीं है, बल्कि बड़े क्षेत्र को शामिल करना है, जिसे बिना वक्फ संपत्ति के संचालन के नहीं किया जा सकता था।

जी.

एच.

धारा 40 के साथ पठित धारा 32 (2) (एन) के तहत या सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर उचित जांच, जिसे राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त करके बुलाया गया था।

155. इस स्तर पर यह देखा जा सकता है कि वक्फ बोर्ड द्वारा सर्वेक्षण आयुक्त से बुलाई गई दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट में नग्न आंखों से दिखाई देने वाले कई अंतर्वेशन हैं जो रिपोर्ट की शुद्धता पर संदेह पैदा करते हैं जो वक्फ बोर्ड को ऐसी भूमि को वक्फ भूमि के रूप में शामिल करने के लिए अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए एक उचित आधार के रूप में बन सकता है।

156. सवाल का दूसरा हिस्सा यह है कि क्या अतियत अदालत के आदेश को जागीर गांव मणिकोंडा की प्रकृति को वक्फ भूमि के रूप में निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक कहा जा सकता है।

ग

157. दस्तूर-उल-अमल इनाम और 1338 फसली (1928 ईस्वी) के परिपत्र संख्या 10 को निरस्त करके अतियत अनुदान और अतियत अनुदान में उत्तराधिकार के दावे या किसी भी अधिकार, स्वामित्व या ब्याज के बारे में पूछताछ के लिए कानून को समेकित करने के लिए पूछताछ अधिनियम लागू किया गया था।वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि 1332 फसली (19.03.1923) का परिपत्र संख्या 19 शुरू में संप्रभु द्वारा अतियत अनुदान के संबंध में विवादों के न्यायिक निर्धारण के लिए जारी किया गया था।1338 फसली (1928 ईस्वी) के परिपत्र संख्या 10 को विशेष रूप से पूछताछ अधिनियम की धारा 15 के संदर्भ में वापस लिया गया था।

डी.

158. पूछताछ अधिनियम संप्रभु द्वारा दिए गए अनुदानों के संबंध में उत्तराधिकार के मुद्दों से निपटने के लिए एक विशेष अधिनियम है।यह सिविल न्यायालय का निर्णय है जो उत्तराधिकार, वैधता आदि के सवाल पर प्रबल होता है। अतियत न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र उन मुद्दों तक सीमित है जो इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।परिवर्त्तन के दावे से संबंधित विवाद पूछताछ अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में आता है। अतियत अनुदान में इनाम उन्मूलन अधिनियम के तहत देय मुआवजे की राशि भी शामिल है। धारा 2 में प्रावधान है कि सभी अतियत अनुदान, उन्मूलन विनियमन और इनाम अधिनियम के उन्मूलन के प्रावधान के अधीन, दस्तूर-उल-अमल इनाम या इस विषय पर अन्य सरकारी आदेशों के तहत आयोजित इनाम या उत्तराधिकार पूछताछ के परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों में निर्धारित शर्तों के अधीन और अतियत अनुदान की निरंतरता या पुष्टि के माध्यम से जारी किए जाते रहेंगे।पूछताछ अधिनियम की धारा 3 उन्मूलन विनियमन के साथ-साथ इनाम उन्मूलन अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है क्योंकि इसमें विचार किया गया है कि सभी अतियत अनुदान धारकों के पास बने रहेंगे जैसा कि सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी दस्तावेजों में निर्धारित किया गया है।

ई.

च

जी.

एच.

1335

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

इनाम या उत्तराधिकार पूछताछ के परिणामस्वरूप।धारा 3-ए के तहत, अतियत अदालतें उन्मूलन विनियमन के अधिनियमन के बावजूद किसी भी अधिकार, स्वामित्व या हित की जांच करेंगी।इसलिए, अधिनियम की योजना अतियत अनुदान प्राप्त करने की पात्रता के संबंध में जांच करना और अनुदान प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के बीच उत्तराधिकार के अधिकार पर निर्णय लेना है। वास्तव में, पूछताछ अधिनियम तब लागू नहीं होता है जब धारा 2 (1) (बी) (आई) के तहत जागीरों के उन्मूलन के कारण परिवर्त्तन राशि का भुगतान बंद हो जाता है।

159. अतियत अनुदान को उन्मूलन विनियमन के तहत समाप्त जागीरों के मामले में, कम्यूटेशन विनियमन के तहत देय कम्यूटेशन राशि के रूप में परिभाषित किया गया है।अतियत अनुदान में इनाम उन्मूलन अधिनियम के तहत इनाम शामिल नहीं

हैं, लेकिन अतियत अनुदान के दायरे में मुआवजे के भुगतान पर विचार किया गया है।अतियत अदालतों द्वारा इस तरह के अनुदानों के संबंध में उत्तराधिकार के दावों की जांच सहित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जांच की जानी है।अधिनियम की धारा 12 के संदर्भ में उत्तराधिकार, वैधता आदि के प्रश्नों पर सिविल कोर्ट के Act.The निर्णय की धारा 11 के संदर्भ में नज़ीम अतियत के आदेश के खिलाफ राजस्व बोर्ड में अपील की जानी है। धारा 13 अतियत न्यायालय के निर्णय को अंतिम रूप देती है।

ग

डी.

160. तथापि, उप-धारा (2) में यह उपबंध किया गया है कि अतियत अनुदानों से संबंधित मामलों में सैन्य राज्यपाल, मुख्य नागरिक प्रशासक या हैदराबाद के मुख्यमंत्री या राजस्व मंत्री द्वारा अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें दी गई या कथित रूप से दी जाने वाली शक्तियों के आधार पर पारित किए गए आदेश उस समय लागू कानून के तहत एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध रूप से पारित किए गए अंतिम आदेश माने जाएंगे जब आदेश पारित किया गया था और उन पर किसी भी न्यायालय के समक्ष सवाल नहीं उठाया जाएगा।

ई.

च

161. राजा रामचंद्र रेड्डी में, प्रमुख का आदेश

मंत्री को संप्रभु का आदेश माना जाता था।यह माना गया था कि नाज़ीम के फरमान के प्रभाव में कोई सीमा नहीं लाई जा सकती थी।मुख्यमंत्री का आदेश पूछताछ अधिनियम की धारा 13 (2) द्वारा मान्य होगा, भले ही मामले से निपटने वाले पूर्ववर्ती अधिकारियों की क्षमता कुछ भी हो।मुख्यमंत्री द्वारा 29.5.1956 पर पारित आदेश पूछताछ अधिनियम की धारा 13 (2) के संदर्भ में एक बाध्यकारी आदेश होगा। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः- “12. .....यहां तक कि श्री इंजीनियर द्वारा सुझाए गए विचार पर भी ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री का आदेश लिया जाना था

जी.

एच.

निजाम के फरमान के विकल्प के रूप में और धारा 13 (2) का उद्देश्य इस संभावित आपत्ति को दूर करना था कि अतियत मामलों में निजाम का फरमान उनके विशेषाधिकार का प्रयोग था और इसे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता था।

यदि, जैसा कि तर्क दिया गया है, धारा 13 (2) का वास्तविक उद्देश्य निजाम के फरमान की अभेद्यता की कमी को पूरा करना था, तो यह समझना मुश्किल है कि इस प्रावधान का संचालन मुख्यमंत्री के आदेशों तक ही सीमित क्यों होना चाहिए जो सक्षम अधिकारियों की सिफारिशों से पहले होते हैं।

निज़ाम के फरमान के प्रभाव में ऐसी कोई सीमा नहीं लाई जा सकती थी, उस समय जब निज़ाम फरमान जारी करने की स्थिति में था।इसलिए, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि किसी विशेष मामले में इच्छित प्रभावी आदेश मुख्यमंत्री का आदेश था, तो इस तरह के आदेश को धारा 13 (2) द्वारा मान्य किया जाएगा, भले ही मामले से निपटने वाले पूर्ववर्ती अधिकारियों की क्षमता कुछ भी हो।"

डी.

162. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पूछताछ अधिनियम केवल अतियत अनुदान के संबंध में लागू होता है।जागीर उन्मूलन विनियमन के प्रारंभ के बाद अतियत अनुदान का अर्थ केवल कम्यूटेशन विनियमन या इनाम उन्मूलन अधिनियम या नकद अनुदान आदि के तहत देय मुआवजे के तहत देय कम्यूटेशन राशि है। नज़ीम अतियत ने अपना आदेश 31.5.1957 पर पारित किया, जब इसका अधिकार क्षेत्र केवल कम्यूटेशन विनियमन के प्रारंभ के बाद देय कम्यूटेशन के संबंध में था।वास्तव में, नज़ीम अतियत का आदेश मशरूत-उल-खिदमत के बिरादरी हिस्से में शेयरों के वितरण के संबंध में है, जबकि शेष संपत्ति को मददमश माना जाना था।चूँकि नज़ीम अतियत का अधिकार क्षेत्र केवल देय परिवर्त्तन राशि तक ही सीमित था, इसलिए मश्रूत-उल-खिदमत भूमि या मदाद माश भूमि के बारे में निष्कर्ष उस तारीख को नज़ीम अतियत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है जब आदेश पारित किया गया था।

ई.

च

163. नाज़ीम अतियत के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि नाज़ीम जागीर उन्मूलन विनियमन, कम्यूटेशन विनियमन के साथ-साथ इनाम अधिनियम के उन्मूलन के तथ्य से अवगत थे। इसलिए, आदेश उक्त तीन कानूनों के अधीन पारित किया गया था।इन कानूनों को मुख्यमंत्री के आदेश के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जागीर मणिकोंडा राज्य में निहित है।इसलिए, नज़ीम अतियत का आदेश केवल परिवर्तनीय राशि ए के बराबर है।

जी.

एच.

1337

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

सज्जादा के आश्रितों को देय राशि और मुस्लिम वक्फ बोर्ड को देय राशि, जिसका प्रतिनिधित्व अब वक्फ बोर्ड करता है। कम्यूटेशन रेगुलेशन की धारा 10 (2) (i) के संदर्भ में, कम्यूटेशन रेगुलेशन की धारा 4 में निर्दिष्ट सकल मूल राशि का 90 प्रतिशत धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों को देय है।इसलिए, उन्मूलन और कम्यूटेशन विनियमन के आधार पर, वक्फ बोर्ड का दावा कम्यूटेशन विनियमन की धारा 4 में निर्दिष्ट सकल मूल राशि के केवल 90 प्रतिशत तक सीमित है।इसलिए, उन्मूलन विनियमन के संदर्भ में अतियत अनुदान समाप्त होने के बाद, अतियत न्यायालयों के पास उत्तराधिकारियों को देय परिवर्त्तन राशि के उत्तराधिकार से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होगा।

ग

(7) क्या विचाराधीन भूमि मशरूत**-**उल**-**खिदमत भूमि है और इस प्रकार वक्फ भूमि बनी रहेगी**,** भले ही गाँव की जागीर को समाप्त कर दिया गया हो या यह कि भूमि उन्मूलन विनियमन या कम्यूटेशन विनियमन या इनाम उन्मूलन अधिनियम के तहत राज्य में निहित है**?**

डी.

164. नज़ीम अतियत के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि संप्रभु ने 1 रमजान, 1333 हिजरी पर एक शाही आदेश जारी किया है, जिसमें सज्जदा को बंधक हुसैन बिन मुकद्दम जंग को एकमुश्त ऋण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। उक्त फरमान को दरगाह के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है जैसा कि आदेश के पैरा 44 में पुनः प्रस्तुत किया गया है। यह भी रिकॉर्ड में आया है कि 1249 में फ़ासली ने दरगाह के अवध-ओ-गुल (फूल और इत्र) के खर्च पर सशर्त जागीर दी थी। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि चूंकि संपत्ति मंत्री की मंजूरी से गिरवी रखी गई थी, इसलिए यह माश की सशर्त प्रकृति के अनुरूप है क्योंकि यदि संपत्ति स्वयं खरीदी गई होती तो किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती।बाद में, मुख्यमंत्री के दिनांक 1 के आदेश का उल्लेख करते हुए, यह माना गया कि मणिकोंडा और गुंतापल्ली गाँव दरगाह की सेवा के लिए सशर्त हैं।हालाँकि, अंक संख्या 3 के तहत, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सैयद सफीउल्ला हुसैनी सज्जादा के रूप में सुला-ए-सुल्सन नियम के

अनुसार सेवा प्रदान करने के लिए संपत्ति में दो तिहाई हिस्से का हकदार होगा, लेकिन ऐसा हिस्सा उन्मूलन विनियमन, कम्यूटेशन विनियमन और इनाम उन्मूलन अधिनियम के अधीन किया गया था। कुल संपत्ति का एक तिहाई हिस्सा भी नज़ीम अतियत द्वारा आवंटित किया गया था।यह नज़ीम अतियत का उक्त आदेश था जिसे मुंतखाब संख्या 98 जारी करके प्रभावी किया गया था।

ई.

च

जी.

165. नज़ीम अतियत से पहले की कार्यवाही वर्ष 1923 में शुरू हुई थी।पक्षों के अधिकारों की जांच की जा रही थी

एच.

तारीख जब अतियत अदालत के समक्ष शिकायत दायर की गई थी।संप्रभु की बाद की कार्रवाई के कारण, जागीरों को समाप्त करने और इसके परिणामस्वरूप आवागमन के भुगतान के लिए निर्णय लिया गया था।पूछताछ अधिनियम में 1956 में संशोधन किया गया था जो पूछताछ अधिनियम के प्रावधानों को तब लागू नहीं करता है जब धारा 16 के तहत परिवर्त्तन राशि का भुगतान करना बंद हो जाता है और अतियत अनुदान का अर्थ है उन्मूलन विनियमन के बाद परिवर्त्तन विनियमन के तहत देय परिवर्त्तन राशि और यह कि यहां तक कि परिवर्त्तन राशि भी अतियत अनुदान पर लागू नहीं होगी।इस प्रकार, अतियत न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अतियत अनुदान से संबंधित विवादों तक सीमित होगा जैसा कि पूछताछ अधिनियम में परिभाषित किया गया है।

(8) क्या विचाराधीन भूमि मशरूत**-**उल**-**खिदमतलैंड है और इस प्रकार वक्फ भूमि बनी रहेगी**,** भले ही गाँव की जागीर को समाप्त कर दिया गया था और यह कि भूमि उन्मूलन विनियमन या कम्यूटेशन विनियमन या इनाम उन्मूलन अधिनियम के तहत राज्य में निहित थी**?**

ग

166. सैयद अमीर अली द्वारा (मूल अरबी में अधिकारियों से संकलित) मोहम्मडन लॉ नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक में, जागीरों के वक्फ और राजाओं और अमीरों द्वारा दिए गए अनुदान के संबंध में प्रासंगिक व्याख्या इस प्रकार हैः

डी.

"जागीरें दो प्रकार की होती हैं, एक जहां भूमि शुल्क में दी गई है, यानी पहले संप्रभु ने इसे बैत-उल-माल से खरीदा है और इसे अनुदान प्राप्तकर्ता को प्रस्तुत किया है, या यह शाही क्षेत्र का एक हिस्सा है; दूसरा, जहां केवल उपयोग दिया जाता है और जागीर क्राउन में निहित होती है।पहले मामले में, अनुदान प्राप्तकर्ता वक्फ बना सकता है, बाद के मामले में नहीं।"

ई.

167. प्रिवी काउंसिल ने एक फैसले में विद्या वरुथी तीर्थ बनाम बालुसामी अय्यर और अन्य के रूप में रिपोर्ट किया। 77 ने मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त वक्फ, हिंदू कानून द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक दान और अंग्रेजी कानून द्वारा विचार किए गए सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास के बीच एक अच्छा अंतर किया।न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

च

“15. उपहार के अलावा एक न्यास की अवधारणा भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना के साथ शुरू की गई थी और यही कारण है कि बाद के समय के कई दस्तावेजों में देश के उन हिस्सों में जहां महोम्मदन प्रभाव प्रमुख रहा है, जैसे कि ऊपरी भारत और कर्नाटक, वाकफ अभिव्यक्ति का उपयोग समर्पण व्यक्त करने के लिए किया जाता है।

जी.

एच.

77 ए. आई. आर 1922 पी. सी. 123 ए

1339

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

16. लेकिन न्यासों से संबंधित महामादान कानून मूल रूप से अंग्रेजी कानून से अलग है।इसकी उत्पत्ति इस्लाम के पैगंबर द्वारा निर्धारित एक नियम से हुई हैः और इसका अर्थ है "सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्वामित्व में संपत्ति को बांधना और मनुष्यों के लाभ के लिए लाभ की समर्पण।” जब एक बार यह घोषित किया जाता है कि कोई विशेष संपत्ति वक्फ है, या ऐसी किसी अभिव्यक्ति का उपयोग वक्फ के रूप में किया जाता है, या दस्तावेज़ का कार्यकाल दिखाता है, जैसा कि जेवान डोस साहू बनाम शाह क्यूबेरूद्दीन (1837) 2 एम. आई. ए. 390 के मामले में हैः6 डब्ल्यूआर पीसी 4:1 सुदर 100:1 206 में, कि पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पण का अर्थ है, वक्फ का अधिकार समाप्त हो जाता है और स्वामित्व सर्वशक्तिमान को हस्तांतरित कर दिया जाता है।दाता किसी भी मेधावी वस्तु को लाभ प्राप्तकर्ता के रूप में नामित कर सकता है।वक्फ का प्रबंधक मुत्वाली राज्यपाल, अधीक्षक या क्यूरेटर होता है।जेवान डोस साहू के मामले में (1837) 2 एम. आई. ए. 390:6 डब्ल्यूआर पीसी 4:1 सुदर 100:1 206 में न्यायिक समिति ने उन्हें "प्रोक्यूरेटर" कहा।” यह एक खानखा से संबंधित है, एक महामादान संस्थान जो कई मायनों में एक मठ के समान है जहां हिंदू धार्मिक शिक्षा दी जाती है।भारत में बड़ी संख्या में मौजूद इन खानखाओं के सिर को साज्ञादा-नाशिन कहा जाता है।वह धार्मिक सिद्धांतों और जीवन के नियमों के शिक्षक हैं, और संस्थान के प्रबंधक और इसके दान के प्रशासक हैं, और ज्यादातर मामलों में एक साधारण मुतवल्ली की तुलना में उपयोग में अधिक रुचि रखते हैं।लेकिन न तो साज्ञादा-नाशिन और न ही मुतवल्ली का वक्फ की संपत्ति पर कोई अधिकार हैः संपत्ति उसमें निहित नहीं है और वह तकनीकी अर्थों में ट्रस्टी नहीं है।

ग

डी.

ई.

168. एक फैसले में कानून के उक्त उच्चारण का पालन किया गया था

नवाब ज़ैन यार जंग (मृतक होने के बाद से) और ओआरएस. वी. के रूप में रिपोर्ट किया गया।निर्देशक

च

दान और ए. एन. आर. 78 जिसमें, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः“9. वक्फों के बेहतर प्रशासन और पर्यवेक्षण के लिए 1954 में यह अधिनियम पारित किया गया था।धारा 3 (1) वक्फ को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी चल या अचल संपत्ति को मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना और इसमें शामिल हैंः((i) उपयोगकर्ता द्वारा एक वक्फ;

जी.

((ii) मशरूत-उल-खिदमत; और

एच.

((ग) मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए संपत्ति को समर्पित करने के लिए एक वक्फ-अल-औलाद;

और "वाकीफ" का अर्थ है ऐसा समर्पण करने वाला कोई भी व्यक्ति।

"वक्फ" की इस परिभाषा के अनुरूप, एक "लाभार्थी" को धारा 3 (ए) द्वारा परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति या वस्तु जिसके लाभ के लिए एक वक्फ बनाया जाता है और इसमें धार्मिक, पवित्र और धर्मार्थ वस्तुएं और मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए स्थापित सार्वजनिक उपयोगिता की कोई अन्य वस्तुएं शामिल हैं।..."

169. इस सवाल की जांच की जानी चाहिए कि क्या मशरूत-उल-खिदमत का अनुदान वक्फ भूमि बना रहेगा।श्री गिरि का तर्क है कि मणिकोंडा एक जागीर गाँव होने के कारण, अनुदान प्राप्तकर्ता के जीवनकाल के लिए था और इस तरह का अनुदान न तो विरासत में प्राप्त करने योग्य था और न ही अलग करने योग्य था।अहमद-उन-निसा बेगम में, तत्कालीन हैदराबाद उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने एक नवाब कमल यार जंग की जागीर संपत्ति के उत्तराधिकार पर विचार किया।अन्य बातों के साथ-साथ यह माना जाता था कि राज्य का शासक सभी भूमि का पूर्ण स्वामी होता है।उन्होंने जागीरदारों सहित उन्हें संरचनात्मक अधिकार प्रदान किए।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

ग

डी.

"7. .....ऊपर उल्लिखित प्राधिकारियों का संचयी प्रभाव यह है कि इस राज्य में जागीर के कार्यकाल में उन भूमि में उपभोग संबंधी अधिकार शामिल थे जो प्रत्येक अनुदानकर्ता की मृत्यु पर समाप्त किए जा सकते थे, जो उसके जीवनकाल के दौरान अविभाज्य थे, मृतक धारक के उत्तराधिकारियों को संपत्ति नए अनुदानकर्ताओं के रूप में मिली और संपत्ति प्रदान करने का अधिकार शासक में निहित था और जो उसके पूर्ण विवेक से प्रयोग किया जा सकता था।फिर भी, जागीरदारों के पास अपने जीवन के दौरान अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने, उपभोग और अन्य महत्वपूर्ण विशेषाधिकारों का आनंद लेने के लिए मूल्यवान रोशनी थी, जिससे उन्हें काफी मौद्रिक लाभ प्राप्त हुए।

ई.

च

XXX

XXX

XXX

12. इन विनियमों का प्रभाव यह है कि राज्य में सभी मौजूदा जागीर कार्यकालों का राज्य की भूमि में विलय कर दिया गया और केवल राज्य ही अंतिम जमींदार बन गया और भत्ते प्राप्त करने के अधिकार वैधानिक, वंशानुगत और न्यायसंगत हो गए।यदि यह धारा 21 की उप-धारा (2) के परंतुक के लिए नहीं होता, तो यह कुछ औचित्य के साथ तर्क दिया जा सकता था कि अंतरिम भत्ते और मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारों के लिए लंबित ए में न्यायाधिकरणों की सिफारिशों को स्वीकार करके किसी विशेष अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी।

जी.

एच.

1341

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

उत्तराधिकार के मामले; उप-धाराओं के तहत।(3) धारा 9 के अनुसार, मृतक जागीरदारों के उत्तराधिकारियों को व्यय की कटौती के बाद आय में अपने हिस्से का हकदार घोषित किया जाता है।

तथापि, परन्तुक विद्यमान विधि के अनुसार ऐसी कार्यवाहियों को पूरा करने का निर्देश देता है, जिसे 1358 फसली के विनियम सं. एल. एक्स. आई. एक्स. [69] की धारा 2 के खंड (बी) द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है इस विनियम के प्रारंभ में लागू विधि, जिसमें अतियत विधि, रीति-रिवाज या विधि के बल वाले उपयोग शामिल हैं।इस प्रकार अधिनियम के तहत अभी भी आय और मुआवजे के लिए उत्तराधिकारी के अधिकार को पूरा करने के लिए कुछ मंजूरी आवश्यक है।मैंने कहा है कि अतियत कानून के अनुसार जागीर वापस देने का अधिकार शासक के पास इस आधार पर निहित था कि वह जागीर का प्रमुख है और पुलिस कार्रवाई के बाद भी उसके द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है।

ग

लेकिन विनियमन के पारित होने और सरकार में हस्ताक्षर के निहित होने के बाद प्रत्यर्पण की शक्ति वैधानिक हो जाती है और नए मालिक की ओर से प्रयोग करने में सक्षम हो जाती है, चाहे वह कोई भी हो, कार्यकारी शक्तियों के साथ सौंपे गए व्यक्ति द्वारा। यह तर्क दिया गया था कि जागीरदारों की पुलिस एक्शन एस्टेट से पहले की घटना 'दीवानी' को छोड़ दी गई थी और कभी भी शासक को नहीं।मैं ऐसी मिसालों को कोई महत्व नहीं दूंगा, क्योंकि अतियत मामलों में इस राज्य के शासकों ने खुद को मिसालों से बंधा नहीं रखा है।स्थिति मौलिक रूप से अलग हो जाती है जब विशिष्ट वैधानिक प्रावधान होते हैं और विनियमन में इस तरह के प्रतिबंधों से संबंधित नियम होते हैं।यह कानूनी स्थिति थी जब श्री एम. के. वेल्लोदी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था।"

डी.

ई.

च

170. उक्त निर्णय की पुष्टि इस न्यायालय ने एक निर्णय में की थी

राजा रामेश्वर राव और एक अन्य बनाम राजा गोविंद राव 79 के रूप में रिपोर्ट किया गया

यह मानते हुए कि हैदराबाद राज्य में दी गई जागीरें वंशानुगत नहीं थीं, हालांकि यह हो सकता है कि एक बेटे को सामान्य पाठ्यक्रम में पिता का उत्तराधिकारी बनने की अनुमति दी गई थी।हालाँकि, राज्य को हमेशा अपनी मर्जी से अनुदान फिर से शुरू करने का अधिकार था।यह माना गया था किः

जी.

“11. .....लेकिन यह पत्र भी दर्शाता है कि राज्य को खुशी से अनुदान फिर से शुरू करने का अधिकार है और यदि ऐसा है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि हैदराबाद में दी गई जागीरें स्थायी थीं और

एच.

79 ए. आई. आर 1961 एस. सी 1442

1342

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 19 एस सी आर।

वंशानुगत, हालांकि यह हो सकता है कि एक बेटे को सामान्य पाठ्यक्रम में पिता का उत्तराधिकारी बनने दिया गया हो।हालाँकि, राज्य को हमेशा खुशी से अनुदान फिर से शुरू करने का अधिकार था।हैदराबाद में जागीरों की प्रकृति पर अहमद-उन-निसा बेगम बनाम राज्य [ए. आई. आर. 1952 हाइड 163,167] मामले में हैदराबाद के पूर्व उच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा विचार किया गया।अंसारी, जे., ने पूर्व हैदराबाद राज्य की प्रिवी काउंसिल के दो मामलों का उल्लेख करने के बाद, जैसा कि 1947 से पहले था और शासक के कुछ फरमानों में हैदराबाद में जागीरों की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित टिप्पणी की गई थीः

"ऊपर उल्लिखित प्राधिकारियों का संचयी प्रभाव यह है कि इस राज्य में जागीर के कार्यकाल में उन भूमि पर उपभोग संबंधी अधिकार शामिल थे जो प्रत्येक अनुदानकर्ता की मृत्यु पर समाप्त किए जा सकते थे, जो उसके जीवन के दौरान अविभाज्य थे, मृतक धारक के उत्तराधिकारियों को संपत्ति नए अनुदानकर्ताओं के रूप में मिली और संपत्ति प्रदान करने का अधिकार शासक में निहित था और जो उसके पूर्ण विवेक से प्रयोग किया जा सकता था।फिर भी, जागीरदारों के पास अपने जीवन के दौरान अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने, उपभोग और अन्य महत्वपूर्ण विशेषाधिकारों का आनंद लेने के मूल्यवान अधिकार थे जो उन्हें काफी मौद्रिक लाभ प्रदान करते थे।"

ग

डी.

171. उच्च न्यायालय ने भी एक फैसले में इसी तरह का विचार रखा था

सरवरलाल और अन्य बनाम हैदराबाद राज्य 80 के रूप में रिपोर्ट किया गया जो था

सरवनलाल और अन्न बनाम में इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई।हैदराबाद राज्य (अब आंध्र प्रदेश) और अन्य। 81.इस मुद्दे की जांच की गई है

ई.

मेसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड बनाम तेलंगाना राज्य के रूप में रिपोर्ट किया गया एक अन्य निर्णय, जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्रधान सचिव 82 ने किया

जिसमें यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया थाः"20. (xii) ये पैगाह अनुदान प्राप्तकर्ता, संपदाओं के पूर्ण मालिक नहीं थे।वास्तव में, जागीरदार हैदराबाद राज्य न तो मद्रास राज्य के जमींदारों के रूप में था और न ही उत्तर प्रदेश के तालुकारियों के रूप में। जबकि स्वामित्व अधिकार मद्रास के जमींदारों और कुध के तालुकदारों में निहित थे, हैदराबाद में जागीरदार केवल जीवन भर के लिए संपत्ति से राजस्व के उपभोग के हकदार थे।जागीरदार की मृत्यु पर कानूनी रूप से अनुदान।पैगाह एस्टेट, जिसके साथ यह मामला संबंधित था, इसका कोई अपवाद नहीं था।वास्तव में, क्योंकि वे पैगाह को बनाए रखने के दायित्व से बोझिल थे

च

जी.

80 ए. आई. आर. 1954 हाईड 227 81 ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 862

एच.

82 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन हाईड 360 ए

यदि वे चाहें तो वे निजाम द्वारा फिर से शुरू किए जाने के लिए उत्तरदायी थे।निजाम सैन्य बोझ को एक समतुल्य धन भुगतान में भी परिवर्तित कर सकता था और पैगाह जागीर को फिर से शुरू करने के दर्द पर इस तरह के भुगतान की आवश्यकता होती है। उन्हें किसी भी समय यह कहने का अधिकार था कि उन्हें सैनिकों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके स्थान पर धन की आवश्यकता है।"172. आर. दोरास्वामी रेड्डी में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश पर श्री अहमदी का भरोसा उठाए गए तर्कों के लिए सहायक नहीं है।उच्च न्यायालय ने नवाब जैन यार जंग मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया।उपरोक्त मामले में, उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील में अपीलकर्ता ऐसी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने की अधिसूचना जारी होने के बाद भूमि के खरीदार के रूप में अपने अधिकारों पर जोर दे रहा था।यह तर्क दिया गया कि संपत्ति सर्वशक्तिमान में निहित नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति में निहित है जो सेवा प्रदान कर रहा है।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सेवा के गैर-निष्पादन के लिए, भूमि को फिर से शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मूल अनुदानकर्ता संपत्ति का मालिक बना रहेगा।एक बार वक्फ बनने के बाद, यह वक्फ बना रहता है।वर्तमान मामले में, मश्रूत-उल-खिदमत यानी दरगाह की सेवा का अनुदानकर्ता कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि संप्रभु है, जिसमें संपत्ति में पूरा हित निहित है।इसलिए, संप्रभु जो राज्य के सभी कार्यों का अंतिम भंडार है, सेवा अनुदान को पूर्ववत कर सकता है।जागीर को फरमान के साथ समाप्त कर दिया गया और परिणामस्वरूप भूमि राज्य के पास निहित हो गई।इस तरह के निहित में मशरूत-उल-खिदमत का अधिकार निहित करना शामिल होगा, जो दरगाह को सेवा प्रदान करने के अधिकार के रूप में सहायक अधिकार है।दरगाह को जागीर या जागीर का अधिकार नहीं दिया गया था।

ग

डी.

ई.

173. यह उक्त निर्णय है जिसे सैयद अली में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में इस अदालत द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था, उक्त मामले में, मुतवल्ली द्वारा निष्पादित दीर्घकालिक पट्टे पर विवाद करते हुए वक्फ बोर्ड द्वारा एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया था।अपीलार्थी के विद्वान वकील ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष सरकार और मोक्षदार के बीच विवाद के एक समझौते (प्रदर्शनी ए-20) का उल्लेख किया।समझौते में आय का एक हिस्सा मोहर्रम, मासिक त्योहारों और दरगाह के सामान्य रखरखाव के लिए खर्च करने पर विचार किया गया।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि समझौता आदेश एक सेवा इनाम के रूप में इनाम का गठन करता है और वक्फ के विवरण के लिए इस तरह के अनुदान जवाब भले ही मोक्षदारों को संपत्ति का आनंद लेने की अनुमति दी गई हो।उक्त निर्णय वर्तमान अपीलों के तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि मश्रूत-उल-खिदमत, दरगाह को सेवा अनुदान संप्रभु द्वारा दिया गया था और इसलिए संप्रभु को उस अधिकार को छीनने का अधिकार था।इस अधिकार का प्रयोग अधिनियमित करके किया गया था

च

जी.

एच.

मंदिरों, मस्जिदों और अन्य संस्थानों को दी जाने वाली जागीरों को समाप्त करने सहित उन्मूलन और परिवर्तन विनियम।इसलिए, दरगाह की सेवा के लिए अनुदान का उन्मूलन उन्मूलन विनियमन की धारा 16 के अंतर्गत आता है।

174. श्री अहमदी का तर्क है कि नज़ीम अतियत आदेश के अनुसार, जागीर गाँव मणिकोंडा की भूमि मशरूत-उल-खिदमत भूमि पाई गई थी, यानी भूमि से होने वाली आय का उपयोग दरगाह की सेवा के लिए किया जाना था जो कि धार्मिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए है।उक्त उद्देश्य को 1961 से पहले भी मुस्लिम कानून के तहत वक्फ माना जाएगा, जब इसे विशेष रूप से

1954 के अधिनियम में शामिल किया गया था। इस प्रकार, एक भूमि जो पवित्र और धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित है, इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए वक्फ बनी रहेगी कि एक बार वक्फ हमेशा वक्फ होता है।यह भी तर्क दिया गया कि वर्ष 1940 में बनाए गए बंदोबस्ती विनियमों ने उक्त अधिनियम की धारा 2 में बंदोबस्ती की परिभाषा के अनुसार मशरूत-उल-खिदमत भूमि को मूर्ति के संचालन से बाहर रखा। बंदोबस्ती विनियमों की धारा 16 के संदर्भ में बनाए गए नियम 445 और 447 पर निर्भरता रखी गई है, जिसमें यह विचार किया गया है कि सेवा की शर्त के अधीन संपदाओं को संपन्न माना जाएगा और बंदोबस्ती की पुस्तक में उक्त संपदाओं में प्रवेश करने के लिए कार्यवाही अपनाई जाएगी।यह भी तर्क दिया गया कि उन्मूलन विनियमन ने जागीर के विभिन्न रूपों को समाप्त कर दिया, लेकिन जागीर को नहीं जो एक मशरूत-उल-खिदमत भूमि थी, इसलिए तर्क यह है कि वक्फ को समर्पित भूमि के संबंध में उन्मूलन विनियमन लागू नहीं होगा।

ग

डी.

ई.

175. 1 रजब 1296 हिजरी (20 जून, 1879) को हसन बिन मुकद्दम जंग के पक्ष में संप्रभु की अनुमति से सज़्दा सफीरुल्ला हुसैनी द्वारा भूमि को गिरवी रखा गया था।इससे पता चलता है कि दरगाह की सेवा के लिए भूमि का उपयोगकर्ता उतना पवित्र नहीं था जितना कि अनुमान लगाया जाना चाहिए।वास्तव में, 1303 हिजरी में (वर्ष में कहीं) सफीरुल्लाह हुसैनी की मृत्यु के बाद, उनके बेटे अकबर हुसैनी ने माश की बहाली के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया।यह अकबर हुसैनी के अनुरोध पर था कि संप्रभु ने 1 रमजान 1333 (13.7.1915) को बंधक भूमि को जारी करने के लिए फरमान जारी किया, सज़्दा के अधीन, हसन बिन मोहसिन के कारखाने को बकाया राशि का भुगतान करते हुए, जो वर्ष 1290 फसली (1880) में मरने वाले बंधक के उत्तराधिकारी प्रतीत होते हैं।176. यह संप्रभु है जिसने अकबर हुसैनी को भूमि मुक्त करने की अनुमति दी थी।संप्रभु अपने राज्य के भीतर सभी भूमि का मालिक था।जागीरदारों को इसका लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी।ऐसे जागीरदार को संपत्ति को अलग करने का कोई अधिकार नहीं था और उनकी मृत्यु के बाद, ए

च

जी.

एच.

1345

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

संप्रभु अपने बेटे को इसे वापस दे सकता है लेकिन यह संप्रभु है जिसे हर भौतिक समय पर भूमि पर अधिकार प्राप्त है।

177. शाही फरमान दिनांक 1 रमजान 1333 हिजरी (13.7.1915) दो तथ्यों को दर्शाता है-(1) कि जागीर की भूमि हसन बिन मोहसिन के पास गिरवी रखी गई थी, और (2) उनकी मृत्यु के बाद, भूमि सरकार की देखरेख में थी।इसके अलावा, सज़्दा सफीरुल्ला हुसैनी की मृत्यु के समय, उनके उत्तराधिकारी नाबालिग थे और नाबालिगों की ओर से संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए कोर्ट ऑफ वार्ड नियुक्त किया गया था।शाही आदेश इस आशय का है कि दरगाह का सज़्दा नियमित रूप से अन्य शेयरधारकों को राशि का भुगतान करेगा, जिन्हें अपने रखरखाव के लिए आवश्यक रखरखाव भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। यदि जांच या विरासत पूछताछ की आवश्यकता है, तो वही नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।इसके बाद यह मामला स्वर्गीय सफीरुल्ला हुसैनी के बेटे अकबर हुसैनी द्वारा शाही आदेश के संदर्भ में दायर एक शिकायत के आधार पर नाज़िम अतियत द्वारा उठाया गया था।

ग

178. उन्मूलन विनियम की धारा 16 विशेष रूप से किसी मंदिर या मस्जिद या किसी धार्मिक या सार्वजनिक उद्देश्य के लिए स्थापित किसी अन्य संस्था को दी गई जागीर को समाप्त कर देती है।वर्तमान मामले में, मस्जिद या धार्मिक या सार्वजनिक उद्देश्य के लिए स्थापित किसी भी संस्थान को जागीर नहीं दी गई थी, लेकिन सज्जादा को केवल दरगाह की सेवा के लिए गांव की भूमि का उपयोग करने की अनुमति थी।यदि जागीर स्वयं उन्मूलन विनियमन की धारा 16 के संदर्भ में समाप्त हो गई थी, तो मशरूत-उल-खिदमत के रूप में भूमि का उपयोग किसी धार्मिक या सार्वजनिक उद्देश्य के लिए दी गई जागीर से अधिक नहीं था। इसलिए, दरगाह की सेवा के लिए सज्जादा को मश्रूत-उल-खिदमत के रूप में दी गई भूमि मस्जिद या किसी अन्य धार्मिक संस्थान को दी गई जागीर के विपरीत एक छोटा अधिकार होगा।इसलिए, जो भूमि मशरूत-उल-खिदमत के लिए दी गई थी, उसे उन्मूलन विनियमन लागू करते समय संप्रभु द्वारा बहुत अच्छी तरह से समाप्त किया जा सकता था।

डी.

ई.

च

179. मुंतखब संख्या 98 के कॉलम 7 में गाँव मणिकोंडा की संपत्ति को दरगाह को सशर्त सेवा अनुदान के रूप में वर्णित किया गया है।यह वैधानिक प्रावधानों को ओवरराइड नहीं करता है।मुंतखाब नाजिम अतियत द्वारा पारित आदेश का एक परिणामी आदेश या फरमान है।अतियत न्यायालय को प्रदत्त ऐसी अधिकारिता अतियत अनुदान में व्यक्तियों के अधिकार या ब्याज तक ही सीमित है।इसलिए, मुंतखाब (डिक्री) आदेश के दायरे को नहीं बढ़ाएगा क्योंकि न तो पूछताछ अधिनियम के तहत अतियत अदालतों के अधिकार क्षेत्र और न ही उन्मूलन विनियमन या कम्यूटेशन विनियमन ने दरगाह तक सेवा की अनुमति दी थी।

जी.

एच.

180. अब मुख्यमंत्री के दिनांकित 29.05.1956 के आदेश की ओर इशारा करते हुए, जो कि नज़ीम अतियत के आदेश में उल्लिखित पहले तालुकदार और दूसरे तालुकदार की रिपोर्टों के अलावा श्री अहमदी द्वारा भरोसा किया गया दूसरा दस्तावेज है, पहले तालुकदार और दूसरे तालुकदार की रिपोर्ट केवल नज़ीम अतियत द्वारा निर्णय को सुविधाजनक बनाने में सहायक हैं, लेकिन वे न्यायिक आदेश नहीं हैं जिन्हें बाध्यकारी कहा जा सकता है।यह पूछताछ अधिनियम के तहत पारित नाज़िम अतियत का आदेश है जो प्रासंगिक है न कि राजस्व अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट जो दिनांक 31.05.1957 के निर्णय पर पहुँचती है। समीक्षा में नज़ीम अतियत का आदेश और साथ ही राजस्व बोर्ड द्वारा बिना किसी कारण के अपील को खारिज करना केवल उस हद तक प्रासंगिक होगा जब ऐसी कार्यवाही शुरू की गई थी लेकिन असफल रही।यहां तक कि राजस्व बोर्ड द्वारा पारित आदेश के खिलाफ रिट याचिका में उच्च न्यायालय का आदेश केवल नाज़िम अतियत द्वारा पारित आदेश की पुष्टि का आदेश है, हालांकि कुछ टिप्पणियां की गई थीं जो नाज़िम अतियत के आदेश का हिस्सा भी नहीं थीं।इसी तरह, नज़ीम अतियात द्वारा जारी मुंतखाब No.98 केवल नज़ीम अतियात द्वारा 31.05.1957 पर पारित आदेश के बाद एक परिणामी डिक्री है।वास्तव में, क्रम संख्या 262 की सर्वेक्षण रिपोर्ट में, टिप्पणी के कॉलम में उल्लेख किया गया है कि "दरगाह की देखभाल मुतवल्ली द्वारा की जाती है और अतीत में, मानिकोंडा, दरगाह हुसैन शाह वली और गुंतापल्ली के जागीर दरगाह और वार्षिक उर्स के कामकाज के लिए दिए गए थे। मुतवल्ली द्वारा उपयोग किए गए मुआवजे का विवरण ज्ञात नहीं है।

ग

डी.

ई.

181. यह तर्क कि मणिकोंडा गाँव छूट प्राप्त जागीरों की सूची में था और अंतिम आदेश में, मणिकोंडा और गुंटापल्ली गाँवों को इनाम उन्मूलन अधिनियम के अधीन नहीं बनाया गया था, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं लगता है और किसी भी मामले में इसका कोई परिणाम नहीं है।नज़ीम अतियत के क्रम में अंक संख्या 3 यह था कि क्या मकदूम हुसैनी का अकबर हुसैनी के दावे पर कोई तरजीही अधिकार है।मकदूम हुसैनी स्व-खरीदी गई संपत्ति के रूप में अधिकार का दावा कर रहे थे जबकि अकबर हुसैनी सज्जादा के उत्तराधिकारी के रूप में दावा कर रहे थे।यह माना गया कि यह मकदूम हुसैनी की स्व-अर्जित संपत्ति नहीं थी और इस प्रकार नज़ीम अतियत ने कानूनी उत्तराधिकारियों का हिस्सा तय किया था।1/3 मश्रूत-उल-खिदमत का पारिवारिक हिस्सा मणिकोंडा और गुंतापल्ली के जागीर गांव के संबंध में था, जिसे अलग से तैयार किया जाना था, जबकि अन्य गांवों में शेष संपत्ति को मदद मश के रूप में माना जाना था और यह कि पक्षकार सिहम-ए-सराय के अनुसार अपने कानूनी हिस्से के हकदार थे।इसलिए, मणिकोंडा और गुंतापल्ली गाँवों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि वे जागीर गाँव पाए गए थे जबकि अन्य गाँव ए थे।

च

जी.

एच.

1347

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

मादाद माश पाया गया।लेकिन सभी संपत्तियां जागीरों के उन्मूलन, विनियमन के संचरण और इनाम अधिनियम के उन्मूलन के अधीन थीं। 182.वैकल्पिक रूप से, भले ही यह माना जाए कि मणिकोंडा गाँव के संबंध में आदेश में जागीर विनियमन या कम्यूटेशन विनियमन के उन्मूलन का कोई उल्लेख नहीं है, यह पूरी तरह से असंगत होगा क्योंकि एक क़ानून को संप्रभु के अधिकार के तहत बनाए गए क़ानून के प्रारंभ से पहले शुरू की गई कार्यवाही में पारित आदेश पर वरीयता होगी।इसलिए, आदेश पारित होने की तारीख को, नज़ीम अतियत न्यायालय के पास जागीर गाँवों के संबंध में या इनाम के भुगतान के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, बल्कि केवल उत्तराधिकारियों के हिस्से को निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र था।इसलिए, मुंतखाब, डिक्री केवल सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के हिस्से को निर्धारित करने का प्रभाव देने के लिए है।इसलिए, नज़ीम अतियत का आदेश उन्मूलन विनियमन और कम्यूटेशन विनियमन पर हावी नहीं हो सका।

ग

183. मुख्यमंत्री का आदेश है कि जागीर के उन्मूलन के कारण मणिकोंडा गांव को सरकार को सौंप दिया गया है।आदेश में आगे लिखा गया है कि जागीर के उन्मूलन पर देय परिवर्त्तन सज्जादा के परिवार के आश्रितों के शेयरों में भेजा जा रहा है और बाकी दरगाह के सेवा खर्चों के लिए मुस्लिम वक्फ बोर्ड को भेजा जा रहा है।इसलिए, जिस भूमि को मशरूत-उल-खिदमत के रूप में वर्णित किया गया था, वह राज्य के पास निहित थी और हस्तांतरण राशि सज्जादा के आश्रितों और मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दी गई थी।मणिकोंडा की जागीर भूमि का अधिकार, अधिकार और हित मुख्यमंत्री के आदेश पर राज्य के पास निहित था।जागीर के उन्मूलन के बाद परिवर्त्तन राशि का भुगतान संपत्ति और मुस्लिम वक्फ बोर्ड के आश्रितों को करने का भी आदेश दिया गया था।

डी.

ई.

184. हालाँकि मुख्यमंत्री के उक्त आदेश का उल्लेख नाज़िम अतियत ने किया था, फिर भी यह माना जाता था कि यह भूमि दरगाह के लिए मशरूत-उल-खिदमत है।मुख्यमंत्री के आदेश के संदर्भ में, जागीर मणिकोंडा राज्य के पास निहित थी।नज़ीम अतियत के इस तरह के आदेश को मुख्यमंत्री के आदेश के अधीन पढ़ा जाना चाहिए जो संप्रभु द्वारा जारी फरमान के तहत काम कर रहे थे।ऐसा आदेश संप्रभु होने के नाते, नाज़ीम न्यायालय का आदेश, फिर से संप्रभु का निर्माण संप्रभु द्वारा पारित आदेश की सीमा तक लागू नहीं होगा।

च

जी.

185. मुख्यमंत्री के आदेश से दो बातें पता चलती हैं-कि जागीरों के उन्मूलन के कारण मणिकोंडा गांव की जमीन सरकार को सौंप दी गई थी और परिवर्त्तन राशि सरकार को भेजी जा रही है।

एच.

संपत्ति के साथ-साथ मुस्लिम वक्फ बोर्ड पर निर्भर।इसलिए, नज़ीम अतियत द्वारा पारित आदेश, वास्तव में, मुख्यमंत्री द्वारा पारित आदेश के अनुसार नहीं है, जो संप्रभु के कार्यों का निर्वहन कर रहे थे।

186. इसलिए, संप्रभु ने उन्मूलन विनियमन और परिणामी कम्यूटेशन विनियमन को अधिनियमित किया था, जो जमीन के मालिक के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा था, जो हर भौतिक समय पर संप्रभु के पास निहित था, जागीरदार के संरचनात्मक अधिकार के अधीन था।यह संप्रभु था जिसने दरगाह को सेवा करने का अधिकार दिया था।संप्रभु जिसे सेवा के लिए जागीर गाँव देने का अधिकार था, उसे भी उस अधिकार को छीनने का अधिकार था।इसलिए, उन्मूलन विनियमन द्वारा जागीर का उन्मूलन पूर्ण था।

ग

187. इसलिए, जागीर उन्मूलन विनियमन के संदर्भ में, दरगाह की देखभाल करने के अधिकार के धारक के रूप में जागीर और सज्जदा के अधिकार समाप्त कर दिए गए।नाज़िम अतियत का आदेश ऐसा है क्योंकि आदेश उन्मूलन और कम्यूटेशन विनियमों और इनाम उन्मूलन अधिनियम के तहत इनाम के उन्मूलन के अधीन किया गया था।

डी.

188. मोहम्मद में।अपीलार्थी हब्बीबुद्दीन खान, पैगाह एस्टेट में एक सूबेदार था।इस तरह की संपत्ति को उन्मूलन विनियमन के तहत समाप्त कर दिया गया था जिसके बाद कम्यूटेशन विनियमन बनाया गया था।यह तर्क दिया गया कि अतियत अदालतों को परिवर्त्तन के संबंध में उनके दावे की जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

ई.

"8. हमें खेद है कि हम अपीलार्थी के वकील द्वारा हमारे सामने पेश की गई दलीलों में कोई सार नहीं पाते हैं।अतियत पूछताछ अधिनियम, 1952 के तहत स्थापित अतियत न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने का कोई कारण नहीं है।वे अतियत अनुदान और उसके सहायक मामलों में किसी भी अधिकार, शीर्षक या हित के उत्तराधिकार के दावे के बारे में अतियत पूछताछ करने के लिए सक्षम हैं।1956 के अधिनियम 28 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के पैरा 2 में, जिसके द्वारा अतियत पूछताछ अधिनियम, 1952 में संशोधन किया गया था, निम्नलिखित अवलोकन शामिल हैंः

च

जी.

"2. हालाँकि जागीरों को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन कई जागीरों के संबंध में इनाम पूछताछ के मामले अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और परिवर्त्तन राशि का भुगतान ऐसी पूछताछ के पूरा होने पर निर्भर करता है।यह स्पष्ट है कि इन अनुदानों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इस तरह की पूछताछ अतियत न्यायालयों में की जानी चाहिए।"

एच.

क.

9. .....हालाँकि, इन प्रश्नों का निर्णय पैगाह की सीमा का पता लगाने के लिए किया जाना चाहिए, जिसके लिए अपीलार्थी परिवर्त्तन का दावा करता है।स्पष्ट रूप से जाँच की आवश्यकता है।यह कहना हमारा बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि जिस साक्ष्य पर अपीलार्थी भरोसा करता है वह या तो बेकार है या गैर-निर्णायक है।उस साक्ष्य का वजन जो भी हो, इस मामले का फैसला विशेष अदालतों यानी अतियत अदालतों द्वारा किया जाना है, जिन्हें जागीरदारों और हिस्सदारों के दावों की जांच के लिए स्थापित किया गया है।इसलिए, अपीलार्थी को अतियत न्यायालय जाना चाहिए था।"

189. के. एस. बी. अली में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा कोकापेट गाँव में स्थित भूमि की बिक्री के लिए बुलाए गए निविदाओं को चुनौती देने पर विचार कर रही थी।यह विवाद नवाब नुसरत जंग बहादुर की मृत्यु के बाद हुआ था, जिनके पास 1635 एकड़ और 34 गुंटा की भूमि थी।उच्च न्यायालय ने पूछताछ अधिनियम के तहत निर्णय दिया कि अतियत न्यायालय की शक्ति और अधिकार क्षेत्र अतियत अनुदान में अधिकार, स्वामित्व या हित की जांच करने और ऐसे अनुदानों के संबंध में उत्तराधिकार के दावे की जांच करने तक सीमित है।यह भी माना गया कि सभी जागीर भूमि दीवानी में निहित हैं और पूर्ववर्ती जागीरदार और सूबेदार केवल नकद अनुदान के हकदार थे, चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाए। पूछताछ अधिनियम के तहत स्वामित्व अधिकार देने का कोई सवाल ही नहीं था। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:“29. 1952 के अधिनियम के उपरोक्त निर्दिष्ट/पुनरुत्पादित प्रावधानों को पढ़ने और जैसा कि संशोधित किया गया है, यह देखा जा सकता है कि अतियत न्यायालय की शक्ति और अधिकार क्षेत्र अतियत अनुदानों में अधिकार, स्वामित्व या हित की जांच करने और ऐसे अनुदानों के संबंध में उत्तराधिकार के दावों की जांच करने तक ही सीमित है।धारा 3 (पूर्व-संशोधित प्रावधान) के तहत अधिनियम के प्रारंभ से पहले रखे गए सभी अतियत अनुदानों को हैदराबाद मताधिकार प्राप्त इनाम अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अधीन जारी रखा गया था।धारा 4 ने जागीर क्षेत्रों में अनुदान या पूर्ववर्ती जागीरदारों द्वारा दिए गए अनुदान को 1952 के अधिनियम के अनुसार पूछताछ और पुष्टि के अधीन किया।

ग

डी.

ई.

च

जी.

30. जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, अतियत अनुदान की परिभाषा को 1956 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था और धारा 2 (1) (बी) (आई) ने विशेष रूप से जागीर भूमि के मामले में अतियत अनुदान को 1359 फसली विनियमन के तहत देय परिवर्त्तन राशि तक सीमित कर दिया था।XXX

XXX

XXX

एच.

33. चूँकि सारी जागीर भूमि 'दीवानी' में निहित थी और पूर्व धारक (जागीरदार और हिस्सेदार) केवल नकद अनुदान के हकदार थे, चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाए, इसलिए 1952 के अधिनियम के तहत उन्हें संपत्ति का अधिकार देने का कोई

सवाल ही नहीं था। यदि अतियत अनुदान की परिभाषा को जागीर भूमि पर संपत्ति के अधिकारों के अनुदान को भी समझने के लिए समझा जाता है, तो यह पूरी योजना को विफल कर देता है और 1358 और 1359 फसली विनियमों के प्रावधानों को निरर्थक बना देता है।"

190. इस प्रकार, डिवीजन बेंच द्वारा रिट अपील को खारिज कर दिया गया।अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी।इस तरह की विशेष अनुमति याचिका और रिट याचिका को वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाने की स्वतंत्रता के साथ 13.12.2007 पर वापस ले लिया गया था।वैकल्पिक उपाय फिर से एक रिट याचिका दायर करना था। मुकदमे के दूसरे दौर में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका को 4.10.2017 पर खारिज कर दिया गया था।

ग

191. नवाब ज़ैन यार जंग के रूप में रिपोर्ट किया गया इस न्यायालय का निर्णय संप्रभु द्वारा नियुक्त न्यासियों द्वारा दायर एक रिट याचिका से उत्पन्न एक मामला था, जिसमें न्यासियों को बंदोबस्ती विनियमों के तहत न्यास को पंजीकृत करने और उसी का लेखा देने का निर्देश दिया गया था।जब मामला इस न्यायालय के समक्ष लंबित था, 1954 के अधिनियम की धारा 9 के तहत गठित मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने निर्णय लिया कि ट्रस्ट वक्फ अधिनियम के अर्थ के भीतर एक वक्फ है और उक्त अधिनियम की धारा 28 के तहत ट्रस्ट के पंजीकरण के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इन परिस्थितियों में, विचार करने वाला प्रश्न यह था कि वक्फ अधिनियम की धारा 28 के तहत किसी न्यास का पंजीकरण वैध था या नहीं।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

डी.

ई.

च

“18. यह सच है कि दस्तावेज़ में निहित बड़ी संख्या में प्रावधान इस दृष्टिकोण के अनुरूप हैं कि दस्तावेज़ एक वक्फ़ बनाता है जितना कि वे इस दृष्टिकोण के अनुरूप हैं कि यह वक्फ़ से अलग एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास बनाता है।हालाँकि, यह पेटेंट है कि कुछ खंड हैं जो पहले दृष्टिकोण के साथ असंगत हैं, जबकि बाद के दृष्टिकोण के साथ सभी खंड सुसंगत हैं।दूसरे शब्दों में, यदि उस निर्माण को स्वीकार कर लिया जाता है जिसके लिए बोर्ड तर्क देता है, तो कुछ खंड विफल हो जाएंगे, जबकि यदि उस निर्माण को बरकरार रखा जाता है जिसके लिए उत्तरदाता तर्क देते हैं, तो दस्तावेज़ के सभी खंड प्रभावी हो जाते हैं।हमारी राय में, यह निर्माण का एक प्राथमिक नियम है कि यदि दो निर्माण ए

जी.

एच.

1351

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

यदि यथोचित रूप से संभव हो, तो दस्तावेज़ के सभी खंडों को प्रभावी बनाने वाले खंड को उस खंड की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो कुछ खंडों को पराजित करता है।यह विवाद में नहीं है कि यदि दस्तावेज़ को वक्फ माना जाता है, तो दस्तावेज़ में दिए गए निर्देश कि धर्म, जाति या पंथ के भेद के बिना धर्मार्थ उद्देश्यों का चयन किया जाना चाहिए, स्पष्ट रूप से विफल हो जाएंगे और यह निस्संदेह इस निष्कर्ष का समर्थन करता है कि दस्तावेज़ एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट का प्रमाण देता है न कि एक वक्फ का।

19. इसके अलावा, जिस खंड पर समर्पण का तर्क आधारित है, उसे उक्त खंड में निहित प्रावधान से अलग नहीं किया जा सकता है जो धर्म, जाति या पंथ के भेद के बिना धर्मार्थ उद्देश्य प्रदान करता है और इसलिए, बसने वाले का इरादा न केवल उन

दानों की मदद करना था जो वक्फ की परिभाषा के भीतर आते हैं, बल्कि दान भी जो परिभाषा के बाहर होंगे और इसलिए, समर्पण का पूरा तर्क टूट जाता है क्योंकि समर्पण का विचार उन उद्देश्यों तक ही सीमित नहीं है जिन्हें अधिनियम की परिभाषा के अनुसार धर्मार्थ के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन इसकी संकीर्ण सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ है।इस संबंध में यह स्मरण रखना प्रासंगिक हो सकता है कि यह न्यासियों के लिए आय के एक बड़े हिस्से के लिए सक्षम होगा, और यहां तक कि पूरी आय भी हो सकती है, उद्देश्य जो दस्तावेज़ के खंड 3 (सी) के तहत उनकी शक्तियों के आधार पर वक्फ की सीमा से बाहर हो सकता है, और यह स्पष्ट रूप से बताता है कि बसने वाले की दृष्टि एक वैध वक्फ के रूप में शर्तों द्वारा निर्धारित संकीर्ण सीमाओं तक सीमित नहीं थी।"

ग

डी.

ई.

192. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यास की कई विशेषताएँ इस निष्कर्ष का समर्थन करती हैं कि न्यास वक्फ नहीं है और 1954 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निष्पक्ष और उचित निर्माण के आधार पर, दस्तावेज़ को सार्वजनिक धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एक न्यास बनाया जाना चाहिए, जिनमें से कुछ वक्फ की सीमा से बाहर हैं।

च

193. श्री अहमदी ने ह्यूज के मामले में चांसरी डिवीजन द्वारा पारित एक आदेश पर भरोसा किया है।चांसरी प्रभाग स्थानीय सरकार अधिनियम, 1894 की धारा 70 पर विचार कर रहा था।ह्यूज एक ट्रस्टी थे।चैरिटी कमिश्नर ने वांछनीय पाया कि भूमि का पुनर्मूल्यांकन एक सक्षम मूल्यांकनकर्ता द्वारा उसके दिनांकित 08.03.1897 पत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए।आदेश ह्यूज द्वारा कुछ राशि के भुगतान का था।उक्त आदेश वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

जी.

एच.

194. हाथीजा अम्मल में, वक्फ बोर्ड ने सिविल कोर्ट के समक्ष यह घोषणा करने के लिए एक मुकदमा दायर किया कि संपत्ति एक वक्फ संपत्ति है, हालांकि इसे 1954 के अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत वक्फ संपत्ति के रूप में प्रकाशित नहीं किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि वक्फ बोर्ड को अधिनियम की धारा 4,5 और 6 या धारा 27 के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था।

195. श्री राम चंद्र मूर्ति में, एक मुकदमा दायर किया गया था

बिक्री विलेख को रद्द करने के लिए वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिवादी।अपीलार्थी ने जोर देकर कहा कि संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं है क्योंकि इसे आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया था।याचिका खारिज करने की मांग की गई थी।यह अभिनिर्धारित किया गया कि वक्फ बोर्ड ने 1954 के अधिनियम की धारा 27 या 1995 के अधिनियम की धारा 40 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है और इसलिए, शिकायत में किया गया कथन मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

“16. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा सर्वेक्षण का संचालन और एक रिपोर्ट तैयार करना और उसे राज्य या वक्फ बोर्ड को भेजना 1995 के अधिनियम (यह बोर्ड द्वारा 1954 के अधिनियम के तहत किया गया था) के तहत राज्य द्वारा आधिकारिक राजपत्र में ऐसी सूची को अधिसूचित करने के अंतिम अधिनियम से पहले है।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सूची सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा उचित जांच करने के बाद और वैध सर्वेक्षण के साथ-साथ उचित दिमाग लगाने के बाद तैयार की जाएगी।धारा 4 की उप-धारा (3) के तहत विचार की गई जांच केवल एक अनौपचारिक जांच नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर यह पता लगाने के लिए एक औपचारिक जांच है कि संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं।इसके बाद वक्फ बोर्ड एक बार फिर अपने दिमाग से भेजी गई सूची की जांच करेगा और उसके बाद ही उसे राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए सरकार को भेजा जाएगा। चूंकि सूची तैयार की जाती है और उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाती है, इसलिए वादी के लिए सर्वेक्षण आयुक्त की रिपोर्ट के बारे में किसी प्रकार का संदेह पैदा करके मामले को फिर से खोलने की कोई गुंजाइश नहीं है।चूँकि सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट पर राज्य सरकार के साथ-साथ वक्फ बोर्ड द्वारा विचार किया जाना आवश्यक था (जैसा भी मामला हो), आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने वाली संपत्तियों की सूची को अंतिम रूप देने से पहले, उच्च न्यायालय के लिए यह निष्कर्ष निकालना खुला नहीं था कि सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट पर पुनर्विचार करना होगा।इसके विपरीत, सर्वेक्षक की रिपोर्ट वक्फ अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना के साथ विलय हो जाती है।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

1353

आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

क.

196. पवित्र और धार्मिक उद्देश्य के लिए समर्पित भूमि राज्य के साथ निहित होने से अछूती नहीं है।खजमियन वक्फ एस्टेट बनाम मद्रास राज्य, 83 में मद्रास इनाम एस्टेट (उन्मूलन और रैयतवाड़ी में रूपांतरण) अधिनियम, 1963 (1963 का मद्रास अधिनियम 26); मद्रास लीज-होल्ड (उन्मूलन और रैयतवाड़ी में रूपांतरण) अधिनियम, 1963 (1963 का मद्रास अधिनियम 27) और मद्रास माइनर इनाम (उन्मूलन और रैयतवाड़ी में रूपांतरण) अधिनियम, 1963 (1963 का मद्रास अधिनियम 30) की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उन अधिनियमों में भौतिक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (एफ) और 31 का उल्लंघन करते हैं।विवादित अधिनियमों को अनुच्छेद 31-ए द्वारा अनुध्यात "संपदा" के राज्य द्वारा अधिग्रहण के लिए प्रावधान करने के लिए कहा गया था। ये कानून कृषि सुधार के एक हिस्से के रूप में बनाए गए थे।धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों से संबंधित इनामों के संबंध में, विवादित अधिनियमों में एकमुश्त मुआवजे का भुगतान करने का प्रावधान नहीं था, लेकिन दूसरी ओर उन्हें हर साल मुआवजे का एक हिस्सा देने का प्रावधान किया गया है।संविधान पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

“12. इसके बाद यह आग्रह किया गया कि धार्मिक संप्रदायों से संबंधित संपत्तियों का अधिग्रहण करके, विधानमंडल ने अनुच्छेद 26 (सी) और (डी) का उल्लंघन किया है जो यह प्रावधान करता है कि धार्मिक संप्रदायों को चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण का अधिकार होगा और कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन किया जाएगा।ये प्रावधान धार्मिक संप्रदायों से संबंधित संपत्ति हासिल करने के राज्य के अधिकार को नहीं छीनते हैं।वे मूल्यवर्ग संपत्ति का स्वामित्व, अधिग्रहण और कानून के अनुसार उनका प्रशासन कर सकते हैं।इसका मतलब यह नहीं है कि उनके स्वामित्व वाली संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है।अधिग्रहण के परिणामस्वरूप वे उस संपत्ति के मालिक नहीं रह जाते हैं।इसके बाद उस

संपत्ति को प्रशासित करने का उनका अधिकार समाप्त हो जाता है क्योंकि यह अब उनकी संपत्ति नहीं है।अनुच्छेद 26 संपत्ति अर्जित करने के राज्य के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है।"

ई.

च

197. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैंः

i) दीवानी अपीलों की अनुमति है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है।

जी.

ii) त्रुटि अधिसूचना दिनांक 13.3.2006 को रद्द कर दिया गया है।1654 एकड़ और 32 गुंटा की भूमि राज्य और/या निगम के पास किसी भी बोझ से मुक्त है।

83 (1970) 3 एस. सी. सी. 894

एच.

1354

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 19 एस सी आर।

iii) कम्यूटेशन रेगुलेशन की धारा 10 (2) (i) के संदर्भ में, कम्यूटेशन रेगुलेशन की धारा 4 में निर्दिष्ट सकल मूल राशि का 90 प्रतिशत दरगाह को देय है।बकाया राशि की गणना की जाएगी और 6 महीने के भीतर दरगाह को भुगतान किया जाएगा।

(iv) लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

नागरिक आवेदन संख्या। **2016** का **10771,2016** का **10772** और **2016** का **10774**

198. ये अपीलें जागीरदार के तहत कथित किरायेदारों या पट्टादारों की ओर से की जाती हैं।यह दावा किया गया है कि उन्होंने जागीरों के उन्मूलन के बाद राज्य को किराया देना शुरू कर दिया और भूमि के कुछ हिस्से पर कब्जा करने का दावा किया जो अब विवादित एर्राटा अधिसूचना का हिस्सा है।अपीलार्थियों द्वारा उठाई गई दलीलों को मुख्य निर्णय में शामिल किया गया है। ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, अपीलकर्ताओं को कानून के अनुसार एक उपयुक्त मंच के समक्ष अपनी शिकायतों के निवारण के लिए उपचार लेने की स्वतंत्रता है।इन अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

ग

डी.

बिभूति भूषण बोस

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः आरश चौधरी, एलसीआरए)

ई.

***2022** का अंत * * *

च

जी.

एच.